भूदान
भूहबन्दी
बटाईदारी
बेदखली
बी. टी. एक्ट

पत्र संख्या :- 10 /सी० 35-13-15/92 632 /पा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री श्री फूलचन्द सिंह

भूमि सुधार आयुक्त ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक 25.5.92

विषय :- बिहार भूमि सुधार (हदबंदी का निर्धारण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन ।

महाशय,

भू-हदबंदी अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में एक है । राज्य सरकार भूमि सुधारकार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कृतसंकल्प है । अधिशेष भूमि के अर्जन तथा उसके वितरण के संबंध में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में अक्टूबर 91 में औरपुनः राजस्व मंत्रियों के नई दिल्ली में 14 मार्च 1992 में हुये सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ है । राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य में अतिरिक्त निम्नलिखित निर्णय भी लिए गये हैं :-

(क) उपलब्ध विवादहीन अधिशेशभूमि को 30 जून 92 के पूर्व निश्चित रूप से वितरित कर दिया जाय ।

(ख) राजस्व न्यायालयों में जो मामले लंबित हैं उनका निष्पादन कर इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त भूमि का 75 प्रतिशत सितम्बर 92 तक वितरित कर दिया जाय ।

इन निर्णयों को लेते समय प्रधान मंत्री जीभी उपस्थित थे ।

2- आप अवगत है कि हदबंदी अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए 1981 में व्यापक संशोधन किए गये । इसमें अन्य के अतिरिक्त यह भी प्रावधान किया गया कि धारा-10 के स्तर पर भूधारी के अतिरिक्त भूमि में हित रखने वाले सभी हितधारकों को भी सूचना दी जाएगी । यह भी प्रावधान किया गया था कि ऐसी अधिशेष भूमि जिसके संबंध में अपील पुनरीक्षण में दावा नहीं किया गया है का अर्जन किया जा सकताहै । तत्कालीन भूम सुधारआयुक्त द्वारा निर्गत परिपत्र 10 एल० आर० -19/81-1157 दिनांक 14.4.81 का निदेश करें ।

(मल्होत्रा पब्लिकेशन 1983 मुद्रण के पृष्ट 68-75/प० पर मुद्रित)

3- प्रशासन को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नये जिलों का सृजन किया गया है । इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई नियमावली के नियम -6 में इस बात का उल्लेख है कि जिन भूधारियों की जमीन एक से अधिक जिले में अवस्थित है वहां पर हदबंदी की कार्रवाई उस जिले में चलाई जाएगी जहां पर भूमि का बड़ा हिस्सा अवस्थित है । यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी अभिलेख, निष्पादित अभिलेख सहित संबद्ध जिलों को भेज दिए जाए ।

4- इसके अतिरिक्त प्रमंडलीय आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि अन्तर्जिला मामलों में हदबंदी वादों का सत्यापन तथा एक जिले में दूसरे जिले की अर्जित भूमि का वितरण किया जाता है । जहां ऐसे मामले दो प्रमंडलों में पड़ते हैं ।

5- इस संशोधन अधिनियम मे इस आशय के भी प्रावधान किए गए हैं कि सभी अपील/पुनरीक्षण उप समित हो जाएँगे । और उनमें प्रारूप प्रकाशन के स्तर से कार्रवाई की जाएगी । वस्तुतः इसे भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी मामलों में प्रारूप प्रकाशन की कार्रवाई कर दी गई है । इसके लिए त्रैमासान्त मार्च 82 का प्रगति प्रतिवेदन आधार माना जाए ।

6- कई जिलों में यह पाया गयाहै कि भू-हदबंदी से संबंधित अभिलेख समय पर उपस्थापित नहीं हो रहे हैं । यह आवश्यक है कि अभिलेख

का बंटवारा विभिन्न पदाधिकारियों के बीच समुचित रूप से कर दिया जाए और इनके निष्पादन की मासिक समीक्षा की जाए । ऐसी बैठकों में कुछ निष्पादित अभिलेखों को भी देखा जासकता है जिससे कि आदेशों में गुणवत्ता बनी रहे । मुख्य सचिव के स्तर पर आयोजित प्रमंडलीय आयुक्तों की सितम्बर , 91 की बैठक में भी इस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कापत्र 1632 दिनांक 18.9.91 द्रष्टव्य है । बड़े भूधारियों के मामले की विशिष्ट समीक्षा प्रत्येक बैठक में होनी चाहिए।

7- निष्पादित अभिलेखों की भी आवश्यकतानुसार छानबीन करनी चाहिए कि यह कहीं गलत तरीके से समाप्त हो नहीं कर दिए गए हैं। प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि कभी यह निदेश दिए गए थे कि कोशी परियोजना से सिंचित भूमि वर्ग-3 तथा पटना मुंगेर टाल की भूमि वर्ग 4 मानी जाए । यह निदेश वैधिक प्रावधानों के प्रतिकूल थे और उन्हें वापस ले लिया गया था ।

8- राजस्व पर्षद उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वादों तथा उसके जिला प्रशासन/राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले अधिवक्ता से संबंधी सूचना उपलब्ध कराई जाए। यह सूचना भी दी जाए कि किन मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। इन मामलों में दिये गये स्थगन आदेश की समीक्षा की जाय कि स्थगन सम्पूर्ण अधिशेष क्षेत्र पर प्रभावी है अथवा इसके एक अंश पर । जिला अधिकारी यह भी देखें कि इन सारे मामलो में उनकी ओर से प्रतिशत पत्र दाखिल किया गया है अथवा नहीं ।

9- केन्द्र सरकार के द्वारा अवितरित भूमि से संबंधित सूचना उपलब्ध करने के लिए निर्धारित प्रपत्र विभागीय पत्र 1200 दिनांक 26.7.90 के द्वारा भेजा गया है । यह अपर समाहर्ताओं की बैठक में भी परिचालित है । केन्द्र सरकार के अनुसार 1,01,571 एकड़ भूमि न्यायालय में विवादग्रस्त है । 18,670 एकड़ भूमि वितरण हेतु अयोग्य है 963 एकड़ भूमि सुरक्षित 83,428 एकड़ भूमि अन्य कारणों से अनुपलब्ध बताई गई है।

10- जिला स्तर से अब तक कुल अर्जित भूमि दखल में ली गई भूमि एवं वितरित भूमि संबंधी जो प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं उनकी समीक्षा से प्रतीत होता है कि अर्जित भूमि और दखल में ली गई भूमि तथा दखल में ली गई भूमि और वितरित भूमि के मध्य काफी अंतर है । इनकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए समय समय पर निदेश दिए जाते रहे हैं। पर अभी भी संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हुए हैं । अनेक मामलों में भूधारियों ने स्वेच्छा से भूमि समर्पित की थी। इन मामलों को अलग अभिलेख में विचार किया गया था । जिला पदाधिकारियों से आग्रह किया जाता है कि प्रत्येक अभिलेख विशेषकर ऐसे अभिलेख जिसमें अधिशेष भूमि अर्जित की गई है का सत्यापन करें । आशा की जाती है कि जिन निष्पादित मामलों में अधिशेष भूमि का अर्जन हुआ होगा उनसे संबंधित अभिसूचना एक संक्षिप्त पंजी में संधारित होगी। इनकी सहायता से या अन्यथा कुल अर्जित भूमि की मामलावार सूची तैयार की जा सकती है । इसके आधार पर अर्जित तथा दखल में ली गई भूमि की भिन्नता तथा दखल में ली गई भूमि और वितरित भूमि की भिन्नता को स्पष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। यह भिन्नता सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय राजस्व पर्षद के द्वारा स्थगित भूमि, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय । राजस्व पर्षद के द्वारा अर्जन के उपरांत रद्द की गई भूमि जिला द्वारा स्वयं रद्द की गई भूमि दूसरे जिले में अर्जित भूमि पूर्व से ही अर्जन में अर्जित भूमि क्षेत्रफल गलत होना अन्य रैयतों की भूमि होना हो सकता है । विस्तृत सूचना एकत्रित कर आवश्यकतानुसार मार्ग निर्देश प्राप्त करें ।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्र में कुल अर्जित 72.56 लाख एकड़ भूमि के विरुद्ध 48.45 एकड़ भूमि पश्चिम बंगाल में 12.63 लाख एकड़ के विरुद्ध 9.13 लाख के विरुद्ध बिहार में 4.75 लाख एकड़ के विरुद्ध 2.68 लाख एकड़ भूमि ही वितरित है ।

11- यह आवश्यक है कि अधिशेष भूमि का दखल लेकर इसका सीमांकन कर ही उसे वितरित किया जाए । इस प्रकार की शिकायत भी मिलती रहती है कि वितरित भूमि का सीमांकन कराकर उसका दखल नहीं दिलाया गया है । यह सुझाव सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अधिशेष भूमि के आवंटियों का नाम रजिस्टर - 2 मे चढ़ा दिया गया है और उनके नाम से रसीद कट रही है ।

12- राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर यह आदेश दिए गए हैं कि जिस गांव में भूमि उपलब्ध है वहां के सुयोग्य व्यक्तियों की सूची पूर्व से ही तैयार कर रखी जाए । राज्य सरकार की नीति अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता देने की है । कुछ मामलो में यह पाया गया है कि कई व्यक्ति बटाईदार होने के आधार पर आवेदन देते हैं । हाल सर्वे में दर्ज सिकमीदार धारा 48वीं में पूर्व से बटाईदार के रुप में मान्यता प्राप्त व्यक्तियों को ही अधिनियम की धारा 22 (1) में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। धारा 48बी में दर्ज बटाईदारों के संबंध में यह छानबीन होनी चाहिए कि वह Collusive नहीं थे ।

13- कृषि हेतु अयोग्य भूमि के वितरण के संबंध में समय-समय पर निदेश दिए गए हैं । इनमें राजस्व विभागीय परिपत्र 1366 भू0 सु0 दिनांक 26.5.82 तथा 2421 दिनांक 9.9.87 द्रष्टव्य है । इनमें इस बात का उल्लेख है कि तालाब, चौर या ऐसे क्षेत्र जिसमें मत्स्यपालन मखाना,

सिंचाड़ा की खेती होती है को सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ बन्दोबस्त किया जाए या जलक्षेत्र बहुत बड़ा होने पर ही राज्य सरकार का आदेश प्राप्त किया जाए । जंगल या पहाड़ी के रूप में दिखाई गई भूमि सामाजिक वानिकी या वृक्ष पट्टा योजना में उपयोग की जाए। शेषभूमि विकसित कर कृषि योग्य बनाई जा सकती है । इसके लिए जवाहर रोजगार योजना के उपयोग पर विचार किया जा सकता है ।

14- यह भी पाया गयाहै कि कई मामलों में भूमि अर्जन हो जाने के बाद भूधारी या अन्य व्यक्ति धारा 37/45 बी के अन्तर्गत आवेदन दे रहे हैं । यदि संशोधित अधिनियम में आम सूचना का विधिवत प्रकाशन किया गया है और सत्यापन ठीक से किया गयाहै तब पुनः सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है ।

15- अधिशेष भूमि के आवंटियों के दखल का भौतिक सत्यापन आवश्यक है यदि उन्हें बेदखल किया जाता है तो अधिनियम की धारा-27 "क" के अंतर्गत युक्तियुक्त सुनवाई कर दखल वापस दिलाया जा सकता है । आदेश का उल्लंघन करनेवालों पर धारा -36 के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा सकती है ।

16- अधिशेष भूमि के आवंटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है । शुरू से अब तक आवंटित राशि व समर्पित उपयोगिता प्रमाण-पत्र से संबंधी सूचना अनुलग्नक है । सभी राशि का उपयोगगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, लघु सिंचाई कार्यक्रमों तथा अन्य कार्यक्रमों में इन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाए ।

विश्वासभाजन

ह०/- फूल चन्द सिंह

भूमि सुधार आयुक्त, बिहार सरकार ।

सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र

क्र०	जिला	31.3.92 तक आवंटित राशि	31.3.92 तक प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र	लम्बित राशि जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र लम्बित हैं ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	पटना	16,03,000	19,000	15,84,000	
2.	नालन्दा	4,84,000	1,84,000	3,00,000	
3.	भोजपुर	24,46,000	5,78,000	18,68,000	
4.	रोहतास	19,00,000	2,51,421	16,48,579	
5.	गया	81,70,080	55,88,626	25,82,154	
6.	जहानाबाद	16,35,000	1,95,200	14,39,800	
7.	नवादा	15,38,000	1,20,000	14,18,000	
8.	औरंगाबाद	15,53,000	8,10,655	7,42,345	
9.	सारण	8,93,200	2,62,845	6,30,355	
10.	सिवान	2,13,000	68,270	1,44,730	
11.	गोपालगंज	6,22,000	6,22,000	--	
12.	मुजफ्फरपुर	10,36,000	1,28,980	9,07,020	
13.	सीतामढ़ी	20,00,000	4,16,145	15,53,855	
14.	वैशाली	7,26,500	3,91,610	3,34,890	
15.	पू0 चंपारण	43,48,400	8,19,400	35,29,000	
16.	पं0 चम्पारण	52,00,000	10,80,987	41,19,013	
17.	दरभंगा	12,00,000	--	12,00,000	
18.	मधुबनी	11,30,000	1,75,000	9,55,000	
19.	बेगुसराय	32,24,000	4,51,063	27,72,937	
20.	समस्तीपुर	7,82,000	3,71,160	4,10,840	
21.	सहरसा	2,16,18,000	82,556	2,15,35,444	
22.	मधेपुरा	8,79,000	--	8,79,000	
23.	पूर्णियाँ	59,95,564	14,10,873	45,84,691	

24.	किशनगंज	39,48,580	17,51,420	21,97,160
25.	अररिया	35,48,580	--	35,48,580
26.	मुंगेर	40,60,000	7,08,740	33,51,260
27.	भागलपुर	92,48,000	17,00,806	75,47,194
28.	खगड़िया	33,34,000	10,84,000	22,50,000
29.	दुमका	73,20,000	7,79,765	65,40,235
30.	गोड्डा	75,70,000	93,716	74,76,284
31.	देवघर	3,22,640	1,40,370	1,89,270
32.	साहेबगंज	9,14,000	--	9,14,000
33.	धनबाद	47,05,000	5,50,000	41,55,000
34.	गिरिडीह	1,29,89,000	24,89,000	1,05,00,000
35.	रांची	1,15,60,000	1,59,000	1,14,01,000
36.	गुमला	95,84,000	39,58,273	56,25,727
37.	लोहरदग्गा	26,40,000	7,25,042	19,14,958
38.	हजारीबाग	1,53,12,000	13,36,371	1,39,75,729
39.	पलामू	143,29,100	88,57,654	57,71,446
40.	गढ़वा	10,00,000	---	10,00,000
41.	पू० सिंहभूम	3,00,000	---	3,00,000
42.	प० सिंहभूम	142,79,715	127,61,025	15,18,690

पत्र संख्या :- 10 /एल0 आर0 4-92/96 797 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री वैद्यनाथ प्रसाद,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 4.8.99

विषय :- बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अवशेष भूमि अर्जन) अधिनियम 1961 में संशोधन ।

महाशय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 1366 रा0 दिनांक 27.9.95 का निर्देश करें जिसके द्वारा अधिनियम के धारा 29(2) (क) (11), धारा 37 एवं 45 (बी) में अध्यादेश द्वारा संशोधन की सूचना देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के बारे में दिशा निदेश दिया गया था । उक्त अध्यादेश अधिनियमित हो गया है ।

(2) इस संशोधित अधिनियम के गजट की एक प्रति संलग्न कर भेजी जाती है । उक्त संशोधन के आलोक में निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है :-

(1) वैसे धार्मिक/न्यास/वक्फ को चिन्हित किया जाय जिन्हें पूर्व के प्रावधान के आलोक में देय युनिट के अतिरिक्त छूट में जमीन दी गई थी । ऐसे छूट में दी गयी जमीन इस संशोधित प्रावधान के आलोक में अधिशेष मानी जायेगी एवं इसके अर्जन एवं वितरण की कार्रवाई प्रारम्भ की जायगी । भूधारी को भूमि चयन का विकल्प देना होगा ।

(2) (क) वैसे अन्य अभिलेख, जिसमें छूट प्रदान नहीं किया गया था, में अन्य भूधारियों जैसा देय युनिट स्वीकृत कर भूमि अर्जन की कार्रवाई की जायेगी ।

(ख) धारा 37 के विलोपन के उपरान्त अब इस धारा के अधीन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जा सकेंगे ।

(ग) धारा 45 (बी) में संशोधन के उपरान्त अब सिर्फ राज्य सरकार ही इस धारा के अधीन निष्पादित मामलों को पुर्नजीवित कर सुनवाई के लिये सक्षम है । नये वाद अब जिला समाहर्त्ता के न्यायालय में सुनवाई के लिये स्वीकार नहीं किये जा सकेंगे ।

(घ) बिहार अध्यादेश संख्या 20/95 के प्रख्यापन की तिथि दिनांक 8.9.95 से पूर्व के समाहर्त्ता/उपायुक्त के न्यायालयों में भू-हदबंदी अधिनियम की धारा 45 (बी) के अन्तर्गत लंबित वादों के निष्पादन के लिये समाहर्त्ता/उपायुक्त पूर्णरूपेण सक्षम है । इस संबंध में महाधिवक्ता/विधि विभाग की राय की प्रति भी संलग्न है ।

3- इसकी सूचना सभी संबंधित राजस्व न्यायालयों एवं पदाधिकारियों सरकारी अधिवक्ता तथा भू-हदबंदी न्यायालयों से संबंधित सभी सहायक सरकारी अधिवक्ता को भी दे दी जाय ।

4- कृपया उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- **बैद्यनाथ प्रसाद**
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक 797 रा0, पटना, दिनांक 4.8.99

प्रतिलिपि सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी अपर सदस्य, राजस्व पर्षद एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को संशोधित अधिनियम की एक प्रति तथा महाधिवक्ता / विधि विभाग की राय की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- **बैद्यनाथ प्रसाद**
सरकार के अपर सचिव ।

अनुलग्नक :- महाधिवक्ता एवं विधि विभाग की राय ।

ADVOCATE GENERAL

Section 45 (B) of the Bihar Land Reforms (Fixation of ceiling are and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961 empowers the State Govt. or the Collector of the District so authorised in this behalf, to call for and examine any record of any proceeding disposed of by a Collector under the Act and if necessary reopen the same and dispose of afresh in accordance with the provisions of the Act. By order dated 15.5.89 contained in letter no. 1492 the State Govt. was pleased to withdraw the power of the Collecotr of the District granted under Section 45(B) of the Bihar Land Ceiling Act. However, the said power was once again restored by order dated 27.8.90 contained in letter no. 1472 issued by the State Govt. In the year 1995 an ordiance was promulgated whereby certain amendments were introduced in the Ceiling Act, one of them being abolition of the power of the District collector to initiate any proceeding under the provisions of Section 45 (B) of the Act. Subsequently the State Legislature passed Act 8 of 1997 incorporating the same provisions as were there in the Ordinance of 1995. The power of the District Collector under section 45 (B) came to an and with effect from 27.03.97.

In the above context opinion has been sought in relation to the effect of amendment to Section 45 (B) on the Powers of District Collector to hear and dispose of proceedings which were pending before him prior to 8.9.95 i.e. on the date of promulgation of ordinance no. 20 of 1995. From the note of the Law Deptt. at page 37 of the file it is evident that it holds the view that after promulgation of the Ordinance on 8.9.95 the Collector of the District has no jurisdiction to hear and dispose of pending proceedings under Section 45 (B) of the Act and the same can now be decided and disposed of only by the State Govt. This would have been the legal position but for the decision of the Hon'ble Patna High Court rendered in C.W.J.C. No. 11286 of 1995 Bhagwan Singh and others vs. The State of Bihar and others reported in 1996 (2) PLJR Page 61. The Hon'ble High Court has held that the amendmet Ordinance No. 20 of 1995 being prosepective, the power and jurisdiction of the collector to entertain an application under section 45 (B) pending before it prior to amendment ordinance is not obliterated. It has also been held that theplea that Section 45(B) has been only partially amended and therefore an application can still be made under that section before the government is not valid since there is no provision in theaofresaid Ordinance that after deletion of Power of Collector, the pending application before him would stand transferred to the Govt. for disposal.The question passed by the Administrative Deptt. stands fully answered by the above noted judicial pronouncement and accordingly I am of the opinion that the collector of the District is fully empowered to dispose of all such proceedings which were pending before him prior to promulgation of Ordinance No. 20 of 1995.

SD/- S. J. RAHMAN
GP-VII 5.6.99

Forwarded to L.R.
Sd/-
7.6.99
Advocate General, Bihar

ह० –
9.6.99

उप विधि परामर्शी

पूर्व पृष्ठ 39/टि0 से प्राप्त विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श के साथ संचिका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पृष्ठांकित करना चाहेंगे ।

ह०–
10.6.99

सचिव एवं वि0 परा0

पृष्ठ 39–40/टि0 पर महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त हो चुका है ।
उक्त परामर्श के साथ संचिका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पृष्ठांकित की जा सकती है ।

ह०–
10.6.99

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

ह०–
14.6.99

बिहार गजट

असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र 1919 (श०)

(सं० पटना, 125) पटना, वृहस्पतिवार, 27 मार्च 1997

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 मार्च 1997

सं० एल० जी०- 1-010/95 लेज०-84-- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राष्ट्रपति 12 मार्च 1997 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

(बिहार अधिनियम 8, 1997)

बिहार भूमि-सुधार (अधिकतम, सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1995

बिहार भूमि-सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 का संशोधन करने के लिये अधिनियम ।

भारत-गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं प्रसार :-

(1) यह अधिनियम बिहार भूमि-सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा सिवाय इसके कि इस अध्यादेश की धारा-2 नियत तिथि से लागू की गयी समझी जायेगी ।

(3) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा ।

2. बिहार अधिनियम 12, 1962 की धारा-29 का संशोधन :- बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन अधिनियम, 1961) (बिहार अधिनियम 12, 1962) (इसके पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट) की धारा-29 की उप-धारा (2) के

खंड (क) का उप-खंड (2) विलोपित किया जायेगा तथा सदा से विलोपित किया गया समझा जायेगा ।

3. बिहार अधिनियम 12, 1962 की धारा-37 का विलोपन :- उक्त अधिनियम की धारा-37 विलोपित की जायेगी ।

4. बिहार अधिनियम 12, 1962 की धारा 45-बी का संशोधन :- उक्त अधिनियम की धारा 45-बी में शब्द ''राज्य सरकार'' के बाद शब्द ''या जिला के समाहर्त्ता जिन्हें जिस निमित्त प्राधिकृत किये जायें'' विलोपित किया जायेगा ।

5. निरसन और व्यावृत्ति :- (1) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (बिहार अध्यादेश सं0, 27 1995) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

27 मार्च 1997

सं० एल० जी०- 1-010/95 लेज०-85-- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राष्ट्रपति द्वारा 12 मार्च 1997 को अनुमत बिहार भूमि-सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेषभूमि-अर्जन) (संशोधन) अधितिम, 1995 को निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-

(Bihar Act 8, 1997)

THE BIHR LAND REFORMS (FIXATION OF CEILING AREA AND ACQUISITION OF SURPLUS LAND) (AMENDMENT) ACT, 1995.

AN ACT

To Amend the Bihar Land reforms (Fixation of ceiling area and acquisition of surplus land) Act, 1961.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the forty-sixth year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title commencement and extent.* - (1) This Act may be called the Bihar Land Reforms (Fixtion of Celing Area andAcquisition of Surplus Land) (Amendment) Act, 1995.

(2) It shall come into force at once except section -2 of the Act which shall be deemed to have come into force with effect from the appointed date.

(3) It extends to the whole of the State of Bihar.

2. *Amendment of section -29 of the Bihar Act 12, 1962.* - In the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961 (Bihar Act 12, 1962) (hereinafter referred to as the said Act), sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (2) of section 29-shall be deleted and shall always be deemed to have been deleted.

3. *Deletionof section - 37 of Bihar Act 12, 1962.*- In the said Act, section - 37 shall be deleted.

4. *Amendment of section - 45 B of Bihar Act 12, 1962.*- In the said Act, in section - 45 B after the words "The State Government" the words "or the Collector of the district, who may be authorised in this behalf" shall the deleted.

5. *Repeal and Savings.*- (1) The Bihar Land Reforms (Fixation of Celling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Second Ordinance,1995 (Bihar Ordinance No. 27, 1995) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any powers conferred by or under the said ordinance, shall be deemed to been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भिखारी राम,
सचिव, विधि विभाग ।

पत्र संख्या :- 10 /एल0 आर0 4-29/99 778 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस0 एन0 विश्वास,

मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सदस्य, राजस्व पर्षद/सभीअपर सदस्य, राजस्व पर्षद ।

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।

पटना-15, दिनांक 28.7.99

विषय :- विभिन्न न्यायालयों में लम्बित भू-हदबन्दी वादों के त्वरित निष्पादन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि भू-हदबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत सम्पूर्ण बिहार राज्य में विभिन्न न्यायालयों में भू-हदबन्दी के कुल 1723 मामले लम्बित हैं जिनमे कुल 1,59,820.17 एकड़ भूमि सन्निहित हैं । इनमें माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित 648 मामले में 50097.85 एकड़ भूमि तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित 24 मामलों में 1432.86 एकड़ भूमि निहित है । शेष उप समाहर्त्ता भूमि सुधार से लेकर राजस्व पर्षद तक के न्यायालयों में भू-हदबन्दी के लम्बित 1051 मामलों में 108289.46 एकड़ भूमि निहित है । यदि इन मामलों का निष्पादन शीघ्र हो जाता है तो काफी भूमि भूमिहीनों के बीच वितरण के लिये उपलब्ध हो जायेगी । माननीया मुख्य मंत्री ने इन लम्बित मामलों में इतने अधिक वितरण योग्य भूमि के फंसे रहने के प्रति गहरी चिन्ता व्यक्त की है तथा निर्देश दिया है कि इन लम्बित मामलों के शीघ्र निष्पादन का समुचित प्रबन्ध किया जाय ।

2- अत: यह निर्णय लिया गया है कि उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार एवं अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर पर लम्बित भू-हदबन्दी वादों की समीक्षा प्रमण्डलीय आयुक्त नियमित रूप से करेंगे तथा यह देखेंगे कि वादों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब नहीं हो तथा वादों का शीघ्रताशीघ्र निष्पादन हो सके एवं इसके फलस्वरुप प्राप्त भूमि, भूमिहीनों के बीच वितरण हेतु उपलब्ध हो सके । इसी प्रकार अपर समाहर्त्ता / समाहर्त्ता / उपायुक्त / प्रमण्डलीय आयुक्त के स्तर पर लम्बित वादों के निष्पादन की समीक्षा सदस्य, राजस्व पर्षद एवं अपर सदस्य, राजस्व पर्षद नियमित रूप से करेंगे।

विश्वासभाजन

(एस0एन0 विश्वास)

मुख्य सचिव, बिहार ।

ज्ञापांक 778 रा0, पटना, दिनांक 28.7.99

प्रतिलिपि सभी समाहर्त्ता/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(डी0 पी0 महेश्वरी)

आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 12 भूदान - 10/99-297 / रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री डी० पी० महेश्वरी,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना, दिनांक 3.4.99

विषय :- भू-हदबंदी की अधिशेष भूमि, भूदान भूमि एवं गैरमजरूआ भूमि (गैर मजरूआ आम रहित) सुयोग्य श्रेणी के साथ बन्दोबस्ती एवं वितरण करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य सरकार गरीबों एवं सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु चिन्तित हैं । सरकार यह दृढ़ निश्चय है कि यदि भूमि सुधार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन अधिनस्थ पदाधिकारियों द्वारा निष्ठापूर्वक समय सीमा के अन्दर किया जाय तो गरीबों एवं सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों की दशा में आशातीत सुधार हो सकती है ।

2. अतएव भूमि सुधार कार्यक्रमों के तहत यह निर्णय लिया गया है कि देहाती क्षेत्र में अवस्थित सभी भू-हदबन्दी की अधिशेष भूमि, भूदान भूमि एवं गैरमजरूआ सरकारी भूमि (गैर मजरूआ आम रहित) जिसके संबंध में कोई मामला न्यायालय में लंबित नहीं हो एवं विवाद रहित हो, को अभियान चलाकर चिन्हित करते हुए भूमिहीन सुयोग्य श्रेणी यथा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग । एवं 2 के बीच 30 जून 1999 तक निश्चित रूप से वितरित/बन्दोबस्त कर दिया जाय । प्रासंगिक भूमि वितरण एवं बन्दोबस्ती में समानता का ख्याल अवश्य रखा जाय ताकि भेद-विभेद न हो सके ।

3. भूमि वितरण/बन्दोवस्ती के समय ही उन्हें भूमि पर वास्तवित कब्जा दिलाते हुए दाखिल खारिज एवं लगान रसीद हस्तगत करा दिया जाय । सरकार को सिर्फ कागजी वितरण/बन्दोवस्ती की सूचना या शिकायत किसी श्रोत से प्राप्त होगी, तो वैसे मामले को सरकार गभीरता से लेगी एवं सबद्ध पदाधिकारी को सरकार के आदेश की अवहेलना का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध कठोरतम अनुशासनिक कार्रवाई करने को बाध्यता सरकार के समक्ष उपस्थित होगी ।

4. कृपया कृत कार्रवाई से संबंधित तीनों भूमि का पूर्ण प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में अलग-अलग विवरणी के साथ सरकार को प्रत्येक माह के 15 एवं 30 तारीख को विशेष दूत / फैक्स संवाद द्वारा भेजा जाय ।

5. जिलों में जो वितरण योग्य भूमि उपलब्ध हो, जिसे वितरण करना है उसके लिये समाहर्त्ता/उपायुक्त माननीय मंत्री से समय लेकर ही वितरण का कार्यक्रम बनायेंगे ।

6. कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह राज्य स्तर पर आयोजित अपर समाहर्त्ताओं की बैठक में की जायेगी ।

विश्वासभाजन

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक 297 रा०, पटना, दिनांक 3.4.99

प्रतिलिपि सभीअपर समाहर्ता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक 297 रा०, पटना, दिनांक 3.4.99

उनसे अनुरोध है कि इस अभियान की समीक्षा अपने स्तर पर 15 दिनों के अन्तराल में अवश्य करने का कष्ट करें ।

(डी० पी० महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 12 भूदान - 10/99-296 / रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री डी० पी० महेश्वरी,

आयुक्त एव सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना, दिनांक 3.4.99

विषय :- वितरित/बन्दोबस्त भू-हदबंदी की अधिशेष भूमि, भूदान भूमि एवं गैरमजरूआ भूमि पर भूमिहीन सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों को दखल कब्जा नहीं मिलने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सरकार की विभिन्न क्षेत्रों से सूचना एवं शिकायतें प्राप्त हो रही है कि अनेकानेक भूमिहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वितरित एवं बन्दोबस्त भूमि पर दखल कब्जा नहीं दिलाया जाता है अथवा उनका दखल कब्जा नहीं है, जिसके फलस्वरुप विवाद एवं असंतोष बढ़ता है और शान्ति भंग होती है । यह सरकार के लिये गंभीर चिन्ता काविषय है । ऐसी परिस्थिति में भूमि सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाता है ।

अतः कृपया इस मामले में अपने स्तर पर पूर्ण समीक्षा 15 दिनों के अंदर संलग्न प्रपत्र में एक पूर्ण प्रतिवेदन सरकार को अलग अलग भूमि के संबंध में अपने विशेष दूत के माध्यम से निश्चित रूप से भेजने का कष्ट करें ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

विश्वासभाजन

(डी० पी० महेश्वरी)

आयुक्त एवं सचिव ।

प्रपत्र

वितरित/बन्दोबस्त भूमि का किस्म-भू-हदबन्दी का अभिशेष

जिला का नाम	अब तक कुल वितरित भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या हरिजन-आदिवासी-सक्षम पिछड़ वर्ग अन्य	प्राप्त दखल कब्जा की स्थिति		दखल कब्जा नहीं प्राप्त होने की स्थिति		दाखिल खारिज की स्थिति	
			एकड़	लाभान्वित की सं0	एकड़	आवंटियों की सं0	लाभान्वितों की सं0 एवं एकरेज	लम्बित एकरेज एवं लाभान्वित
1	2	3	4		5		6	

भूदान एवं गैर मजरूआ की स्थिति भी उपरोक्त प्रपत्र मे ही दर्शाया जाये ।

पत्र संख्या :- 14/सै० -1-0-11/92-567 - रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस० एन० पी० एन० सिन्हा

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त ।

पटना - 15, दिनांक 26.9.92

विषय :- बिहार भूमि सुधार (अधिनियम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1995 ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा आधिशेष भूमि अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (बिहार अध्यादेश संख्या 20, 1995) अधिसूचना संख्या - एल० जी० 1-010/95 लेज-260 दिनांक 8.9.95 के अधीन बिहार राजपत्र के उसी तिथि के असाधारण अंक में प्रेकाशित किया जा चुका है । अध्यादेश की प्रति आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है ।

2. उक्त अध्यादेश से विदित होगा कि अधिनियम (बिहार अधिनियम 12, 1962) कीधारा 29, 27 एवं 45 (बी) में संशोधन किये गये हैं । अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खण्ड (क) का उप खण्ड (11) विलोपित कर दिया गया है तथा इसे सदा से विलोपित समझा जायेगा । इसका प्रभाव नियत तिथि 9.9.70 से होगा । फलस्वरुप जिन धार्मिक संस्थाओं को धारा29 (2) (क) (11) के अन्तर्गत 9.9.70 के बादपूर्व में छूट प्रदान की गई है वह स्वतः समाप्त हो गयी है । 9.9.70 के बाद में धार्मिक संस्थाओं को कोई छूट देय नहीं होगी । वैसे मामलों में जहां छूट स्वीकृत हो चुकी है उसमें छूट में दी गयी जमीन अब कानूनन अधिशेष हो गयी है । जिला के समाहर्त्ता उतनी जमीन को धारा - 15(1) के अन्तर्गत तत्काल अधिसूचित करके अर्जित करेंगे और इसके वितरण की व्यवस्था करेंगे । जिन मामलो में छूट की स्वीकृति नहीं दी गई है, उनमें छूट का कोई प्रस्ताव विचारणीय नहीं होगा और भू-धारी की कुल प्रतिवेदित भूमि पर कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी ।

3. उक्त अध्यादेश द्वारा अधिनियम (बिहार अधिनियम 12, 1962) की धारा 37 में अंकित प्रावधान विलोपित कर दिया गया है जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 8.9.95 से प्रभावी हो गया है । अध्यादेश प्रख्यापित होने की तिथि से इस धारा के अधीन कोई भी आवेदन जिला के समाहर्त्ता द्वारा न तो स्वीकार किये जायेंगे और न निष्पादित किये जायेंगे ।

4. बिहार अधिनियम 12,1962 की धारा 45 (बी) में उस अंश को अध्यादेश 20, 1995 द्वारा विलोपित कर दिया गया है जिसके द्वारा जिला के समाहर्त्ता को निष्पादित मामलों की जांच कर पुनर्जीवित करने की शक्ति प्रदत्त थी । अध्यादेश का यह प्रावधान भी अध्यादेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 8.9.95 से ही लागू हो गया है । अब यह शक्ति सिर्फ राज्य सरकार को ही है । अतएव जिला के समाहर्त्ता उक्त धारा के अधीन अब दायर परन्तु अन-एडमिटेड मामलों का ऐडमिशन नहीं कर पायेंगे ।

5. धारा - 37 अथवा धारा - 45 बी के तहत सुनवाई हेतु ऐडमिटेड और विचाराधीन मामलों में उपरोक्त अध्यादेश का उल्लेख करते हुए समाहर्त्ता उन्हें ड्राप करने का आदेश अभिलेख में अंकित करेंगे ।

6. कृपया इस अध्यादेश (बिहार अध्यादेश 20, 1995) के प्रावधानों से सभी संबंधित पदाधिकारी एवं सरकारी अधिवक्ता को अवगत करा दिया जाय ।

विश्वासभाजन

(एस० एन० पी० एन० सिन्हा)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक 1366 रा०, पटना, दिनांक 26.9.96

प्रतिलिपि अध्यादेश की प्रतिलिपि सहित सभी अपर समाहर्त्ता (भू-हदबंदी सहित)/अनुमंडल पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(अलखदेव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक 1366 रा०, पटना, दिनांक 26.9.96

प्रतिलिपि अध्यादेश की प्रतिलिपि सहित सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

(अलखदेव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या :- 10/एल0 आर0 - 10/91 438 रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री मदन प्रसाद सिंह मौवार
सरकार के उप-सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त ।

पटना - 15, दिनांक 15.3.91

विषय :- शहरी या नगरपालिका क्षेत्र को भूमि की भू-हदबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत अधिशेष घोषित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि विभागीय पत्रांक - 10 सी0 पी0 13/81-682 भू0 सु0 दिनांक 3.3.81 प्रतिलिपि संलग्न द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि नगर पालिका/अधिसूचित क्षेत्र की भूमि पर बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम 1961 के प्रावधान प्रभावी नहीं होंगे । इस विषय की समीक्षा राज्य सरकार द्वारा पुनः की गयी है, एवं विधि पदाधिकारियों के परामर्श के आलोक में सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कृषि प्रयोजन में व्यवहृत नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र में अवस्थित भूमि पर बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 के प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित भूमि पर लागू होते हैं ।

2- अतएव प्रासंगिक विभागीय पत्रांक - 682 भू0 सु0 दिनांक 3.3.81 द्वारा स्पष्टीकरण को सरकार ने निरस्त करने का निर्णय लिया है।

3- अनुरोध है कि बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम 1961 के अधीन हदबन्दी संबंधी मामलों का निष्पादन इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए किया जाय ।

विश्वासभाजन

(मदन प्रसाद सिंह मौवार)
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञापांक 438 रा0, पटना, दिनांक 15.3.91

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्त्ता/सभी अनुमंडलाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता/सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं मार्ग प्रदर्शनार्थ प्रेषित ।

(मदन प्रसाद सिंह मौवार)
सरकार के उप-सचिव ।

पत्र संख्या :- 10/सी (पी0) 13/81 - 682 भू0 सु0

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री श्याम देव प्रसाद
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया ।

पटना - 15, दिनांक 3/6 मार्च 1981

विषय :- नगरपालिका के अधिसूचित क्षेत्र की जमीन भू-हदबन्दी अधिनियम से प्रभावित होने या न होने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक - 20 भू0 सु0, दिनांक 23.1.80 के प्रसंग में मुझे कहना है कि आपके प्रसंगाधीन पत्र में निहित बिन्दु की वैधता की जांच की गयी और विधि विभाग की राय भी प्राप्त की गयी है । जांचोपरान्त विधि परामर्शी की राय के आलोक में सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन अधिनियम 1962 के प्रावधान नगरपालिका के अधिसूचित क्षेत्र की भूमि पर प्रभावी नहीं होंगे ।

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के अनुसार ही कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

(श्याम देव प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 682 भू0 सु0 पटना-15, दिनांक 3/6 मार्च, 1981

प्रतिलिपि सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी अनुमंडलाधिकारी/सभी उप समाहर्त्ता/भूमि सुधार को आवश्यक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(श्याम देव प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 682 भू0 सु0 पटना-15, दिनांक 3/6 मार्च, 1981

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(श्याम देव प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या :- 7 सी०/भूदान 11-1 /2001 908 रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री के० ए० एच० सुब्रमणियन,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
बिहार भूदान यज्ञ समिति,
कदमकुआँ, पटना ।

पटना - 15, दिनांक 20.9.2001

विषय :- भूदान से प्राप्त जमीनों के ब्योरा के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि भूदान यज्ञ से प्राप्त भूमि एवं उसके वितरण के संबंध में सही आकड़े जिला पदाधिकारियों को जिला में स्थित भूदान कार्यालय से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है । साथ ही साथ भूदान से दी जानेवाली जमीन में लाभान्वित साथ ही साथ खाता खेसरा और रकवा अंकित रहना चाहिये वह भी नहीं मिल पा रहा है ।

जिला में स्थित भूदान के पदाधिकारी समाहर्त्ता से सम्पर्क कर उन्हें सही स्थिति से अवगत नहीं कराते हैं । परिणाम यह हो रहा है कि जमीन का वितरण एवं दखल कब्जा सही ढंग से नहीं हो पा रहा है ।

बहुत जिलों में दान दी गयी जमीन का दाखिल खारिज भी नहीं हो पा रहा है । कहीं कहीं एक ही जमीन को कई व्यक्तियों के नाम से दे दिया जाता है जिससे अनावश्यक भू-विवाद उत्पन्न हो जाता है जिससे विधि व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हो जाती है ।

विभाग के द्वारा जिला कार्यालयों को संचालित करने के लिये राशि भी उपलब्ध करायी जाती है । जिला स्थित भूदान के पदाधिकारी को स्पष्ट निदेश दें कि वे समाहर्त्ता से सम्पर्क बनाकर भूदान की जमीन से संबंधित वास्तविक अद्यतन स्थिति की जानकारी समाहर्त्ता को दें एवं अविलम्ब भूदान जमीन को शीघ्र वितरण करावें ।

बार-बार स्मार के बाद भी आपके कार्यालय से जिलावार दान में प्राप्त जमीन अबतक का वितरित जमीन और अवशेष जमीन का सत्यापित प्रति नहीं प्राप्त हो रही है । अवशेष जमीन का वितरण अब तक हो जाना चाहिये परन्तु यह वितरण नहीं किया जा रहा है जो काफी गंभीर विषय है । अभियान चलाकर भूदान से प्राप्त जमीन जो अबतक नहीं बटी है उसका वितरण कराना सुनिश्चित करें । समाहर्त्ता के द्वारा राजस्व संबंधी जिला स्तरीय समीक्षा के दौरान भूदान के पदाधिकारियों को अनिवार्य रूपसे उपस्थित रहने का आदेश भी निर्गत करें ताकि भूमि सुधार की दिशा में प्रगति हो सके ।

की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावें ।

विश्वासभाजन

(के०ए०एच० सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 908 रा० पटना -15 दिनांक 20.9.2001

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ । अपने प्रमण्डलान्तर्गत जिला समाहर्त्ताओं को इसकी जानकारी उपलब्ध करा दिया जाय ।

(के०ए०एच० सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 137 क 11/भू0 सु0 -11 339 / रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री ए० के० चौबे,

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त ।

पटना, दिनांक 3.7.2000

विषय :- अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 207 दिनांक 13.2.1981 को भूत लक्षी प्रभाव से निरसित (रिपिल) किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार ने विचारोपरान्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 207 दिनांक 13.2.81 को जमीन बन्धक रखने वाले गरीब और जरुरत मन्द व्यक्तियों को बिहार साहुकार अधिनियम 1974 में दिये गए अधिकार के हनन होने के कारण उसे भूतलक्षी प्रभाव से निरसित (रिपिल) कर दिया हैं । उसे निरसित करने वाली अधिसूचना एस0 ओ0 285 दिनांक 17.6.2000 संलग्न है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि अधिसूचना संख्या - एस0 ओ0 285 दिनांक 17.6.2000 को कार्यान्वित कराने की कृपा की जाय । कृपया उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ।

विश्वासभाजन

(ए0 के0 चौबे)

उप सचिव ।

ज्ञापांक 339 रा0, पटना, दिनांक 3.7.2000

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

(ए0 के0 चौबे)

उप सचिव ।

बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।
॥ अधिसूचना ॥

पटना - 15, दिनांक 17.6.2000

एस0 ओ0 285 चूंकि बिहार साहूकार अधिनियम 1974 (बिहार अधिनियम संख्या - 22, 1975) की धारा- 12 में यह उपबंध है कि कृषि भूमि सम्बन्धी भोग बंधक के मूलधन और सभी पावनों को ऐसी भूमि सम्बन्धी बंधक पत्र के निष्पादन की तिथि से सात वर्षों की अवधि समाप्त होने पर पूर्णतः चुका दिया गया और बंधक का पूर्णतः मोचन हुआ समझा जाएगा तथा बंधककर्त्ता बंधकित भूमि पर कब्जा पाने का हकदार होगा ।

और, चूंकि बिहार साहूकार अधिनियम 1974 की धारा-12 का उद्देश्य जमीन बंधक रखने वाले गरीबों को राहत पहुंचाना था और ऋण का सूद नियंत्रण करना था, परन्तु राजस्व भूमि सुधार विभाग विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 - 207 दिनांक 13.2.1981 द्वारा जमीन बंधक रखने वाले गरीब और जरुरतमन्द व्यक्तियों को अधिनियम में दिये गये अधिकार का ही हनन हो गया है ।

और चूंकि राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि ऐसे गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए पूर्व में निर्गत अधिसूचना, अधिसूचना संख्या एस0 ओ0-207, दिनांक 13.2.81 को भूतलक्षी प्रभाव से निरसित (रिपील) किया जाय ।

इसलिए, अब उक्त अधिनियम की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पूर्व में निर्गत अधिसूचना अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 207 दिनांक 13.2.81 को भूतलक्षी प्रभाव से निरसित (रिपील) करती है ।

संचिका संख्या 11/भू0 सु0 10-8/99

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ए0 के0 चौबे)
सरकार के उप सचिव ।

एस0 ओ0 285 दिनांक 17.6.2000 का निम्नलिखित अंग्रेजी में अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 346 के खण्ड 3 के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

संचिका संख्या 11/भू0 सु0 10-8/99

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ए0 के0 चौबे)
सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

ज्ञापांक 11/भू0 सु0 10-8/99 285 रा0 पटना दिनांक 17.6.2000

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मंद्रणालय, गुलजारबाग पटना - 7 को अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियां राजस्व में भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।

(ए0 के0 चौबे)
सरकार के उप सचिव ।

GOVERNMENT OF BIHAR
LAND REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

17.6.2000

S.O. 285 / whereas section 12 of the Bihar Money Lenders Act 1974 (Bihar Act 22 of 1975) provides that the principal amount and all dues in respect of a usufructuary mortgage relating to any agricultural land is shall be deemed to have been fully satisfied and the mortgage shall be deemed to have been wholly redeemed on expiry of a period of seven years from the date of the execution of the mortgage bond, in respect of such land, the mortgagor shall be entitled to recover possession of the mortgaged land.

And whereas the aim of section 12 of Bihar Money Lender Act, 1974 was to give relief to poor persons mortgaging land and to control interest of credits but, the right given by the said Act to poor and needy persons mortgaging Land has been taken away by Notification No. S.O. 307 dated 13.2.1981 issued by Revenue & Land Reforms Department.

And whereas the State Government consider it necessiary that the Notification issued earlier, notification No. S.O. 207 dated 13.2.1981 be repealed with netrospective effect to give relief to such poor persons.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act the State Government is pleased to repeal the notification issued earlier, notification no. S.O. 207 dated 13.2.1981 with retrospective effect.

File No. 11 LR 10-8/99
By order of the Governor of Bihar

(H.K. Choubey)
Deputy Secretry to Government

बिहार सरकार

विधि विभाग

बिहार साहूकार अधिनियम, 1974
(बिहार अधिनियम 22, 1975)

बिहार साहूकार अधिनियम, 1974

विषय-सूची

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएँ ।
3. इस अधिनियम के प्रवर्तन से साहूकारों को छूट ।
4. साहूकारों का रजिस्टर
5. साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण-फीस ।
6. रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण पत्र की अवधि ।
7. रजिस्ट्रीकृत साहूकार का लेखा रखने और रसीद देने का कर्त्तव्य तथा लेखे का निरीक्षण ।
8. उधार की वसूली के लिए एकमात्र रजिस्ट्रीकृत साहूकारों द्वारा वाद का चलने योग्य होना ।
9. ब्याज की अधिकतम दरें ।
10. चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के लिए किए गए करार का शून्य होना ।
11. अधिकतम राशि, जिसे मूलधन और ब्याज मद्दे कोई साहुकार ऋणी से वसूल कर सकेगा ।
12. भोग बंधक औरउनका मोचन ।
13. कतिपय संव्यवहार का पुनरारम्भ करने की न्यायालय की शक्ति ।
14. बंधककर्त्ता की साम्या (इक्विटी) या मोचन का अंतरण ।
15. किसी उधार के संबंध में देयराशि की किस्तों में भुगतान करने का आदेश डिक्री द्वार दिया जाना ।
16. डिक्री की राशि की किस्तों में भुगतान करने का निदेश देने की शक्ति ।
17. परिस्थितियां, जिन पर न्यायालय को किस्त नियत करते समय विचार करना चाहिये ।
18. न्यायालय द्वारा निर्गत ऋणी की सम्पति के मूल्य का प्राक्कलन किया जाना ।
19. निर्णीत ऋणी की सम्पत्ति के केवल पर्याप्त भाग का ही बेचा जाना ।
20. होल्डिंग का वह भाग, जिसे डिक्री के निष्पादन में कुर्की का विक्रय से छूट दी जायगी ।
21. कुसीदात्मक उधार अधिनियम (यूसुरियस लोन्स ऐक्ट) 1918 के अधीन न्यायालय की शक्तियों की व्यावृत्ति ।
22. ऋणी, आदि को उधार का नगद भुगतान अवर-रजिस्ट्रार (सब-रजिस्ट्रार) की उपस्थिति में किया जाना ।
23. विवादों की बोर्ड को निदेशित करने सम्बन्धी राज्य - सरकारकी शक्ति ।
24. बोर्ड का गठन ।
25. निर्दिष्ट किये जाने पर घटित होने वाले परिणाम ।
26. विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करने के लिये बोर्ड का कर्त्तव्य ।
27. सौहार्द्रपूर्ण निपटारा नहीं होने की दशा में बोर्ड द्वारा विवाद की जांच पड़ताल तथा विनिश्चित किया जाना ।
28. बहुमत की राय का अभिभावी होना ।
29. बोर्ड के विनिश्चय का रूप एवं प्रभाव ।
30. बोर्ड द्वारा अपनी ही प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना ।
31. साक्षियों को सम्मन करने और दस्तावेजों को पेश करने के लिए विवश करने की बोर्ड की शक्ति ।

32. राज्य सरकार की शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
33. रजिस्ट्रीकरण-प्रमाणपत्र को रद्द करने की समाहर्त्ता की शक्ति ।
34. अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये शास्ति ।
35. सलामी, बाटा, गद्दियाना आदि लेने पर शास्ति ।
36. राज्य के बाहर भुगतान करने की संविदा काशून्य होना ।
37. उधार मद्दे देय धन को न्यायालय में निक्षेप करने की शक्ति ।
38. ऋण की तुष्टि संबंधी घोषणा के लिये ऋणी द्वारा आवेदन ।
39. न्यायालय द्वारा दी गई रसीद, जमा की गई रकम के लिए निस्तारण रूप में काम करेगी ।
40. इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को सिविल न्यायालय की शक्ति होना ।
41. इस अधिनियम के अधीन की जानेवाली जांच और कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना ।
42. न्यायालय फीस ।
43. समाहर्त्ता आदि का सामान्य निदेश, नियंत्रण और अधीक्षण
44. अपील ।
45. पुनरीक्षण ।
46. किसी मामले का अभिलेख मांगने की प्रमंडल-आयुक्त की शक्ति ।
47. नियम बनाने की शक्ति ।
48. निरसन और व्यावृत्ति

(बिहार अधिनियम 22, 1975)

बिहार साहूकार अधिनियम, 1974

(इस अधिनियम पर राष्ट्रपति ने 20 मार्च 1975 को अनुमति दी है और यह अनुमति पहली बार "बिहार गजट" के असाधारण अंक तारीख 25 मार्च 1975 में प्रकाशित हुई ।)

बिहार राज्य में साहूकारी संव्यवहारों के विनियमन से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने तथा ऋणियों को राहत प्रदान करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ :- (1) यह अधिनियम बिहार साहूकार अधिनियम, 1974 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण बिहार राज्य में है ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं :- जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में -

(क) "अंचल अधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य-सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई पदाधिकारी ;

(ख) "समाहर्त्ता" के अन्तर्गत अपर समाहर्त्ता, अपर उप-आयुक्त और उप-समाहर्त्ता से अन्यून पंक्ति का कोई ऐसा पदाधिकारी भी है; जो इस अधिनियम के अधीन समाहर्त्ता के किसी या सभी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राज्य-सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त हो ;

(ग) "आयुक्त" के अन्तर्गत अपर आयुक्त और जिले के समाहर्त्ता से अन्यून पंक्ति का कोई ऐसा पदाधिकारी भी है, जो इस अधिनियम के अधीन आयुक्त के किसी या सभी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हो;

(घ) "न्यायालय" के अन्तर्गत अंचल अधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों से उदभूत होनेवाले किसी विवाद का विनिश्चय करनेवाला कोई पदाधिकारी, बिहार और उड़ीसा लोक-माँग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन कोई सर्टिफिकेट पदाधिकारी भी है तथा इसके अन्तर्गत कोई ऐसा पदाधिकारी भी है, जो इस अधिनियम के अधीन अंचल अधिकारी या समाहर्त्ता या आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने और उसके सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए इस निमित्त अधिसूचना के जरिए राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त हो;

(ङ) "डिक्री" के अन्तर्गत अधिनिर्णय और बिहार और उड़ीसा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन पारित कोई अभिदान आदेश अथवा इस अधिनियम के अधीन अंचल अधिकारी या राजस्व पदाधिकारी द्वारा पारित कोई डिक्री भी है;

(च) "डिक्रीदार" के अन्तर्गत बिहार और उड़ीसा लोक-मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन कोई सर्टिफिकेट-धारक भी है;

(छ) "ब्याज" से अभिप्रेत है ब्याज की दर और इसके अन्तर्गत वस्तुतः उधार दिये गये धन के अतिरिक्त वापस की जानेवाली रकम भी है, चाहे वह ब्याज के रूप में या अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से प्रभारित की जाय या वसूल की जानेवाली हो;

(ज) "निर्णित ऋणी" के अन्तर्गत बिहार और उड़ीसा लोक-मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन कोई सर्टिफिकेट ऋणी भी है ;

(झ) "भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता" से अभिप्रेत है -

(i) राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई पदाधिकारी, या

(ii) उप-समाहर्त्ता से अन्यून पंक्ति का कोई ऐसा पदाधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता के सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिये राजपत्र में अधिसूचना के जरिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो;

(ज) "उधार" से अभिप्रेत है किसी साहूकार द्वारा ब्याज पर दिया गया कोई उधार, चाहे वह धन के रूप में दिया गया हो या वस्तु के रूप में और इसके अन्तर्गत मन ड्योढ़ा, सवैया, रेहन, बन्धकी, पौनी, सूद भरना, किसी तथा किसी विगत दायित्व के संबंध में निष्पादित किसी ब्याज प्रदायी बंधपत्र पर किया गया कोई संव्यवहार तथा कोई ऐसा संव्यवहार भी है, जो सारतः उधार हो, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं होंगे:-

(i) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया कोई उधार;

(ii) किसी डाकघर बचत बैंक में धन का निक्षेप अथवा किसी अन्य बैंक या किसी कम्पनी में अथवा बिहार और उड़ीसा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जानेवाली किसी सहकारी सोसाइटी के धन या किसी अन्य सम्पत्ति का निक्षेप ;

स्पष्टीकरण - (i) उधार पर लिए गए माल के संबंध में निष्पादित कोई ब्याज प्रदायी बंधपत्र उधार के अन्तर्गत आता है;

(ii) उधार पर माल की आपूर्त्ति करना उधार नहीं है ;

(ट) "साहूकार" से अभिप्रेत है उधार देनेवाला व्यक्ति और इसके अन्तर्गत उधार देनेवाले व्यक्ति का अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब तथा विरासत या समनुदेशन द्वारा या अन्यथा वैध प्रतिनिधि और हित उत्तराधिकारी भी है ;

(ठ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(ड) उधार के संबंध में "मूलधन" से अभिप्रेत है ऋणी को वस्तुतः उधार दी गयी रकम ;

(ढ) "रजिस्ट्रीकृत साहूकार" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके पास धारा 4 के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभी भी अस्तित्व में हो और वह (रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र) धारा 33 के अधीन रद्द नहीं किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत किसी रजिस्ट्रीकृत साहूकार का अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब तथा विरासत या समनुदेशन द्वारा अथवा अन्यथा वैध प्रतिनिधि और हित उत्तराधिकारी भी है;

(ण) "प्रतिभूत उधार" से अभिप्रेत है वह उधार, जिसके लिए साहूकार उधार के प्रतिभूति स्वरूप ऋणी की सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर बन्धक, प्रभार या धारणाधिकार धारण करता हो;

(त) "अवर-रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है कोई अवर-रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन इस रूप में नियुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अंचलाधिकारी या अन्य पदाधिकारी भी है, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के जरिए, इस अधिनियम के अधीन अवर रजिस्ट्रार के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करें ;

(थ) "वाद" के अन्तर्गत किसी उधार की वसूली के लिये की गयी कोई कार्यवाही भी है, जो अंचल अधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों से उद्भूत होनेवाले किसी विवाद का विनिश्चय करनेवाले किसी पदाधिकारी, बिहार और उड़ीसा लोक-मांग वसूली अधिनियम; 1914 के अधीन किसी सर्टिफिकेट पदाधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अंचल अधिकारी, समाहर्त्ता या आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने वाले और उसके सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करनेवाले किसी व्यक्ति के समक्ष किसी उधार की वसूली के लिए की गयी हो तथा इसके अन्तर्गत अपील भी आती है; और

(द) "अप्रतिभूत उधार" से अभिप्रेत है प्रतिभूत उधार से भिन्न कोई उधार ।

3. इस अधिनियम के प्रवर्त्तन से साहूकारों को छूट :- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे किसी विशेष कारण या कारणों से, जो ऐसी अधिसूचना में विवरणित किए जायेंगे किसी वर्ग के साहूकारों अथवा किसी वर्ग के उधार को, सम्पूर्ण बिहार राज्य में या उसके किसी भाग में इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्त्तन से छूट दे सकेगी ।

अध्याय 2

साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण और उनके द्वारा रखे जाने वाले लेखे ।

4. साहूकारों का रजिस्टर:- (1) प्रत्येक अंचल अधिकारी अथवा ऐसा अन्य पदाधिकारी, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में इस निमित्त प्रकाशित अधिसूचना के जरिए नियुक्त करे, साहूकारों का एक रजिस्टर रखेगा, जो यथाविहित के जरिए नियुक्त करे, साहूकारों का एक रजिस्टर रखेगा, जो यथाविहित प्ररूप (फारम) में होगा और जिसमें यथाविहित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी ।

(2) ऐसा रजिस्टर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के यथान्तर्गत लोक दस्तावेज समझा जाएगा ।

5. साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण-फीस :- (1) प्रत्येक साहूकार अपने को रजिस्ट्रीकृत कराएगा और जबतक इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं हो जाएगा तबतक उसके लिए इस रूप में कार्य करना विधिपूर्ण नहीं होगा ।

(2) साहूकार के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई व्यक्ति लिखित रूप में आवेदन करेगा, जिसमें वह निम्नलिखित बातों का उल्लेख करेगा :-

(क) आवेदक का नाम और पता,

(ख) नाम और अभिनाम, जिसके अधीन वह साहूकार के रूप में कारबार करता हो या करना चाहता हो,

(ग) उसके कारबार के मुख्य स्थान और उसकी शाखाएं, यदि कोई हों,

(घ) क्या अधिनियम के अधीन उसे एतत्पूर्व दिए गए रजिस्ट्रीकरण का कोई प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया गया है, और

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाय ।

(3) (क) उप-धारा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन-पत्र, विहित रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ उस अंचल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा जिसकी अधिकारिता में उप-धारा (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट कारबार कामुख्य स्थान अवस्थित हो ।

(ख) ऐसा कोई भी आवेदन, जिसके साथ विहित रजिस्ट्रीकरण फीस नहीं हो अथवा जिसमें उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अन्तर्विष्ट न हों, संक्षेपत: अगृहीत कर दिया जाएगा ।

(4) राज्य सरकार, नियमों द्वारा, साहूकारों के विभिन्न वर्गों के लिए और विभिन्न क्षेत्रों के लिए रजिस्ट्रीकरण के निमित्त आवेदक द्वारा चुकायी जाने वाली रजिस्ट्रीकरण-फीस, जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगी, विहित कर सकेगी ।

परन्तु, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को यातो सामान्य रूप से या केवल विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट दे सकेगी ।

(5) उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त करने के बाद अचंल अधिकारी उस स्थिति को छोड़कर जहां आवेदक को एत्तपूर्व दिया गया प्रमाण-पत्र धारा 33 के अधीन रद्द कर दिया गया हो और रद्दकरण का आदेश प्रवृत्त ही हो, आवेदकों को विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देगा ।

6. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की अवधि :- धारा 5 के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र उसके दिए जाने की तारीख से पांच वर्षों तक प्रवृत्त रहेगा, जबतक कि वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारा 33 के अधीन पहले ही रद्द न कर दिया जाए ।

7. रजिस्ट्रीकृत साहूकार का लेखा रखने और रसीद देनेका कर्त्तव्य तथा लेखे का निरीक्षण :- (1) बिहार साहूकार अधिनियम 1938 (1938 का बिहार अधिनियम 3) के प्रारम्भ के पश्चात् उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक उधार के बारे में तथा उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् उसके द्वारा किए गए प्रत्येक संव्यवहार के बारे में जो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व यापश्चात् उसके द्वारा दिए गए किसी उधार से संबंधित हो प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत साहूकार-

(क) नियमित रूप से लेखा अभिलिखित करेगा और रखेगा अथवा अभिलिखित करवायेगा या रखवायेगा, जिसमें प्रत्येक ऋणी के लिए निम्नलिखित बातें दर्शित रहेगी :-

(i) उधार की तारीख, उधार का मूलधन तथा उधार पर भारित ब्याज की प्रतिवर्ष प्रति सैकड़ा दर,

(ii) उधार के संबंध में साहूकारों द्वारा प्राप्त प्रत्येक भुगतान की राशि तथा ऐसे भुगतान की तारीख और

(iii) अन्य निबंधन, जिनपर साहूकार और ऋणी आपस में सहमत हों ;

(ख) ऋणी या उसके अभिकर्त्ता को उसके (ऋणी) द्वारा या उसके ओर से चुकायी गयी प्रत्येक राशि के लिए एक रसीद देगा, जो ऐसे भुगतान के समय सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और आवश्यकतानुसार स्टाम्पित होगी;

(ग) ऋणी या उसके अभिकर्त्ता को उधारदेनेके पन्द्रह दिनों के भीतर, खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) के अधीन अभिलिखित प्रविष्टियों की एक प्रति देगा या उसके पास रजिस्ट्रीकृत डाकसे भेज देगा;

(घ) ऋणी या उसके अभिकर्त्ता कोप्रत्येक पंचांग वर्ष में कम से कम एक बार अपने द्वारा या अपने अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक लेखा विवरण देगा या उसे उसके पास रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज देगा, जिसमें वह अधिशेष जो उक्त लेखा विवरण के देने या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजने के समय मूलधन और ब्याज मद्दे उस ऋणी के यहां परादेय हो उस उधार के संबंध में साहूकार द्वारा प्राप्त प्रत्येक भुगतानकी रकम तथा विवरण से संबंधित कालावधि के दौरान ऐसे भुगतान की तारीख दर्शित रहेगी; और

(ङ) किसी वस्तु के पणयम किए जाने के तुरत बाद जितनी रकम पर पणयम किया गया हो उसको उल्लेख करते हुए प्रत्येक पणयम वस्तु के साधारण वर्णन के साथ उसकी एक हस्ताक्षरित रसीद ऋणी को देगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसे उप धारा (1) के खंड (ग) के अधीन लेखे में की गयी प्रविष्टियोंकी एक प्रति दी गयी हो या भेज दी गयी हो अथवा उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन लेखे काएक विवरण दिया गया हो या भेज दिया गया हो, उस लेखे या लेखे के विवरण की शुद्धता के संबंध में आक्षेपकरने में असफल रह जाए तो आक्षेप करने में असफल रह जाने मात्र से उसके संबंध मे यह नहीं समझा जाएगा कि उसने उस लेखे या लेखे के विवरण की शुद्धता को स्वीकार कर लिया है ।

(3) धारा 4 के अधीन अंचल अधिकारी या विहित प्राधिकारी द्वारा रखे गए रजिस्टर इस अधिनियम के अधीन किसी साहूकार द्वारा रखे गए सभी लेखे किसी साहूकार द्वारा दिए गए उधारों के संबंध में ऐसी सभी दस्तावेजों जो उसके कब्जे में हों तथा उसके रजिस्ट्रीकृत प्रमाण-पत्र उस प्राधिकारी के निरीक्षण और परीक्षा के दायित्वाधीन होंगे जो इस निमित्त राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के जरिए राज्य सरकार द्वारा विहित हो तथाऐसे प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन सही-सही लेखे और जिस्टर रखने के संबंध में जांच करने की वही शक्तियां प्रदान होंगी, जो शक्तियां निम्नलिखित वाद के विचारण में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5) के अधीन किसी न्यायालय में निहित है:-

(क) शपथ-पत्र द्वारा साक्ष्य का ग्रहण,

(ख) किसी व्यक्ति को हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी जांच करना,

(ग) दस्तावेज पेश करने के लिये विवश करना, और

(घ) खर्चे का अधिनिर्णय ।

(4) विहित प्राधिकारियों के समक्ष इस धारा के अधीन सभी जांच और कार्यवाहियां भारतीय दंडसंहिता, 1860 (1860 काअधिनियम 45) की धारा 193, 196 और 228 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी ।

(5) साहूकार, उसके द्वारा उधारके रूप मे दिए गए धन की वसूली से संबंधित वाद में उक्त उधारसे संबंधित अपने लेखा-रजिस्टर से सुसंगत उद्धरणों की एक प्रति दाखिल करेगा तथा वह अपने लेखा-रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों से अधिक दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

(6) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम के बाद राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के जरिए प्रत्येक साहूकार से यह अपेक्षा कर सकेगी

कि वह उसमें यथाविनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर और प्राधिकार के समक्ष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के किसी सदस्य को उसके द्वारा दिए गए उधार की तिथि और राशि, तथा साथही ब्याज, उधार के प्रति संदाय, ऋणी की विशिष्टताओं, तथा उधार के अन्य निबन्धनों और शर्तों का ब्योरा घोषित कर दे ।

(7) यदि कोई साहूकार, उप-धारा (6) के अधीन यथापेक्षित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशत बढ़ाई गई कालावधि के भीतर अपने उधार के संबंध में घोषणा करने में असफल रह जाय, तो यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उस सदस्य को कोई उधार नहीं दिया है औरइस उधारया इस पर ब्याज के संबंध में कोई दावा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी किसी न्यायालय या सुलह बोर्ड में ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 3

उधार से संबंधित वाद और बिक्री के निष्पादन संबंधी उपबन्ध ।

8. उधार की वसूली के लिए एकमात्र रजिस्ट्रकृत साहूकारों द्वारा ही वाद का चलने योग्य होना :- कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद साहूकार द्वारा दिये गये उधार की वसूली के लिए उसके द्वारा दायर किए गए वाद को तब तक ग्रहण नहीं करेगा, जबतक कि वह साहूकार उधार दिए जाने के समय इस अधिनियम या बिहार साहूकार अधिनियम, 1938 (1938 का बिहार अधिनियम 3) के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं हुआ था ।

9. ब्याज की अधिकतम दरें :- किसी अन्य विधि में या विधि का बल रखने वाली किसी वस्तु में अथवा किसी संविदा में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, कोई न्यायालय, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या बाद दिए गए उधार की दशा में प्रतिवर्ष बारह प्रतिशत से अनधिक और अप्रतिभूत उधार की दशा में प्रतिवर्ष पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज के लिए, डिक्री पारित नहीं करेगा ।

10. चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के लिए किए गए करार का शून्य होना:- किसी अन्य विधि में या विधि का बल रखनेवाली किसी वस्तु में अथवा किसी संविदा में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी बिहार साहूकार (संव्यवहार विनियमन) अधिनियम 1939 (1939 का बिहार अधिनियम 7) के प्रारम्भ के पश्चात दिए गए उधार मद्दे चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के लिए ऋणी द्वारा किया गया कोई करार शून्य हो जाएगा ।

11. अधिकतम राशि, जिसे मूलधन और ब्याज मद्दे कोई साहूकार ऋणी से वसूल कर सकेगा - (1) किसी अन्य विधि में या विधि का बल रखनेवाली किसी वस्तु में अथवा किसी करार में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, किसी साहूकार के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी ऋणी से मूलधन और ब्याज मद्दे, नकद उधार की दशा मे, उसके द्वारा दिये गये, उधार की रकम की दुगुनी से अधिक रकम, अथवा जिन्सी उधार की दशा में, उसके द्वारा दिए गए उधार की रकम से डेढ़ गुनी से अधिक रकम वसूल करे ।

(2) कोई न्यायालय, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् साहूकार द्वारा लाये गये किसी वाद में अथवा ऐसे वाद से उद्भूत होनेवाली किसी अपील या पुनरीक्षण कार्यवाही में उतनी रकम के लिए डिक्री नहीं देगा, जो उस वाद के संस्थित किए जाने के पूर्व की कालावधि के लिए ब्याज को मिलाकर, जिसके अन्तर्गत न्यायालय के माध्यम से या अन्यथा मूलधन और ब्याज मद्दे चुकायी जा चुकी कोई राशि भी है, नकद उधार की दिशा मे दिए गए उधार की रकम की दुगुनी से अधिक अथवा किसी उधार की दशा में दिये गए उधार की रकम की डेढ़ गुनी से अधिक अथवा यदि उधार दस्तावेज पर आधारित हो तो नकद उधार की दशा में, उस दस्तावेज में वर्णित या उसके द्वारा साक्ष्यित उधार की रकम की दुगुनी से अधिक अथवा जिन्सी उधार की दशा में उस दस्तावेज में वर्णित या उसके द्वारा साक्ष्यिक उधार की रकम की डेढ़ गुनी से अधिक हो।

12. भोग-बंधक और उसका मोचन :- किसी विधि या विधि का बल रखनेवाले किसी बात अथवा किसी करार में किसी प्रतिकूल बात के रहने पर भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले या बाद में निष्पादित कृषि-भूमि संबंधी भोग-बंधक के मूलधन और सभी पावनों को ऐसी भूमि संबंधी बंधक-पत्र के निष्पादन की तारीख से सात वर्षों की अवधि समाप्त होने पर पूर्णतः चुका दिया गया और बंधक का पूर्ण मोचन हुआ समझा जायगा तथा बन्धककर्त्ता निमावली में विहित रीति से, बंधकित भूमि पर कब्जा वापस पाने का हकदार होगा :

परन्तु यदि बंधक-पत्र इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले निष्पादित हुआ है तो इस धारा की किसी बात से बंधककर्त्ता इस उपबंध के अधीन मोचन के फायदे के कारण बंधकदार से कोई हिसाब या लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण :- इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह उन व्यक्तियों की जिन्हें ऐसी भूमि में अंतरणीय अधिकार प्राप्त नहीं है, भूमि का भोग-बंधक करने का अधिकार प्रदान करती है ।

13. कतिपय संव्यवहार का पुनराम्भ करने की न्यायालय की शक्ति :- इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व दिये गये उधार के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् साहूकार द्वारा लागए गए किसी वाद में, अथवा उस बाद से उद्भूत होने वाली किसी अपील या पुनरीक्षण कार्यवाही में, न्यायालय निम्नलिखित किन्हीं या सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा :-

(क) संव्यवयवहार का पुनराम्भ करना, पक्षकारों से लेखा लेना और ऋणी को प्रतिभूत उधार की दशा में प्रतिवर्ष बारह प्रतिशत से अधिक और अप्रतिभूत उधार की दशा में प्रतिवर्ष पन्द्रह प्रतिशत से अधिक साधारण ब्याज के संबंध में सभी दायित्वों से मुक्त करना ;

(ख) पूर्ववर्ती संव्यवहार को बंद करने और नई बाध्यता को सृजित करने का तात्पर्य रखनेवाले किसी करार के होने पर भी दोनो पक्षकारों के बीच किए जा चुके लेखा-जोखा का पुनराम्भ करना ओर ऋणी को प्रतिभूत उधार की दशा में प्रतिवर्ष बारह प्रतिशत से अधिक और अप्रतिभूत उधार की दशा में प्रतिवर्ष पन्द्रह प्रतिशत से अधिक साधारण ब्याज के संबंध में सभी दायित्वों से मुक्त करना;

(ग) किसी ऋण के संबंध में दी गई प्रतिभूति को या किये गये करार को पूर्णत: या अंशत: अपास्त करना या पुनरीक्षित करना या परिवर्तित करना, और यदि साहुकारने प्रतिभूति अन्तरित कर दी हो, तो उसे ऋणी को उस रीति से और उस परिमाण तक क्षतिपूर्त्ति करने का आदेश देना, जो उसे न्यायसंगत प्रतीत हो;

(घ) साहूकार को उतनी राशि ऋणी को प्रतिसंदत्त करने का निदेश देना, जितनी राशि साहूकार ने उस राशि से अधिक वसूल कर ली हो, जिसे वह इस अधिनियम के अधीन वसूल करने के लिए हकदार हो :

परन्तु इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय पूर्ववर्ती संव्यवहार को बंद करने और नई बाध्यकाओं को सृजित करने का तात्पर्य रखने वाले किसी ऐसे करार का पुनराम्भ न करेगा, जो ऐसे वाद के संस्थित किए जाने के 12 वर्षों से भी अधिक पूर्व किसी तारीख को पक्षकारों द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो, जिससे वे दावा करते हों ।

14. डिक्री के निष्पादन से अन्यथा बिक्री द्वारा बंधककर्त्ता की साम्या (इक्विटी) या मोचन का अंतरण :- यदि डिक्री के निष्पादन से अन्यथा बिक्री द्वारा बंधककर्त्ता की साम्या (इक्विटी) या मोचन का अन्तरण किया जाए और इस अंतरण के प्रतिफल धन में से कोई ऐसी राशि, जो बंधक के अधीन अंतरण की तारीख से पूर्व किसी अवधि के लिए ब्याज मद्दे देय हो, बंधकदार को भुगतान करने के लिए अंतरिती के निक्षेप में बच गई हों, तो निक्षेप में इस तरह बच गई राशि का यह भाग जो उस कालावधि के लिए प्रतिवर्ष बारह प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज के रूप में देय हो सकने वाली राशि से अधिक है, इस अधिनियम के पूर्व या पश्चात् लाए गए किसी वाद में, धारा 13 के प्रयोजनार्थ, लेने में नहीं गिना जाएगा तथा उक्त धारा में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी बन्धकदार ऐसे किसी वाद में उस रकम के अतिरिक्त जिसे वह वसूल करने के लिए अन्यथा हकदार हो सकेगा, उस अधिक राशि को वसूलने का हकदार होगा :

परन्तु फिर भी यदि ऐसे आधिक्य की राशि धारा 11 में उपबंधित सीमा से अधिक हो तो बन्धकदार उस आधिक्य की राशि को वसूल नहीं करेगा और अन्तरिती बन्धककर्ता को ऐसी आधिक्य लौटा देगा ।

15. किसी उधार के संबंध में देय राशि की किस्तों में भुगतान करने का आदेश डिक्री द्वारा दिया जाना :- किसी अन्य विधि में या विधि का बल रखनेवाली किसी वस्तु में अथवा साहूकार और उसव्यक्ति के बीच जिसे उधार दिया गया हो किसी संविदा में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, न्यायालय, धारा 17 के उपबंधों के अध्यधीन, किसी उधार के संबंध में, जिसके अन्तर्गत बन्धक द्वारा प्रतिभूति उधार भी है, उस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् लाए गए किसी वाद में डिक्री पारित करते समय आदेश दे सकेगा कि उस वाद में डिक्री दी गई राशि उतने किस्तों में और शर्तों के अध्यधीन तथा उन तारीखों को चुका दी जाए, जो वह उचित समझें ।

16. किसी डिक्री की राशि के किस्तों में भुगतान करने का निदेश देने की शक्ति:- किसी अन्य विधि में या विधि का बल रखने वाली

किसी वस्तु में अथवा साहूकार और उस व्यक्ति के बीच, जिसे उधार दिया गया हो, किसी संविदा में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, न्यायालय धारा 17 के उपबंधों के अध्यधीन, डिक्रीधारक को सूचना देने के बाद, निर्णीत ऋणी के आवेदन पर किसी भी समय निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् किसी उधार के संबंध में दी गई किसी डिक्री, जिसके अन्तर्गत उस बंधक से संबंधित जिसके द्वारा उधार प्रतिभूत किया जाए, किसी बाद में दी गई डिक्री भी है की राशि उतने किस्तों में और उन शर्तों के अध्यधीन और उन तारीखों को चुका दी जाए, जो वह उचित समझें :

परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के किसी व्यक्ति के मामले में न्यायालय, ऐसी तारीख नियत करते समय, आदेश की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए प्रथम किस्त के भुगतान को, उस कालावधि के लिए बिना किसी ब्याज के, मुलतवी कर सकेगा ।

17. परिस्थितियां जिन पर न्यायालय को किस्त नियत करते समय विचार करना चाहिए :- धारा 15 और 16 में निर्दिष्ट किस्तों को नियत करने के पहले, न्यायालय निर्णीत ऋणी की परिस्थितियों, डिक्री की राशि और देय तारीखों को किस्त चुकाने की निर्णीत ऋणी की क्षमता पर विचार करेगा ।

18. न्यायालय द्वारा निर्णीत ऋणी की सम्पत्ति के मूल्य का प्राक्कलन किया जाना :- (1) जब निर्णीत ऋणी की सम्पत्ति की बिक्री के लिये दिये गये ऋण या ऋण पर ब्याज के सम्बन्ध में पारित डिक्री के निष्पादन के लिये इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् कोई आवेदन किया जाए, तब डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय, किसी अन्य विधि में या विधि का बल रखने वाली किसी वस्तु में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, डिक्री के दोनों पक्षकारों की बातें सुनेगा और ऐसी सम्पत्ति तथा उस सम्पति के ऐसे अंश के मूल्य का प्राक्कलन करेगा, जिसका विक्रय आगम, उसके विचारसे डिक्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त होगा :

परन्तु न्यायालय निर्णीत ऋणी की सम्पूर्ण सम्पत्ति को बेचने का आदेश दे सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसी सम्पति के स्वरुप के कारण अथवा किन्हीं अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसी सम्पति को आंशिक रूप में युक्तियुक्त और सुविधाजनक रूप से, नहीं बेचा जा सकता है ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस न्यायालय में अपील कर सकेगा, जिसमें बिक्री निष्पादित करनेवाले न्यायालय से अपील साधारणतया की जा सकेगी ।

19. निर्णीत ऋणी की सम्पत्ति के केवल पर्याप्त भाग का ही बेचा जाना :- किसी अन्य विधि अथवा विधि का बल रखनेवाली किसी वस्तु में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी किसी उधार या उसके ब्याज के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् पारित की गई डिक्री के निष्पादन में सम्पत्ति सम्मिलित रहेगी जितने के विक्रय का आगम, न्यायालय के विचार से, डिक्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त होगा तथा उस उद्घोषणा में बिक्री की जानेवाली सम्पत्ति या सम्पत्ति के भाग के उस मूल्य का, जिसका अवधारण धारा 18 के अधीन किया गया हो, उल्लेख रहेगा, तथा यथास्थिति, ऐसी सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्ति के भाग का विक्रय उक्त उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट कीमत से कम कीमत पर नहीं किया जाएगा:

परन्तु यदि बेची जानेवाली सम्पत्ति स्थावर हो और यदि डिक्रीधारी यह विनिर्दिष्ट करे कि ऐसी सम्पत्ति का कौन-सा भाग बेचा जाए, तो न्यायालय यह आदेश देगा कि सम्पत्ति का वह भाग या उतना भाग डिक्री की तुष्टि के लिए बेच दिया जाए, जो आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु यह भी यदि विक्रय उद्घोषणा में सम्मिलित सम्पति के लिए बोली लगा दी गई अधिकतम राशि उस कीमत से कम हो, जो उद्घोशणा में उस सम्पति के लिए विनिर्दिष्ट हो तो न्यायालय उस सम्पत्ति का विक्रय उस अधिकतम राशि पर कर सकेगा बशर्ते कि डिक्रीधारी डिक्री की गई राशि में से उतनी राशि छोड़ देने के लिए सहमत हो जाए, जितनी राशि का अन्तरबोली लगायी गई अधिकतम राशि और विक्रय उद्घोषणा में उस सम्पत्ति के लिए विनिर्दिष्ट कीमत के बीच हो ।

20. होल्डिंग का वह भाग, जिसे बिक्री के निष्पादन में कुर्की या विक्रय से छूट दी जाएगी :- (1) किसी अन्य विधि में अथवा विधि का बल रखनेवाली किसी वस्तु में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी जहां किसी साहूकार द्वारा किसी कृषक ऋणी को दिये गए किसी उधार मदद देय राशि का भुगतान इस कृषक ऋणी द्वारा किए जाने के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् कोई डिक्री पारित की जाए, वहां न्यायालय डिक्री का निष्पादन करते समय-

(i) निर्णीत ऋणी के होल्डिंग या होल्डिंगों में समाविष्ट एक एकड़ भूमि को विक्रय से छूट देगा, यदि ऐसी भूमि का क्षेत्रफल तीन एकड़

से अधिक न हो,

(ii) एक एकड़ भूमि को विक्रय से छूट देगा और एक एकड़ से अधिक भूमि के लिए भी छूट दे सकेगा, यदि उसे भूमि का क्षेत्रफल तीन एकड़ से अधिक हो, परन्तु विक्रय से छूट दिया गया कुल क्षेत्रफल उस भूमि के कुल क्षेत्रफल की एक-तिहाई से अधिक न हो, और

(iii) कृषक ऋणी को दिए गए किसी उधार मद्दे देय राशि के भुगतान के लिए ऋणी के आवास और एक एकड़ तक आवास भूमि पर न्यायालय डिक्री पारित नहीं करेगा ।

(2) इस धारा के प्रयोजनार्थ, "कृषक ऋणी" से अभिप्रेत है वह रैयत, जिसके होल्डिंग या होल्डिंगों का कुल क्षेत्र उतने क्षेत्र से अधिक न हो, जितना राज्य सरकार उस जिले या उस जिले के उस भाग के लिए, जिसमें ऐसा होल्डिंग या ऐसे होल्डिंग अवस्थित हैं, नियत करे ।

21. कुसीदात्मक उधार अधिनियम (यूसिरियस लोन्स ऐक्ट), 1918 के अधीन न्यायालय की शक्तियों की व्यावृत्ति - धारा 13 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम की कोई बात कुसीदात्मक उधार अधिनियम, 1918 के अधीन किसी न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी ।

22. ऋणी आदिको उधारका नकद भुगतान अवर-रजिस्ट्रार (सब-रजिस्ट्रार) की उपस्थिति में किया जाना :- जहां उधार रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज पर दिया जाता हो वहां ऋण की सम्पूर्ण राशि, अथवा उसमें से उतनी राशि का भुगतान, जो दस्तावेज के निष्पादन के समय नकद देय हो, ऋणी को अथवा उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्त्ता को उस अवर-रजिस्ट्रार की उपस्थिति में किया जाएगा, जो दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करेगा तथा उक्त अवर-रजिस्ट्रार उस दस्तावेज पर उस आशय का पृष्ठांकन कर देगा ।

दृष्टांत - 5,000 रुपये के बन्धक पत्र (मोर्गेज बांड) के लिए प्रतिफल में निम्नलिखित राशियां सम्मिलित हैं :-

(i) बन्ध-पत्र के निष्पादन के बहुत दिन पूर्व बन्धककर्ता को दिए जा चुके 1,000 रुपये ;

(ii) बन्ध-पत्र के निष्पादन के समय उसे नकद दिये जाने वाले 1,500 रुपये; और

(iii) भविष्य में जैसे ही और जब उसे अपेक्षित हो, दिये जानेवाले 2,500 रुपये ।

इन तीनों राशियों में से केवल दूसरी राशि (अर्थात् बन्ध-पत्र के निष्पादन के समय दिए जाने वाले 1,500 रुपये की राशि) बन्धककर्ता या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को उस अवर-रजिस्ट्रार की उपस्थिति में जो दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करेगा, देय होगी ।

अध्याय 4

सुलह संबंधी कार्यवाहियां

23. विवादों को बोर्ड को निर्देशित करने संबंधी राज्य सरकार की शक्ति :- यदि राज्य सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन हो, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के जरिए, किसी विवाद को चाहे उस विवाद के सम्पूर्ण या आंशिक विषय के संबंध में किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही लंबित हो या नहीं, एक सुलह-बोर्ड को (एतस्मिन् पश्चात् "बोर्ड" के रूप में निर्दिष्ट) निर्देशित कर सकेगी जो प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा उस विवाद का सौहार्द्रपूर्ण निपटारा करने के लिए तथा उसका निपटारा नहीं किए जा सकने पर उस विवाद का विनिश्चय उस रीति से, जो बोर्ड को युक्ति युक्त प्रतीत हो, करने के लिए गठित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण :- इस अध्याय के प्रयोजनार्थ विवाद से अभिप्रेत है ऋणी और साहूकार के बीच वैसे उधार या उधारों के संबंध में विवाद या मतभेद, जिसकी या जिनकी राशि अकेले या कुल मिलाकर सौ रुपये से अधिक (ब्याज को छोड़कर) हो ।

24. बोर्ड का गठन :- (1) धारा 23 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित किये जानेवाले बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा जो यदि दोनों पक्ष किसी व्यक्ति पर सहमत हों तो वह व्यक्ति अन्यथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अवर उप-समाहर्त्ता की पंक्ति से अन्यून एक पदाधिकारी होगा तथा विवाद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो सदस्य रहेंगे । किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में नाम निर्देशित व्यक्ति का नाम निर्देशन उस पक्षकार की सिफारिश पर किया जाएगा :

परन्तु यदि कोई पक्षकार अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश नहीं करे या ऐसे व्यक्ति की सिफारिश करे जो ऐसे समय के भीतर उपलब्ध नहीं हो, जो राज्य सरकार युक्तियुक्त समझे, तो राज्य सरकार वंसे व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकेगी, जिसे वह उस पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ठीक समझे ।

(2) यदि उस बोर्ड के अपना कार्य पूरा करने के पहले, किसी समय उसके अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं रहें, अथवा यदि उस बोर्ड का कोई सदस्य अध्यक्ष के समाधानानुरूप हेतुक दर्शित किये बिना ही दो उत्तरोत्तर तारीखों की बैठक में हाजिर होने में असफल रह जाए, तो राज्य सरकार उसकी जगह पर किसी व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकेगी और इस तरह गठित बोर्ड कीकार्यवाही चलतीरहेगी तथा उसके बाद बोर्ड के गठन में किसी त्रुटि के रह जाने के कारण मात्र से ही अथवा बोर्ड की सदस्यता में हुई किसी रिक्त की कालावधि में किए गए किसी कार्य के कारण बोर्ड का कोई कार्य अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा ।

25. निर्दिष्ट किए जाने पर घटित होनेवाले परिणाम :- जब इस अध्याय के अधीन किसी बोर्ड को कोई विवाद निर्दिष्ट किया जाए, तब अन्य किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी-

(क) विवाद की विषय-वस्तु से संबंधित किसीवाद या कार्यवाही में किसी न्यायालय की अधिकारिता धारा 23 के अधीन जारी की गई अधिसूचना की तारीख से वर्जित हो जाएगी ।

(ख) किसी न्यायालय में ऐसे सम्पूर्ण या आंशिक विवाद से सम्बंधित कोई वाद या कार्यवाही बन्द कर दी जाएगी ।

26. विवादों का सौहार्द्रपूर्ण निपटारा कराने के लिए बोर्ड का कर्त्तव्य :- (1) बोर्ड, जिसको धारा 23 के अधीन कोई विवाद निर्दिष्ट किया जाए, पक्षकारों को यथोचित रीति से यथोचित सूचना देने के बाद, विवाद का सौहार्द्रपूर्ण निपटारा कराने का प्रयास करेगा और इस प्रयोजन के लिए उक्त बोर्ड यथोचित रीति से और बिना किसी विलम्ब के विवाद और उन सभी बातों का अन्वेषण करेगा, जो उस विवाद के गुणागुण को और उसके उचित निपटारे को प्रभावित करनेवाली हो, तथा ऐसा विधिपूर्ण कार्य कर सकेगा जो वह विवाद के उचित और सौहार्द्रपूर्ण निपटारे के लिए पक्षकारों को उत्प्रेरित करने के प्रयोजनार्थ उचित समझें :

परन्तु विवाद के सौहार्द्रपूर्ण निपटारे में, किसी भी दशा में, ऋणी की भूमि का अन्तरण नहीं होगा ।

(2) जहां ऐसा निपटारा किया जाए, वहां बोर्ड उसे अभिलिखित करेगा और तदनुसार अपना विनिश्चय देगा ।

27. सौहार्द्रपूर्ण निपटारा नहीं होने की दशा में बोर्ड द्वारा विवाद की जांच-पड़ताल तथा विनिश्चित किया जाना :- (1) जहां बोर्ड विवाद का सौहार्द्रपूर्ण निपटारा कराने में असफल रह जाए, वहां वह उसकी जांच-पड़ताल करेगा, ऐसा साक्ष्य लेगा, जो वह आवश्यक समझे, तथा साहूकार को देय राशि, यदि कोई हो, विनिश्चित करेगा तथा धारा 15 और 16 में यथा उपबंधित किस्तों में, खर्च सहित या रहित, उस रकम का भुगतानकरने का आदेश देगा ।

(2) यदि यह विनिश्चित किया जाए कि ऋणी के यहां कुछ भी देय नहीं है तो बोर्ड ऋणी को खर्चा, यदि कोई हो, दिलवा सकेगा ।

(3) बोर्ड का विनिश्चय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 के दंड (2) के अर्थान्तगत, डिक्री समझा जाएगा ।

28. बहुमत कीराय का अभिभावी होना :- यदि बोर्ड के सदस्यों में असहमति हो जाय, तो बहुत की राय अभिभावी होगी ।

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि उस विनिश्चय के विरुद्ध अपनी विसम्मति टिप्पण अभिलिखित करने में बोर्ड के किसी सदस्य पर कोई निवारण है ।

29. बोर्ड के विनिश्चय का रूप एवं प्रभाव :- (1) बोर्ड या विनिश्चय लिखित होगा जो बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा उसमें ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट रहेंगी, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित हों ।

(2) बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा तथा उसपर किसी भी न्यायालय में आपति नहीं उठायी जाएगी ।

30. बोर्ड द्वारा अपनी ही प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना :- इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन तथा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा

बनाए गए नियमों के अध्यधीन, बोर्ड द्वारा अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया ऐसी होगी, जिसे बोर्ड न्यायसंगत तथा सुविधाजनक समझे, तथा बोर्ड किसी भी साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

31. साक्षियों को समन करने और दस्तावेजों को पेश करने के लिए विमर्श करने की बोर्ड की शक्ति :- बोर्ड को, साक्षियों के समन और हाजिरी के संबंध में तथा दस्तावेजों को पेश करने के लिए विवश करने के संबंध में वही शक्ति होगी जो किसी सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन प्राप्त है ।

32. राज्य सरकार की शक्तियों का प्रत्यायोजन :- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा धारा 23 और 24 द्वारा अपने में निहित शक्तियां राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

अध्याय 5

रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण पत्र का रद्द किया जाना और शास्ति

33. रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण पत्र को रद्द करने की समाहर्त्ता की शक्ति :- (1) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत साहूकार द्वारा किसी उधार के बारे में या किसी रजिस्ट्रीकृत साहूकार द्वारा उधार के लिए ली गई किसी प्रतिभूति के बारे में लाए गए किसी वाद में न्यायालय की यह राय हो कि रजिस्ट्रीयकृत साहूकार कपट या इस अधिनियम के किसी उल्लंघन का दोषी है या साहूकारी का कारबार चलाने के लिए अन्यथा अयोग्य है वहां न्यायालय समाहर्त्ता को एक रिपोर्ट देगा और समाहर्त्ता, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा सम्यक् और समुचित जांच करने के बाद, साहूकार को दिए गए रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण पत्र को पांच वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए जैसा वह उचित समझे, रद्द कर सकेगा और उक्त प्रमाण-पत्र रद्द करने संबंधीअपने आदेश की एक प्रति विहित कालावधि के भीतर उस अंचलाधिकारी को अग्रेषित कर सकेगा, जिसने उक्त प्रमाण-पत्र दिया था ।

(2) जब किसी रजिस्ट्रकृत साहूकार का प्रमाण-पत्र उप-धारा (1) के अधीन रद्द कर दिया गया हो, तब उक्त साहूकार उस कालावधि के दौरान, जिसमें रद्द करण का आदेश प्रवृत्त रहे, धारा 5 के अधीन कोई आवेदन पत्र देने का हकदार नहीं होगा ।

34. अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्ति :- यदि कोई साहूकार या उसका अभिकर्त्ता जानबूझकर इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे तो, यथास्थिति, उक्त साहुकार या उसका अभिकर्त्ता एक वर्ष तक के कारावास या पांच सौ रुपये से अनधिक तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा ।

35. सलामी, बाटा, गदियाना, आदि लेने पर शास्ति :- इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद, यदि कोई साहुकार या उसका अभिकर्त्ता, उधार देते समय ऋणी से कोई सलामी, बाटा, गदियाना या इसी प्रकार का अन्य आहरण, चाहे वह जिस भी नाम से पुकारा जाए या जाना जाए लेना हो या उस उधार के मूलधन में से उसकी कटौती पर लेता हो तो, यथास्थिति, वह साहूकार या उसका अभिकर्त्ता पांच सौ रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा :

परन्तु यदि अवैध आहरण की राशि पांच सौ रुपये से अधिक हो, तो साहूकार उतने जुर्माने से दंडनीय होगा, जो उस आहरण की राशि से अधिक नहीं होगा ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

36. राज्य के बाहर भुगतान करने की संविदा का शून्य होना :- किसी अन्य विधि में या विधि का बल रखनेवाली किसी वस्तु में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद दिए गए उधार के बारे मे साहूकार और उसके ऋणी के बीच की ऐसी कोई संविदा शून्य हो जाएगी, जिसमें बिहार राज्य के बाहर किसी स्थान पर उस उधार मद्दे देय रकम का भुगतान करने का उपबन्ध हो ।

37. उधार मद्दे देय धन को न्यायालय में निक्षेप करने की शक्ति :- (1) यदि कोई ऋणी किसी साहूकार या उसके अभिकर्त्ता को उधार पर देय ब्याज मद्दे या किसी उधार के मूलधन मद्दे धन दे और वह साहूकार या उसका अभिकर्त्ता दी गई रकम प्राप्त करने से इन्कार कर दे या उसके लिए रसीद देने से इन्कार कर दे तो ऋणी यथापूर्वोक्त दी गई रकम को साहूकार के नाम उस न्यायालय में निक्षेप कर दे सकेगा, जिसमें उस ब्याज या उधार की वसूली के लिए साहूकार वाद संस्थित कर सकता था ।

(2) तदुपरि, न्यायालय उस निक्षेप के लिए तत्काल एक रसीद देगा, जिस पर न्यायालय की मुहर लगी रहेगी तथा उस निक्षेप के संबंध में एक लिखित सूचना साहूकारों पर तामील करवा देगा ।

(3) साहूकार, उप-धारा (2) में वर्णित सूचना के उस पर तामील किए जाने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय न्यायालय के पास यह निवेदन करते हुए आवेदन कर सकेगा कि उसे यथापूर्वोक्त निक्षिप्त रकम दे दी जाए ।

(4) यदि उक्त धारा में वर्णित कालावधि के भीतर उप-धारा (3) के अधीन आवेदन नहीं किया जाए, तो निक्षिप्त राशि का निपटारा विहित रीति से कर दिया जाएगा ।

(5) उप धारा (3) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायालय, ऐसी शर्तों पर और ऐसे निबन्धनों के अध्यधीन जो आदेश में विनिर्दिष्ट हों, उस रकम को आवेदक को दे देने का आदेश दे सकेगा ।

38. ऋण की तुष्टि संबंधी घोषणा के लिये ऋणी द्वारा आवेदन - (1) ऋणी, उस रकम के न्यायालय में निक्षेप कर देने के बाद, जिसे वह उधार मद्धे अपने यहां देय स्वीकार करे, यह घोषणा करने के लिये साहूकार के विरुद्ध आवेदन दाखिल कर सकेगा, कि उधार की तुष्टि कर दी गई है और यदि उक्त आवेदन पर पक्षकारों की सुनवायी के बाद न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि मूलधन और वैध रूप से वसूलनीय ब्याज सहित ऋण की तुष्टि कर दी गई है तो वह यह घोषणा करते हुए डिक्री पारित करेगा कि ऋण की तुष्टि कर दी गई है ।

(2) यह उप-धारा (1) के अधीन दिए गए आवेदन पर, न्यायालय यह पाये कि अभी भी ऋणी के यहां साहूकार की रकम देय रह गई है तो वह एक ऐसी डिक्री पारित करेगा, जिसमें वह ऋणी को यह निर्देश देगा कि वह (ऋणी) उस रकम को या तो साहूकार को दे दे या न्यायालय में उतनी कालावधि के भीतर जमा कर दे, जो वह उचित समझे तथा उस रकम के दे देने यानिक्षेप कर देने के बाद ऋणी को सभी दायित्वों से मुक्त घोषित करेगा ।

(3) न्यायालय, उप-धारा (2) के अधीन किये गए निक्षेप के लिये, तुरंत एक रसीद देगा, जिस पर न्यायालय की मुहर लगी रहेगी तथा उसकी सूचना साहूकारों को दे देगा ।

(4) साहूकार निक्षेप की सूचना पाने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय न्यायालय के पास यह निवेदन करते हुए आवेदन कर सकेगा कि उसे निक्षेप की गई रकम का भुगतान कर दिया जाए तथा वह अपने आवेदन पत्र के साथ उन दस्तावेजों को भी यदि कोई हो, जमा कर देगा जो उधार से संबंधित हो ।

(5) यदि उक्त उपधारा में वर्णित कालावधि के भीतर उपधारा (4) के अधीन कोई आवेदन नहीं किया जाए, तो निक्षिप्त रकम का निपटारा विहित रीति से कर दिया जाएगा ।

(6) उप-धारा (4) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय आदेश में यथाविनिर्दिष्ट निबंधनों पर और शर्तों के अध्यधीन आवेदक को उस रकम के चुकाने का आदेश दे सकेगा ।

(7) न्यायालय उप-धारा (4) के अधीन साहूकार द्वारा निक्षेप की गई दस्तावेजों को उन पर उधार की तुष्टि का पृष्ठांकन करके, ऋणी को लौटा देगा ।

39. न्यायालय द्वारा दी गई रसीद, जमा की गई रकम के लिये निस्तारण रूप में काम करेगी:- धारा 37 की उप-धारा (2) या धारा 38 की उप-धारा (3) के अधीन न्यायालय द्वारा दी गई रसीद यथा पूर्वोक्त जमा की गई रकम के लिये निस्तारण पत्र के रूप में उसी रीति से और उसी हद तक काम करेगी, मानो यह रकम उस साहूकार को जिसके नाम निक्षेप किया गया था, निक्षेप किए जाने की तारीख को प्राप्त हो गई थी।

40. इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को सिविल-न्यायालय की शक्ति होना :- इस अधिनियम के अधीन जांच और कार्यवाही का संचालन करते समय समाहर्त्ता, भूमि-सुधार उप-समाहर्त्ता, अंचल अधिकारी तथा इस निमित राज्य सरकार द्वारा सशक्त किसी प्राधिकारी को साक्ष्य ग्रहण करने किसी व्यक्ति को सम्मन करने और उसे हाजिर कराने तथा शपथ पर परीक्षाकरने दस्तावेजों को पेश करने के लिये विवश करने तथा खर्चा दिलवाने के मामले में वही शक्तियां होगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 5) के अधीन किसी न्यायालय में निहित है ।

41. इस अधिनियम के अधीन की जानेवाली जांच औरकार्यवाहियाँ कान्यायिक कार्यवाहियां होना :- आयुक्त, समाहर्त्ता भूमि-सुधार उप-समाहर्त्ता, अंचल अधिकारी और इस निमित राज्य सरकार द्वारा मशक्त किसी प्राधिकारी के समक्ष इसअधिनियम के अधीन चलनेवाली सभी जांच और कार्यवाहियां भारतीय दंडसंहिता, 1860 (1860का अधिनियम संख्या 45) की धारा 193 और 228 के प्रयोजनार्थ न्यायायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी।

42. न्यायालय - फीस :- इस अधिनियम के अधीन दाखिल किए गए प्रत्येक आवेदन अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण के लिये आवेदन पर यथाविहित मूल्य का न्यायालय-फीस-स्टांप लगा रहेगा ।

43. समाहर्त्ता, आदि का सामान्य निदेश, नियंत्रण और अधीक्षण :- भूमि-सुधार उप-समाहर्त्ता और अंचल अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के पालन में और अपनी शक्तियों के प्रयोग में, जिला-समाहर्त्ता, आयुक्त और राजस्व बोर्ड के सामान्य निदेश, नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन होंगे ।

अध्याय 7

अपील, पुनरीक्षण और किसी मामले का अभिलेख मांगने की शक्ति

44. अपील - (1) इस अधिनियम के अधीन पारित अंचल अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पास की जा सकेगी, यदि वह अपील उस आदेश की तारीख के तीन महीने के भीतर की जाए, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो ।

(2) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो उसे उपान्तरित परिवर्तित या अपास्त करने वाला कोई आदेश इस धारा के अधीन अबतक पारित नहीं किया जाएगा तजबतक कि सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(3) धारा 44 और 45 के उपबन्धों के अध्यधीन, अपील पर भूमि-सुधार उप-समाहर्त्ता का आदेश अंतिम होगा ।

45. पुनरीक्षण :- जिला-समाहर्त्ता, इस निमित अपने पास आवेदन किये जाने पर अथवा अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी या पदाधिकारी द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीनबने नियमों के अधीन दिए गए किसी आदेश कीवैधताया औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के लिये ऐसे प्राधिकारी या पदाधिकारी के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निबटाये गए किसी मामले के अभिलेख की मांग और उसकी परीक्षा कर सकेगा तथा ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझें :

परन्तु, समाहर्त्ता, किसी आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति का कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं करेगा, जबतक कि वह आदेश की तारीख के तीस दिनों के भीतर न किया जाय :

परन्तु यह भी कि ऐसे प्राधिकारी या पदाधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश को उपान्तरित, परिवर्तित या अपास्त करने का आदेश समाहर्त्ता द्वारा तबतक पारित नहीं किया जाएगा जबतक कि सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

46. किसी मामले का अभिलेख मांगने की प्रमंडल आयुक्त को शक्ति :- प्रमंडल आयुक्त किसी ऐसे मामले का अभिलेख मांग सकेगा, जिसका विनिश्चय इस अधिनियम के अधीन अंचल अधिकारी या भूमि-सुधार उप-समाहर्त्ता या समाहर्त्ता के न्यायालय द्वारा किया गया हो और जिसमें या तो कोई अपील न की गई हो या अपील न की जा सकेगी तथा यदि आयुक्त को ऐसा प्रतीत हो कि उस पदाधिकारी ने :-

(क) बिना अधिकारिता के कार्य किया है या ऐसी अधिकारिता को प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या

(ख) अपने में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है या उसका प्रयोग करने से अनुचित रूप से इन्कार कर दिया है या

(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है,

तो आयुक्त, सम्बद्ध पक्षकारों को अपने समक्ष उपस्थित होने की युक्तियुक्त सूचना देने और सम्बद्ध पक्षकारों की सुनवाई के बाद, उस मामले के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे :

परन्तु यदि पक्षकारों के उप सजात होने पर आयुक्त उनकी सुनवाई करने में असमर्थ हो तो वह उस मामले को ऐसे कारणों से जो अभिलिखित

किए जाए, अपर आयुक्त या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा आयुक्त के रूप में नियुक्त किसी पदाधिकारी को अन्तरित कर सकेगा, जो वह उचित समझे ।

47. नियम बनाने की शक्ति - (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के किसी या सभी प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों का उपबन्ध किया जा सकेगा :-

(क) धारा 4 की उप-धारा (1) में वर्णित रजिस्टर का प्रारूप और उस-रजिस्टर में चालू रहने वाली विशिष्टियाँ ;

(ख) धारा 5 की उप-धारा (4) में वर्णित रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र का प्रारूप;

(ग) धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन किये गये आवेदन में अन्तर्विष्ट की जानेवाली विशिष्टियां ;

(घ) धारा 5 के अधीन दी जानेवाली रजिस्ट्रीकरण-फीस ;

(ङ) कालावधि, जिसके भीतर समाप्ति, धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने वाले अपने आदेश की एक प्रति अंचलाधिकारी के पास अग्रेषित कर देगा और

(च) वह रीति, जिससे धारा 37 की उप-धारा (4) के अधीन किये गये विषय का निपटारा किया जाएगा ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कालावधि के लिये रखा जाएगा । यह कालावधि एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसा रखा गया हो, या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपान्तरण करने के लिये सहत हो जाए, तो तत्पश्चात् वह नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जायगा किन्तु नियम के ऐसे उपान्तरित या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

48. निरसन और व्यावृत्ति - (1) बिहार साहूकार अधिनियम, 1938 (1938 का बिहार अधिनियम 3) और बिहार साहूकार (संव्यवहार-विनियमन) अधिनियम, 1939 (1939 का बिहार अधिनियम 7) इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदा शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
॥ मंत्रिपरिषद् के लिये संलेख ॥

गोपनीय

विषय :- बिहार साहूकार अधिनियम 1974 के अधीन जारी अधिसूचना सं0 - 207 दिनांक - 13.2.81 को विलोपित करने के संबंध में ।

1- बिहार साहूकार अधिनियम 1974 के तहत जो अधिसूचना संख्या - 207 दिनांक 13.2.81 (अधिसूचना की प्रति संलग्न) निर्गत किया गया, यह बिहार साहूकार अधिनियम, 1974 के मूल उद्देश्य एवं भावना के विपरीत है इस अधिसूचना के द्वारा बंधक रखने वाले गरीब एवं जरुरतमंद व्यक्तियों का अधिनियम में दिये गये अधिकार को ही समाप्त कर दिया गया है अर्थात् जिस उद्देश्य एवं हेतु को लेकर यह अधिनियम बनाया गया था उसके विपरीत हो गया है ।

2- विधान सभा की प्रत्यायुक्त समिति ने यह प्रतिवेदन (प्रतिवेदन की प्रति संलग्न) किया है कि बिहार साहूकार अधिनियम 1974 के तहत जो अधिसूचना संख - 207 दिनांक 13.2.81 निकाला गया है वह उक्त अधिनियम की उद्देश्य एवं धारण के विपरीत है अतः समिति द्वारा यह अनुशसा की गयी कि राज्य सरकार अधिसूचना संख्या -207 दिनांक 13.2.81 को भूतलक्षी प्रभाव से लोकहित एवं अधिनियम की मूल भावना एवं उद्देश्य को अक्षुण रखते हेतु निरसित करें क्योंकि उक्त अधिसूचना के कारण उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलों एवं संथालपरगना जिलों में 7 एकड़ जमीन रखने वाले एवं राज्य के दूसरे भागों में 5 एकड़ तक भूमि धारण करने वाले जो व्यक्ति गरीबों को कर्ज देकर बंधक रखते है तो यह अधिकार दे दिया गया कि सात वर्षों के बाद भी पूर्ण ऋण राशि एवं अन्य बकाया भुगतान नहीं किये जाने पर बंधक जमीन उन्हीं के कब्जे में रहेगी जबकि उक्त अधिनियम की धारा - 12 में यह उपबन्ध है कि बंध-पत्र की तिथि से 7 वर्षों की अवधि समाप्त होने पर भोग बंधक के मूलधन एवं सभी पावनों को पूर्णतः चुका दिया गया माना जायेगा तथा बन्धकर्ता को जमीन पर अधिकार पाने का हक होगा ।

3- अतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रस्ताव है कि समिति के अनुशंसा के आधार पर बिहार राज्य साहूकार अधिनियम 1974 के धारा-3 के तहत जारी अधिसूचना 207 दिनांक 13.2.81 को भूतलक्षी प्रभाव से निरसित किया जाय ।

4- प्रस्ताव में मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

5- प्रस्ताव एवं प्रारूप में विधि विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है ।

6- कंडिका - 3 के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रार्थित है ।

(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

ज्ञापांक 11/भू सु0 -20-8/99 132 रा0, दिनांक 27.5.2000

प्रतिलिपि मंत्रिमंडल सचिवालय को संलेख की 65 अतिरिक्त प्रतियों प्रस्तावित अधिसूचना की प्रति के साथ मंत्रिपरिषद को आगामी बैठक में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित ।

(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना - 15 , दिनांक

एस0 ओ0) ..... चूंकि बिहार साहूकार अधिनियम 1974 (बिहार अधिनियम सं0 -22, 1975) की धारा -12 में यह उपबंध है कि कृषि भूमि सम्बन्धी भोग बंधक के मूलधन और सभी पावनों को ऐसी भूमि सम्बन्धी बंधक-पत्र के निष्पादन की तिथि से सात वर्षों की अवधि समाप्त होने पर पूर्णतः चुका दिया गया और बंधक का पूर्णतः मोचन हुआ समझा जाएगा तथा बंधककर्ता बंधकित भूमि पर कब्जा पाने का हकदार होगा।

और चूंकि बिहार साहूकार अधिनियम 1974 की धारा - 12 का उद्देश्य जमीन बंधक रखने वाले गरीबों को राहत पहुंचाना था और ऋण का सूद नियंत्रण करना था, परन्तु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या - एस0 ओ0 207 दिनांक 13.2.1981 द्वारा जमीन बंधक रखने वाले गरीब और जरुरतमन्द व्यक्तियों को अधिनियम में दिये गये अधिकार का ही हनन हो गया है ।

और, चूंकि राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि ऐसे गरीबो को राहत पहुंचाने के लिए पूर्व में निर्गत अधिसूचना, अधिसूचना संख्या - एस0 ओ0 207 दिनांक 13.2.1981 को भूतलक्षी प्रभाव से निरसित (रिपील) किया जाय ।

इसलिए अब उक्त अधिनियम की धारा -3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पूर्व में निर्गत अधिसूचना, अधिसूचना संख्या - एस0 ओ0 - 207 दिनांक 13.2.81 को भूतलक्षी प्रभाव से निरसित (रिपील) करती है ।

सूचिका संख्या - 11/भू0 सु0 -10-8/99
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(वैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।

एस0 ओ0) - दिनांक - का निम्नलिखित अंग्रेजी में अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

सूचिका संख्या - 11/भू0 सु0 -10-8/99
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(वैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक - 11/भू सु0 -10-8/99 ..... / रा०. पटना- 15 दिनांक -

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना-7 को अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।

(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

Government of Bihar.

Revenue & Land Reforms Department.

NOTIFICATION

Date :

S.O. ...../ whereas, section 12 of the Bihar Money Lenders Act, 1974 (Bihar Act 22 of 1975), provides that the principal amout and all dues in respect of a usufructuary mortgage relating to any agriculturalland shall be deemed to have been fully satisfied and the mortgage shall be deemed to have been wholly redeemed on expiry of a period of seven years from the date of the execution of the mortgage bond; in respect of such land the mortgagor shall be entitled to recover possession of the mortgged land;

And whereas, the aim of section 12 of Bihar Money Lenders Act, 1974 was to give relief to poor persons mortgaging land and to control interest of credit but, the right givenby the said Act to poor and needy persons mortgaging land has been taken away by notification no.S.O. 207 dted 13.2.1981, issued by Revenue and Land Reforms Department.

And whereas the Stte Government consider it necessry tht the notification issued earlier, notification no. S.O. 207 dated 13.2.1981 be repealed with retrospective effect to give relief to such poor persons.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of te said Act, the State Goernment is pleased to repeal the notification issued earlier, notification no.S.O. 207 dated 13.2.1981 with retrospective effect.

File No. 11 L.R. 10-8/99

By order of the Governor of Bihar,

(Baidyanath Prasad)

Additional Secretry to Government

बिहार विधान-सभा
की
प्रत्यायुक्त विधान समिति
का
प्रथम प्रतिवेदन
(एकादश बिहार विधान-सभा)

विषय :- बिहार मनिलैन्डर्स ऐक्ट, 1974 के अधीन जारी अधिसूचना संख्या - 207 दिनांक 13 फरवरी 1981 ई0 । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

विषय सूची

1. समिति के सदस्यों की सूची

2. प्राक्कलन

3. बिहार मनीलैन्डर्स ऐक्ट, 1974 के अधीन जारी अधिसूचना सं0 - 207 दिनांक 13 फरवरी 1981 पर समिति का प्रतिवेदन ।
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित)

परिशिष्ट

1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ..... की अधिसूचना संख्या - 207 दिनांक 13 फरवरी 1981

प्रत्यायुक्त विधान समिति के सदस्यों की सूची, (1998-99)

(1)	श्री रामदेव वर्मा, स० वि० स०	सभापति
(2)	श्री रामजी लाल शारदा, स० वि० स०	सदस्य
(3)	श्री अब्दुस्सलाम, स० वि० स०	सदस्य
(4)	श्री अनिल सिंह, स० वि० स०	सदस्य
(5)	श्री चन्द्रशेशर द्विवेदी, स० वि० स०	सदस्य
(6)	श्री रघुवर दास, स० वि० स०	सदस्य
(7)	श्री रजनीश आनन्द, स० वि० स०	सदस्य
(8)	श्रीमती मंजु प्रकाश, स० वि० स०	सदस्य
(9)	श्री ज्योतिन सोरेन, स० वि० स०	सदस्य

बिहार विधान-सभा सचिवालय

(1)	श्री गोपालजी,	प्रभारी सचिव
(2)	श्री रजनी कान्त देव,	प्रभारी संयुक्त सचिव
(3)	श्री जगदीश प्रसाद यादव,	उप-सचिव
(4)	श्री ब्रजकिशोर सिंह "प्रभात"	अवर-सचिव
(5)	श्री मोती प्रसाद सिंह,	प्रशासी पदाधिकारी
(6)	श्री बटोही यादव	प्रशासी पदाधिकारी
(7)	श्री मणिभूषण प्रसाद सिंह,	प्रशासी पदाधिकारी
(8)	श्री अरविन्द कुमार,	प्रशासी पदाधिकारी

प्राक्कथन

मैं बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के अधीन प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति की हैसियत से समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूँ ।

प्रत्यायुक्त विधान समिति ने बिहार मनीलैन्डर्स ऐक्ट, 1974 के अधीन प्रकाशित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना सं0 -207 दिनांक 13 फरवरी 1981 का सम्परीक्षण किया जिसका उल्लेख प्रतिवेदन में किया गया है । उक्त अधिसूचना के समारीक्षण के दौरान समिति के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा विधि एवं न्याय विभाग के सचिव एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के विचार-विमर्श किया और उनके सहयोग से लाभान्वित हुई, जिसके लिये समिति उनके प्रति आभार प्रकट करती है ।

समिति प्रत्यायुक्त विधान समिति की उप-समिति (1) के माननीय संयोजक श्री निल सिंह एवं उप-समिति के सभी माननीय सदस्यों का आभारी है, जिन्होंने जनहित के इस विषय पर प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार किया ।

समिति की दिनांक -2 दिसम्बर 1998 की बैठक में यह प्रतिवेदन सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ । मैं समिति के सभी माननीय सदस्यों को अपनी ओर से धन्वाद ज्ञापन करता हूँ ।

मैं प्रत्यायुक्त विधान समिति में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा का भी सराहना करता हूँ, जिनके लगन एवं परिश्रम से अल्प अवधि में प्रतिवेदन देना सम्भव हो सका है ।

पटना :
दिनांक -2 दिसम्बर 1998 ई०

रामदेव वर्मा
सभापति,
प्रत्यायुक्त विधान समिति
बिहार विधान - सभा ।

प्रतिवेदन

बिहार मनीलैन्डर्स ऐक्ट 1974 की धारा - 3 के तहत राज्य सरकार ने अधिसूचना सं0 एस0 ओ0 207 दिनांक - 13 फरवरी 1981 (परिशिष्ट - 1 द्वारा बिहार अधिनियम 22/1975) अधिनियम की धारा - 12 में बंधककर्ता महाजन को सुविधा प्रदान की है और बंधकधारी की सुविधा में कटौती की गयी है । इस अधिसूचना के जारी होने से कोई भी बंधकधारी अपना बंधक सात वर्ष के अंदर नहीं छुड़ा सकेगा, यदि यह बंधकधारी को उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल में और संथालपरगना जिला में सात एकड़ जमीन तथा बिहार के शेष भाग में पांच एकड़ जमीन हो । इस अधिसूचना के जारी होने से बड़े भू-धारी बंधकधारियों से अपने जमीन को अपने परिवार के सदस्यों एवं नाते रिश्तेदारों के नाम पर दर्शाते हुए इस अधिनियम के प्रभाव को ही नष्ट कर दिया और यह अधिनियम सिर्फ किताब के पन्नों में सिमटकर रखा रह गया । भू-धारी एवं बंधकधारी अपने परिवार के ऐसे सदस्यों के नाम पर बंधक लेना प्रारम्भ किया जिसके नाम से चल के रजीस्टर 11 में जमाबंदी ही नहीं चल रहा है, जिससे यह पता चले कि उक्त बंधकधारी के नाम कितनी जमीन है जबकि उक्त बंधकधारी बड़े भूपतियों के ही वारिस रहते हैं ।

बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति ने 18 फरवरी 1997 की बैठक में इस विषय पर विचार-विमर्श किया जिसके आलोक में सभा सचिवालय ने अपने पत्र संख्या 952 दिनांक 8 जुलाई 1997 के द्वारा सचिव, राजस्व विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा कि अधिसूचना सं0 एस0 ओ0 207 दिनांक 13 फरवरी 1981 बिहार विधान सभा के पटल पर अबतक रखा गया है या नहीं । इस पर विभाग कसे कोई उत्तर नहीं प्राप्त होने पर सभा सचिवालय के पद संख्या 1563 दिनांक 3 सितम्बर 1997 एवं पत्रसं0 1616, दिनांक 25 सितम्बर 1997 द्वारा स्मार भेजा गया । प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 27 मई 1998 की बैठक मे राजस्व एवं भूमि-सुधार विभाग के सचिव ने अपने पत्रसं0 251, दिनांक 27 मई 1998 द्वारा विभागीय उप-सचिव श्री सत्यदेव सिंह को प्राधिकृत किया । उप-सचिव ने समिति को बतलाया कि जबाब देने कि स्थिति में नही हूँ । इस पर समिति ने निर्णय लिया की अगली बैठक में सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग स्वयं उपस्थित हो । इस निर्णय के अनुपालन में सभा सचिवालय के पत्र संख्या - 630, दिनांक 9 जून 1998 द्वारा सचिव, राजस्व विभाग को दिनांक 18 जून 1998 को समिति की बैठक में भाग लेने के लिए सूचना भेजी गयी ।

प्रत्यायुक्त विधान समिति के उप-समिति (1) को दिनांक 18 जून 1998 की बैठक में सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं सचिव, विधि विभाग उपस्थित हुए । सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बतलाया कि अधिनियम की धारा-3 में सरकार को जो शक्ति प्रदत्त है उसीके तहत यह अधिसूचना जारी की गयी है । समिति ने यह सम्परीक्षण के क्रम में पृच्छा की कि ऐसी होने से क्या अधिनियम की मूल भावना समाप्त नहीं हो जाती है । सचिव, विभाग ने बतलाा कि इस अधिसूचना के तहत छोटानागपुर इलाके में सात एकड़ से अधिक और अन्य भागों में पांच एकड़ से अधिक यदि किसी के पास जमीन है तो वह मैनुपुलेशन के द्वारा उक्त नोटिफिकेशन का दुरुपयोग कर सकता है । समिति ने यह पृच्छा की कि इसका मतलब है कि अधिनियम की मूल भावना को "एलिमेलेट" किया जा सकता है । इस पर समिति ने विधि सचिव से जिज्ञासा प्रकट की कि क्या मूल ऐक्ट की अधिसूचना के द्वारा समाप्त किया जा सकता है ? इस पर सचिव, विधि विभाग ने बतलाया कि यह सम्भव है कि इसका मिस्यूज होता होगा। समिति ने सचिव राजस्व विभाग को निदेश दिया कि अधिसूचना से संबंधित फाईल की अद्यतन स्थिति क्या है, सूचिका कहां और यदि सूचिका है, तो उसकी छाया प्रति अपने प्रतिवेदन के साथ समिति को दी जाय । उक्त निदेश के आलोक में सचिव, राजस्व विभाग ने अनुपालन प्रतिवेदन वांछित सूचिका की छाया प्रति भेजने हेतु एक माह के समय की मांग की ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने पत्र संख्या 747 दिनांक 23 जुलाई 1998 के द्वारा समिति को निम्न सूचना करायी है :-

"धारा -3 के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदत्त है कि साहूकारी के किसी वर्ग विशेष या किसी विशेष प्रकार के कण से इस अधिनियम के कुछ या सभी प्रावधानों से कारणों का उल्लेख करते हुए विमुक्त किया जा सकता है ।"

राज्य सरकारने धारा -3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का ही उपयोग किया है । उक्त अधिसूचना के चलते इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है । यदि इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होगी तो निश्चय ही सरकार उनपर विचार कर विधि सम्मत निर्णय लेगी।"

प्रत्यायुक्त विधान समिति की उप-समिति (1) की दिनाक 25 जुलाई 1998 बैठक में समिति ने सचिव, राजस्व विभाग एवं सचिव, विधि

विभाग से सम्परीक्षण के क्रम में यह जानना चाहा कि जो अधिनियम बना है इसका उद्देश्य क्या है इस अधिनियम का उद्देश्य जमीन बंधक रखने वाले के पक्ष में था या विपक्ष में औरजो अधिसूचना है वह किसके पक्ष में है ? सचिव, राजस्व विभाग ने इस पर बतलाया कि यह अधिनियम उन्हीं लोगों के लिए बना है, जो जमीन बंधक रखते है । सचिव विधि विभाग ने बताया कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ''डेटर्स'' को ''रिलिफ'' देना है । इसमें कहा गया था कि ''बेनी फिट'' जैसे ही ''डेटर्स'' से छिन लिया जायेगा तब वह उसके ''एगेस्ट'' में चला जायेगा। जो मूल उद्देश्य था उन्हें ''एंगस्ट में रुल नहीं बन सकता है । यह ''फैक्ट्सपर'' डिपेन्ड करेगा की उस समय ''फैक्ट्स'' क्या था ? समिति ने यह जानना चाहा कि इस ऐक्ट की धारा -3 का जो उपयोग किया है वह उपयोग इस ''ऐक्ट्स'' के उद्देश्य को खत्म करेगा । अतएव इससे बचने के लिए उसमें एमेंडमेंट करवाये बिना कोई उपाय नहीं था । असत इसमें सेक्सन-3 लागू नहीं होगा । सचिव, विधि विभाग ने कहा कि यह सिद्धान्त: बिल्कुल सही है कि ऐसा कोई ''नोटिफिकेशन ऐक्ट'' को ही खा जायेगा तो वैसा नहीं होगा । इससे संबंधित संचिका विभाग उपलब्ध नहीं करा रहा है। सचिव, राजस्व विभाग ने इस संध में प्रसांगिक अधिसूचना जारी होने के पूर्व जनता के बीच प्रचारित करने या अधिनियम की धारा -47 (3) के तहत विधान मंडल के पटल पर अधिसूचना को रखे जाने के संबंध में उत्तर देने में मूल संचिका नहीं मिलने के कारण असमर्थता जतायी ।

समिति का मंतव्य एवं अनुशंसा

राजस्व विभाग द्वारा बिहार मनीलैण्डर्स ऐक्ट 1974 के तहत जो अधिसूचना सं0 207 दिनांक 13 फरवरी 1981 निकाला गया वह बिहार मनीलैण्डर्स ऐक्ट के उद्देश्य एवं भावना के विपरीत है । सचिव, विधि विभाग ने भी अधिनियम के उद्देश्य एवं हेतु को देखकर बताया कि यह अधिसूचना अधिनियम की मूल भावना उद्देश्य एवं हेतु के विपरीत है साहूकार के पक्ष में यह अधिसूचना निर्गत किया गया है, जिससे समिति का मानना है कि विधान मंडल द्वारा प्रयोजित शक्तियों का सरकार ने हनन् किया और बंधक रखने वाले गरीब एवं जरुरतमंद व्यक्तियों का अधिनियम में दिये गये अधिकारको ही समाप्त कर दिया है। विधि सचिव ने समिति को बताया कि अधिनियम की धारा-3 में यदि कोई प्रावधान है तो वह समूचे अधिनियम के प्रावधान की समाप्त नहीं कर सकता है जिस उद्देश्य एवं हेतु को लेकर राज्य सरकार बिहार विधान मंडल के समक्ष गयी थी समिति का स्पष्ट अभिमत है कि अधिनियम की कोई धारा में अन्तर्निहित प्रावधान की अधिनियम के मूल उद्देश्य एवं हेतु के विपरीत किसी सरकारी अधिसूचना से खंडित नहीं किया जा सकता है । सरकार को यदि इस अधिनियम के तहत कोई अधिसूचना या नियम बनाना चाहिए था तो वह भूमि बंधक रखने वाले गरीब बंधककारी के पक्ष में ही बनाना चाहिए था, तो वह भूमि बंधक रखने वाले गरीब बंधककारी केपक्ष में ही बनाना चाहिए न कि बंधककर्त्ता साहूकार के हित को ध्यान में रखकर/समिति को यह जानकर भी दु:ख हुआ कि अधिसूचना से संबंधित संचिका ही विभाग से गायब हो गई है । वह विभाग के आंतरिक प्रशासन की लखर व्यवस्था है । निश्चित रुप से विधि सचिव के इस राय से समिति पूर्णत: सहमत है कि अधिनियम के तहत कोई प्रावधान मूल अधिनियम के उद्देश्य एवं हेतु के विपरीत प्रभावकारी नहीं हो सकता है । उस सारी बातों के समीक्षोपरान्त समिति का निश्चित मत है कि अधिसूचना संख्या 207के मूल अधिनियम के उद्देश्य एवं हेतु के विपरीत है ।

अत: समिति अनुशंसा करती है कि राज्य सरकार अधिसूचना सं0 - 207 दिनांक 13 फरवरी 1981 को भूतलक्षी प्रभाव से लोक हित एवं अधिनियम की मूल भावना एवं उद्देश्य को अक्षुण्ण रखते हेतु विकसित करे ।

रामदेव वर्मा
सभापति
प्रत्यायुक्त, विधान समिति,
बिहार विधान-सभा ।

पटना :
दिनांक 2 दिसम्बर 1998

परिशिष्ट

5 परिशिष्ट -7

NOTIFICATIONS UNDER 1974 ACT

APPENDIX - 7

NOTIFICATIONS UNDER ACT OF 1974

1. S.O. 207, dated 13th February, 1981, whereas section 12 of the Bihar Money Lenders Act, 1974 (Bihar Act 22 of 1975), provides that the principal amount and all dues in respect of a sufractuary mortgage relating to any agriculturalland shall be deemed to have been wholly redeemed on expiry of a period of seven years from the date of the execution of the mortgage bond, in respect of such land and the mortgagor shall be entitled torecover possession of the mortgaged land :

And, whereas the State Government is satisfied that the aforesaid provision of law caused great hardship to small landholders who advance loans on the usufructuary mortgage of agriculturalland.

And, whereas the State Government consider it necessary to give relief to such small land-holders from the operationof section 12 of the said Act;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section3 of the said Act, the State Government is pladased to exempt all such mortgagee land-olding land not more thansevenacres (equival not to 2,8329 hectares) in North and SouthChotanagpur Divisions and district of Santhal Pargana and five acres (Equivalent to 2,0235 hectares) in othe rparts of the State and who advance loans of usufructuary mortgage of agricultural land fromthe operationof section 12 of the said Act from the date of publication of this notification in the Bihar Gazette.

(Notes. - This notification was published in Bihar Gazette (ex-ord.). dated 23 rd February, 1981. By virus of this notification small land holders have been exempted from the operation of section 12).

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 माघ, 1902 (श०)
पटना, शुक्रवार, 13 फरवरी 1981

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

13 फरवरी 1981

एस० ओ० 207- चूंकि बिहार साहूकार अधिनियम 1974 (बिहार अधिनियम सं0 22, 1975) की धारा 12 में यह उपबंध है कि कृषि भूमि संबंधी भोग बंधक के मूलधन और सभी पावनों को ऐसी भूमि संबंधी बंधक पत्र के निष्पादन की तारीख से सात वर्षों की वधि समाप्त होने पर पूर्णतः चुका दिया गया और बंधक का पूर्ण मोचन हुआ समझा जाएगा तथा बंधककर्ता बंधकित भूमि पर कब्जा पाने का हकदार होगा ।

और, चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि विधि के उक्त उपाय के कारण लघु भूधारकों को जो कृषि भूमि के भोग बंधक करकर्ज देते हैं बहुत कठिनाई होती है :

और, चूंकि राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि ऐसे लघु भूधारकों को उक्त अधिनियम की धारा 12 के प्रवर्तन में राहत दी जाय।

इसलिए, अब उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलों और संथाल परगना जिला में सात एकड़ (2.8329 हेक्टेयर के समतुल्य) तथा राज्य के अन्य भागों में पाँच एकड़ (2.0235) हेक्टेयर के समतुल्य) से अनधिक भूमि धारण करने वाले ऐसे सभी बंधकदार भूधारकों कोजो कृषि भूमि के भोग बंधक पर कर्ज देते हैं उक्त अधिनियम की धारा 12 के प्रवर्तन सं इस अधिसचना के बिहार राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से छूट देती है ।

(6 एल0 आर0 10.9.80)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दुर्गा प्रसाद वर्मा,
सरकार के उप सचिव ।

13 फरवरी 1981

एस0 ओ0 207- एस0 ओ0 207 दिनांक 13 फरवरी 1981 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

(6 एल0 आर0 10.9.80)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दुर्गा प्रसाद वर्मा,
सरकार के उप सचिव ।

S.O. 207 - Whereas, section 12 of the Bihar Money Lenders Act, 1974 (Bihar Act 22 of 1975), provides that the principal amount and all dues in respect of a usufruetuary mortgage relating to any agricultural land shall be deemed to have been fully satisfied and the mortgage shall be deemed to have been wholly redeemed on expiry of a period of seven years from the date of the execution of the mortgage bond; In respect of such land and the mortgagor shall be entitled to recover possession of the mortgaged land;

And, whereas the State Government is satisfied that the aforesaid provision of law causes great hardship to small land-holders who advance loans on the usufructuary mortgage of agricultural land;

And, whereas the State Government consider it necessary to give relief to such small land-holders from the operation of section 12 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the State Government is pleased to exempt all such mortgagee land-holders holding land not more than seven acros (equivalent to 2.8329 hectares) in North and South Chotanagpur Divisions and district of Santhal Parganas and five acres (equivalent to 2.0235 hectares) in other parts of the State, and who advance loans on usufructuary mortgage of agricultural land from the operation of section 12 of the said Act from the date of publication of this notification in the *Bihar Gazette*.

[G/L.R.-1019/80]

By order of the Governor of Bihar,

D. P. VERMA,

Deputy Secretary to Government

पत्र संख्या :- 12 / भू० सु० विविध - 11/2000 737 रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री के० ए० एच० सुब्रमणियन,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता ।
सभी उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक 3.10.2000

विषय :- भूमि सुधार कार्यक्रमों से संबंधित मामलों को विशेष अभियान चलाकर निष्पादित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंधित विभागीय पत्रांक - 1246/ रा० दिनांक 26.12.97 एवं 297 रा० दिनांक 3.4.99 का कृपया स्मरण किया जाय, जिसके द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रमों को अभियान चलाकर प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित किये जाने हेतु कई महत्वपूर्ण निदेश दिये गये हैं ।

इसी प्रसंग के अखबारों के माध्यम से एवं विभिन्न प्रमंडलीय मुख्यालयों में हुई आयुक्त समाहर्ता एवं अन्य राजस्व पदाधिकारियों की बैठक में भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसा अभियान अक्टुबर 2000 तक चलाया जायेगा ।

सरकार का स्पष्ट अवधारणा है कि बिहार में उग्रवाद की समस्या मूलतः भूमि कीसमस्या है । भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावकारी ढंग से लागू कर तथा भूमि विवादों का निपटारा कर उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है ।

अतः भूमि संबंधित समस्याओं के निपटारा हेतु भूमि सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत भू-हदबन्दी की अधिशेष भूमि भूदान भूमि एवं सरकारी भूमि का वितरण, वासगीत पर्चा एवं दाखिल खारीज आदि मामलों को एक विशेष अभियान चलाकर दिनांक 31.10.2000 तक निष्पादित किया जाना है ।

भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करते समय समानता का ख्याल अवश्य रखा जाय तथा भूमि वितरण एवं बन्दोबस्ती के समय ही वास्तविक दखल कब्जा दिला दिया जाय ताकि वाद में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो ।

भूमि सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत गरीबों एवं सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों को 04 डिसमिल जमीन मुहैया कराया जाता है साथ ही प्रत्येक सुदूर गांवों और टोलों में जहां सड़क नहीं वहां 12 फुट का रास्ता निर्माण कराया जाना है । सरकारी जमीन की अनुपलब्धता की स्थिति में सरकार जमीन अर्जित कर उपलब्ध करायेगी ।

भूमि सुधार की सफलता उसको समय सीमा के अन्दर कार्यान्वित किये जाने पर निर्भर करती है । अतएव एक विशष अभियान के क्रम में भूमि सुधार कार्यक्रमों का दिनांक 31.10.2000 तक निश्चित रूप से निष्पादित कर दिया जाय तथा कृत कार्रवाई से सरकार को अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन

(के० ए० एच० सुब्रमणियम)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 737 रा०, पटना - 15, दिनांक 3.10.2000

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचना शीघ्र आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

(के० ए० एच० सुब्रमणियम)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 12 / रा० परा० गठन- 1/98 4 सा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री संत शरण,

सरकारके उप सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/सभी उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक 9.1.99

विषय :- राजस्व एवं भूमि सुधार परामर्शदातृ समिति के पुनर्गठन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय परिपत्रसं0 416/रा0, दिनांक 3.8.95 को विलोपित करते हुए सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार परामर्शदातृ समिति का जिला एवं अंचल स्तर पर पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है ।

2- जिला स्तरीय राजस्व एवं भूमि सुधार परामर्शदातृ समिति का पुनर्गठन निम्नांकित विवरणी के अनुसार किया जाय ।

जिला राजस्व एवं भूमि सुधार परामर्शदातृ समिति

1.	जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला के अपर समाहर्त्ता	सदस्य सचिव
3.	जिला के सभी सांसद या उसके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
4.	जिला के सभी विधान सभा सदस्य या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
5.	जिला के सभी विधान परिषद के सदस्य या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
6.	जिला युवा राष्ट्रीय जनतादल के अध्यक्ष	सदस्य
7.	जिला योजना पदाधिकारी	सदस्य
8.	सरकार द्वारा मनोनीत पांच सदस्य (भूमि आंदोलन एवं श्रमिक आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्त्ता)	सदस्य
9.	जिला 20 सूत्रीके उपाध्यक्ष	सदस्य
10.	जिला भूदान यज्ञ कमिटी के सदस्य	सदस्य
11.	अनुसूचित जाति	एक सदस्य
12.	अनुसूचित जनजाति	एक सदस्य
13.	महिला	एक सदस्य
14.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	एक सदस्य
15.	अकनियत	एक सदस्य
16.	चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलके अध्यक्ष/मंत्री में से एका	विशेष आमंत्रित सदस्य

3- उपर्युक्त समिति की पहली बैठक में समिति द्वारा अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग अकलियत एवं महिला सदस्य का चयन सहवरण को आपशन से होगा जहां पर अनुसूचित जनजाति के सदस्य उपलब्ध नहीं हो वहां पर अनुसूचित जाति के सदस्य का ही सहवरण (को ओपशन) कर लिया जाय एवं जहां पर अनुसूचित जाति के सदस्य उपलब्ध नहीं हों वहां पर अनु0 जनजाति के सदस्य का ही सहवरण (को ऑपशन) किया जाय ।

अंचल स्तर पर भी यही प्रक्रिया होगी ।

4- अंचल राजस्व एवं भूमि सुधार परामर्शदातृ समिति

1.	प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	अंचलाधिकारी	सदस्य सचिव ।
3.	स्थानीय सांसद या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
4.	स्थानीय विधायक या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
5.	स्थानीय विधान पार्षद या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
6.	प्रखंड युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष	सदस्य
7.	सरकार द्वारा मनोनीत पांच सदस्य (भूमि आंदोलन एवं श्रमिक आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता)	सदस्य
8.	प्रखंड 20 सूत्री के अध्यक्ष	सदस्य
9.	भूदान यज्ञ कमिटी के सदस्य	एक सदस्य
11.	अनुसूचित जाति	एक सदस्य
12.	अनुसूचित जनजाति	एक सदस्य
13.	महिला	एक सदस्य
14.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	एक सदस्य
15.	अकनियत	
16.	चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलके अध्यक्ष/ मंत्री में से एक ।	विशेष आमंत्रित सदस्य

अंचल में अनु0 जाति, अनु0 जनजाति और महिला सदस्य सहवरण (को-ऑपशन) के लिए जिलावाली प्रक्रिया ही अपनायी जायेगी ।

5- बैठक :- राजस्व एवं भूमि सुधार परामर्शदातृ समिति की बैठक कम से कम तीन माह में एक बार एवं अधिक से अधिक छः महिना के अंदर अनिवार्य रूप से आहूत की जायेगी ।

जिला राजस्व एवं भूमि सुधार परामर्शदातृ समिति की बैठक अध्यक्ष के परामर्श से जिला अपर समाहर्त्ता आहूत करेंगे ।

जिला राजस्व एवं भूमि सुधार परामर्शदातृ समिति की बैठक अध्यक्ष के परामर्श से अंचलाधिकारी आहूत करेंगे ।

6- <u>वेतन और यात्रा भत्ता :-</u> राजस्व एवं भूमि सुधार परामर्शदातृ समिति के सदस्यों को परामर्शदातृ समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का वेतन या यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

7- कार्य :- गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास जमीन भूदान की जमीन, सीलिंग की जमीन खास महल की जमीन, कैमरे हिन्द की जमीन एवं बेनामी जमीन की जानकारी प्राप्त करना । संस्था एवं मठ मंदीर के नाम से जमीन एवं सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक परियोजना एवं निजी औद्योगिक परियोजना की जमीन की जानकारी लेकर निगरानी एवं समीक्षा करना । दखल एवं बेदखल पर्चाधारी है सरकारी जमीन का

अतिक्रमण कितना है तथा अज्ञात एवं अनुपलब्ध कागजात वाले जमीन की पहचान करना । भूमि के कारण समाज में होरहे विवाद को समाप्त करने के लिए पदाधिकारियों को सहयोग एवं मार्ग-दर्शन देना । अनु० जाति, अनु० जनजाति को हड़पी गई जमीन को वापस दिलाना, दाखिल खारिज को संपुष्ट कराना एवं वासगीत पर्चा संधी कार्य में सहयोग देना भूमि को निगरानी एवं समीक्षा करना ।

विश्वासभाजन

(संत शरण)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक - 4 रा०, पटना - 15, दिनांक 6.1.99

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संत शरण)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक - 4 रा०, पटना - 15, दिनांक 6.1.99

प्रतिलिपि माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मत्री, राज्यमंत्री, राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

(संत शरण)
सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या :- 12 / रा0 परा0 गठन - 1/98 629

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री डी0 पी0 महेश्वरी

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता ।

सभी उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक 8.6.99

विषय :- जिला / अंचल स्तर पर राजस्व एवं भूमि सुधार परामर्शदातृ समिति गठन एवं उसका बैठक करने में तथा सूचना भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक -4/रा0 दिनांक 6.1.99 एवं स्मार पत्रांक 287 रा0 दिनांक 26.3.99 को और अमिका ध्यान आकृष्ट करते हुएकहना है कि अभी तक जिला/अंचल स्तर पर राजस्व एवं भूमि सुधार परामर्शदातृ समिति के गठन एवं उसकी बैठक कीसूचना अप्राप्त है।

अत: अनुरोध है कि इस और व्यक्तिगत ध्यान देते हुए जिलों/अंचल स्तर पर राजस्व एवं भूमि सुधार परामर्शदातृ समिति का गठन यदिनहीं हुआ हो तो शीघ्र दिया जाय एवं उसकी बैठक के शीघ्र बुलायी जाय तथा तत्संबंधी कार्रवाई को सूचना सरकारकोअविलम्ब फैक्ससंवाद द्वारा उपलब्ध कराया जाय ।

विश्वासभाजन

(डी० पी० महेश्वरी)

आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- 3 / सी 3-30153/97 का० 2978

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री ए0 वी0 प्रसाद

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

पटना - 15, दिनांक 21 मार्च 1998 ई०

विषय :- समय-सीमा के अन्दर अपील दायर किये जाने के संबंध में । प्रसंग एल0 पी0 ए0 सं0 - 1327/96 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम लक्ष्मी कान्त पाण्डेय ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश है कि किसी न्यायदेश के विरुद्ध अपील समय-सीमा के अन्दर दायर किया जाए । यदि किसी न्यायादेश के विरुद्ध अपील बिलंब से दायर किया जाता है तों अपीलमें विलंब के कारणों का स्पष्ट उल्लेख कियाजाय ।

माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि यदि राज्य सरकार के पदाधिकारी इसके लिए जबाबदेह पाये जाते है तो वह Misfeasance) अपकरण का मामला बनेगा ।

एल0 पी0 ए0 सं0 - 1327/96 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम लक्ष्मीकान्त पाण्डेय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश संख्या -54 दिनांक 16.12.97 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव ।

In the High Court of Judicature at Patna
L.P.A. No. 1327 of 1996

The State of Bihar and vrs. vs. Laxmi Kant Pandey
For the appellants; Mr. N.N. Sinha, G.P. 9.

4. 16.12.97

Heard learned Government Pleader on the question of condoning of delay.

This appeal is hopelessly barred by 114 days. The impugned order was p[assed on 15.7.1996 and the copy of the order was received on 6.8.1996 i.e. within the period of limitation, yet no prompt action was taken to file the appeal within the statutory period of limitation but the appeal was filed on 6.12.1996 assigning no cogent reason except to say that the file for seeking opinion was being shunted to sectionto section. Indeed, tht cannot be a ground much less sufficient ground or good ground for condoning the delay.

In JT 1997 (8), 189 (P.K. Ramchandran V. State of Kerala and Anr.) their lordships of the Supreme Court laid down that the law of limitation may harshly effect a particular party but it has to be applied with all its rigour when the statuts so prescribe. Learned counsel for the appellants, though, relied on number of decisions of the Supreme Court, but, this decision being the latest one, we follow the dictum laid down therein.

The application for condoning the delay is, accordingly, rejected. Consequently, the appeal is dismissed as barred by limitation.

Learned counsel for the appellants invited the attention of the court that by earlier order this court has noticed the respondent on the question of limitation as well as admission. In this regard, we would like to make it clear that if the appeal is not properly construed by condoning the delay, the question of admission at this stage does not arise. Therefore, we are not considering the admission matter.

We further make it clear that if the officers of the State are found responsible for laches on their part, indeed, it will be a case of misfeasance. It is for the State Government to take appropriate action against them.

Sd/-
(B.M. Lal, C.J.)

Sd/-
(Shashank Kr. Singh, J.)

पत्र संख्या :- 12 / भूदान-12/97-1246 रा०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री शंकर प्रसाद

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त ।

पटना, दिनांक 26.12.97

विषय :- भूमि सुधार कार्यक्रमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा भूमि विवादों के निपटारे हेतु अभियान ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार कार्यक्रमों का प्रभावकारी कार्यान्वयन न होना राज्य के समुचित संतुलित आर्थिक विकास न होने का एक कारण रहा है । अनेक अध्ययनों में भूमि सुधार कार्यान्वयन न होने को कृषि विकासनहोने काएक प्रमुख कारण भी बताा गया है । विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियमों तथा श्रम विभाग के कुछ अन्य अधिनियमों, जिनके कार्यान्वयन का दायित्व सामान्य राजस्व प्रशासन पर है, को तत्परता से कार्यान्वयन होना सामाजिक न्याय के लिये आवश्यक बताया गया है ।

2. बिहार में बढ़ते उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु गठित केन्द्रीय टास्क कोर्स में अन्य के अतिरिक्त निम्न अनुशंसायें भी की हैं:-

Speedy implementation of land reforms will have to be undertaken. While it is true that large areas of excess and Bhudan land have been distributed amongst the poor, it is also true that large areas of land still remains to be distributed. In addition large number of disputes are pending as regards to distributed lands. In large number of cases, Gairmajarua, (Public / Govt) and Muth land has been encroached upon by rich farmers. Large ares of land has also been seized. All these land will have to be settled and distributed. A task force needs to be setup in each district to seetle the land disputes and properly distribute excess land in a given time frame. Strict enforcement of minimum wages Act in Rural Areas is also important.

3. लक्ष्मनपुर बाथे में हुई घटना में क्रम में केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा मख्य मंत्री जीको दिये गये सुझावों में अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित सुझाव है । To make serious efforts to bring about genuine land reforms measures on emergent basis.

4. मुख्यमंत्री जीके द्वारा राजस्व मंत्री तथा मुख्य सचिव की उपस्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी और विभाग के द्वारा पूर्व में भेजे गये निदेश के क्रम में जिला स्तर पर गठित टास्क-फोर्स के माध्यम से भूमि सुधार कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वयन तथा भू-विवादों को चिन्हित कर इनके निपटारे हतु शीघ्र कार्यवाई करने का निदेश दिया गया है । इस बैठक कीकार्यवाही अलग से भेजीजारही है ।

5. भूमि सुधार कार्यक्रमों में निम्नलिखित अधिनियमों का कार्यान्वयन तथा बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू होने के क्रम में राज्य सरकार में निहित गैरमजरुआ भूमि की बंदोबस्ती शामिल है ।

(क) <u>बिहार प्रश्रय प्राप्त वासगित काश्तकारी अधिनियम 1947 व अनुषंगी निदेश :-</u>

(1) इस अधिनियम के द्वारा प्रश्रय प्राप्त रैयत जो लैंड लोर्ड की जमीन पर बसे हुए हैं, को बासगित पर्चा देने का प्रावधान है । यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है ।

(2) अनुसूचित जाति/जन-जाति पिछड़ा वर्ग - I इत्यादि के अन्तर्गत आने वाले प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति जो गैरमजरूआ खास पर मकान बनाकर बसे हुए हैं, उन्हें मकान मय सहन हेतु 12.5 डिसमील सरकारी भूमि की बंदोबस्ती की जा सकती है । इससे अधिक की भूमि के लिए राज्य सरकार का आदेश अपेक्षित होगा । यदि ऐसे लोग गैरमजरूआ आम भूमि पर बसे हुए हैं तब उसकी बंदोबस्ती उसी हालत में की जायेगी जिसमें भूमि प्रकृति बदल गयी है और यह आम जनता के उपयोग मे न ही । इसके लिए आम इश्तहार निर्गत किया जायेगा और आपत्ति प्राप्त की जायेगी। ग्राम पंचायत से अनापत्ति भी ली जायेगी । प्रत्येक मामले में अंचलाधिकारी स्वयं जांच करेंगे । 12.5 डिसमील तक भूमि बंदोबस्त करने हेतु प्रमंडलीय आयुक्त सक्षम होंगे ।

(3) इस अधिनियम के प्रावधान तथा सरकारी अनुदेश के आलोक में प्रश्रय प्राप्त रैयतों को चिन्हित कर कालबद्ध योजना के अन्तर्गत पर्चा देने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ।

(ख) <u>गैर मजरुआ भूमि की बंदोबस्ती</u>

1) बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू होने के फलस्वरुप जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व भूतपूर्व जमीन्दारके द्वाराबन्दोबस्त की गई भूमि और उनके खास दखल की भूमि को छोड़कर शेष भूमि सरकारमें निहित हो गई है ।

2) भूतपूर्व जमीन्दारों के बिहार भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से 1.1.46 के बाद की गयी बंदोबस्ती को राज्य सरकार रद्द कर सकता है । राजा रामगढ़ की करीब चार लाख एकड़ की बंदोबस्ती को रद्द किया गया था । यह भी उल्लेखनीय है कि जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व बन्दोबस्तीकी गई भूमि को खेती में न लाये जाने पर पट्टा लेप्स हो जाता है ।

3) जमीन्दारी उन्मूलन के तुरत बाद फील्ड बुझारत पर भू-अभिलेख अद्यतन करने की कार्रवाई की गयी थी । अनेक जिलो में पुनरीक्षित सर्वे तथा चकबंदी भी की गयी है । इसके आधार पर बंदोबस्ती हेतु उपलब्ध गैरमजरूआ खास भूमि का आकलन हो सकता है ।

4) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम तथा संथालपरगना काश्तकारी अधिनियम द्वारा शासित क्षेत्रों के अनेक गांवों में भिलेज हेडमेन का इंस्टीच्यूशन है । यहां अनेक गांवों में भूमि ग्राम समुदाय की है औरभूमि की बंदोबस्ती का अधिकार ग्राम हेडमेन का है । हाईकल सब प्लान के अन्तर्गत पड़ने वाले अंचलों के संबंध में संसद के द्वारा Provision of Panchayats (Extension to the Scheduled Areas Act) पारित किया गया है जिसके क्रम में राज्य सरकार को भी अधिनियम पारित करना है । इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक गांव के लिए गठित ग्राम सभा गांव की सामूहिक सम्पत्ति को safegurd करने के लिए सक्षम है ।

5) राज्य सरकार की सामान्य नीति है कि देहाती क्षेत्र में कृषि योग्य बंजर भूमि एवं अन्य भूमि में गैरमजरुआ खास भूमि कीबंदोबस्ती में अनुसूचित जाति/जन-जाति/पिछड़ा वर्ग -1 के लोगों को प्राथमिकता दी जाय । जहां इस कोटि के लोग नहीं थे वहां पर राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् पिछड़ा वर्ग -2 के साथ बंदोबस्ती की जाती थी । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र 1180/राजस्व दिनांक 16.5.96 के द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया है कि पिछड़ा वर्ग -2 के साथ भूमि बंदोबस्ती हेतु अनुमंडल पदाधिकारी सक्षम हैं ।

6) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र 344 रा0 दिनांक 14-15.1.69 के द्वारा यह निदेश दिया गया है कि जिस गैर मजरुआ आम भूमि की प्रकृति बदल गयी है, जो सार्वजनिक उपयोग में नही है और जिसमें यूसेज कस्टम आदि ऐसे सार्वजनिक हक सृजित न हो गये हों, कि बदोबस्ती राज्य सरकार के आदेश से की जा सकती परऐसे मामलो में सार्वजनिक सूचना निर्गत कर अनापत्ति प्राप्त करना ग्राम पंचायत की राय लेना तथा अंचलाधिकारी के द्वारा स्वयं जांच किया जाना आवश्यक है ।

7) मध्य बिहार में इस समस्या कीओर भी ध्यान आकृष्ट हुआ है कि भूतपूर्व जमीन्दारों के द्वारा काफी भूमि पर एन्टी-डेटेड/अनबंधित हुकुमनामा के आधार पर बन्दोबस्ती दिखाई गई है और उसके आधार पर अनेक व्यक्ति जमीन पर दखल बता रहे हैं । मगध प्रमंडल के सभी जिलों में पुनरीक्षण सर्वे किया गया है और कुछ अंचलों में बाद में चकबन्दी भी की गयी है । इन अभिलेखों में गैरमजरुआ खास/आम भूमि के संबंध में क्या स्टेटस अंकित किया गया है, इसे देखा जा सकता है । यदि यह महसूस किया जाता है कि सरकार का पक्ष सबल रुप से प्रस्तुत नहीं करने के कारण सरकार के विपक्ष में आदेश हुआ है तो उसके बारे में क्या कार्रवाई की गयी है इस पर समीक्षा एवं अग्रतर कार्रवाई अपेक्षित है । लेकिन ऐसे भी कई मामले होंगे जिनमें इस सर्वे में भूमि राज्य सरकार के पक्ष में निर्गत होने के बावजूद भी नये व्यक्तियों द्वारा दावा किया जा रहा है या राज्य सरकार के बंदोबस्त भूमि के संबंध में प्रश्न उठाया जा रहा है । इस पर कार्रवाई करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जिन मामलों में ऐसे प्रविस्टी के विरुद्ध सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया है वहां राज्य सरकार के हितों की रक्षा के लिए प्रभावकारी कार्रवाई की जानी चाहिये ।

8) यह भी संभव है कि विगत सर्वे में नदी के रूप में दर्ज भूमि नदी की धारा में परिवर्तन के कारण अब या तो कृषि योग्य हो गयी है और उसे अतिकमित कर खेती कीजा रही है अथवा इसमें झाड़-पतवार उग आये हैं और उन्हें समाज के प्रभावशाली वर्ग द्वारा अपने कब्जे में लिये गये हैं । औरंगाबाद तथा जहानाबाद जिलों में सोन नदी का मार्ग परिवर्तन होने के कारण ऐसी काफी भूमि नदीके बाहर आने की सूचना मिली है इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए । यदि भूमि की प्रकृति बदल गयी है तो ग्राम पचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक आपत्ति प्राप्त कर तथा अंचलाधिकारी के द्वारा निरीक्षण कर बंदोबस्ती का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाना चाहिए ।

9) मध्य बिहार के औरंगाबाद व पलामू जिलों में गैरमजरुआ भूमि पर अवस्थित महुआ पेड़ों के फलों के उपयोग को लेकर भी विवाद उठ खड़े होते हैं । इसमें कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए ।

10) यद्यपि कि राज्य सरकार के द्वारा 1967 में ही यह अनुदेश निर्गत है कि समुचित छानबीन के उपरांत ही अनुमंडल पदाधिकारी खाता खोल सकते हैं पर कनीय पदाधिकारिों द्वारा खाता खोलने, विशेषकर शहरीक्षेत्रों में संबंधी शिकायतें बड़े पैमाने पर प्राप्त हो रही है । सरकार इन्हें गंभीरता से लेती है और सरकार अनुदेश उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करेगी ।

(ग) <u>दियारा भूमि की समस्या -</u>

नदियों के alluvial तथा dilluvial प्रभाव के चलते भूमि बाहर आकर पुरानी भूमि से जुट जाती है या कट कर नदी में चलीजाती है । ऐसी दियारा भूमि का सर्वेक्षण करना तथा स्थापित विधि के अनुसार लोगों का हक अंकित करना तथा उनके हकों की सुरक्षा आवश्यक है । यदि ऐसे मामले में पुनः हदबंदी की समीक्षा का निर्धारण किया जाना है तब किया जाय ।

(घ) <u>बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम 1961 -</u>

1) भू-हदबंदी कानूनों के कार्यान्वयन के संबंध में राजस्व पर्षद, प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारियों/उपायुक्तों/अपर समाहर्त्ताओं/अनुमंडल पदाधिकारियों/अपर अनुमंडल पदाधिकारियों/भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता के न्यायालयों में लंबित 932 मामलों में 80690 एकड़ भूमि सन्निहित है । इन मामलों का असमय निष्पादन करने हेतु तथा नके निष्पादन के नियमित अनुश्रवन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुदेश निर्गत किया गया है । पर ऐसा महसूस किया जा रहा है कि ऐसे मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब हो रहा है । इन पर शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है ।

2) राजस्व पर्षद में लंबित 190 मामलों में 17004 एकड़ भूमि सन्निहित है । ससमय अभिलेख व मंतव्य भेज कर इनका निष्पादन कराया जा सकता है ।

3) माननीय उच्च न्यायालय में लंबित 746 मामलों में 61306 एकड़ भूमि सन्निहित है । माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हदबंदी वादों के निष्पादन हेतु एक विशेष पीठ की व्यवस्था की गयी है । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र 1009/रा9 दिनांक 3.9.97 एवं पत्रांक 1087/रा0 दिनांक 16.9.97 द्वारा यह निदेश निर्गत किया गया है कि अपर समाहर्त्ता संबंधित अभिलेखों के साथ निश्चित रुप से निर्धारित तिथियों में न्यायालय में उपस्थित रहकर वादों का निष्पादन करायें इन निदेशों का दृढ़ता से अनुपालन आवश्यक है ।

4) राज्य सरकार के द्वारा 200 एकड़ से अधिक अधिशेष भूमि धारित करने वाले भूधारियों कीसूची बनाई गई थी, जो सूची निश्चित रूप से सभी जिलों को उपलब्ध होगी । यह आवश्यक है कि इन मामलों का सख्ती से अनुश्रवन किया जाय ।

5) राज्य सरकार के एक जिले में किये गये अध्ययन के क्रम में यह स्पष्ट हुआ है कि जिन अधिसूचनाओं के द्वारा अधिशेष भूमि अर्जित की गयी है उसकी अधिसूचनावार समीक्षा की जाय तब काफी अवित्तरित भूमि का पता लग सकता है । वर्तमान में जो आंकड़े प्रतिवेदित किये जा रहे हैं उनके आधार पर कई मामलों की अद्यतन स्थिति स्पष्ट नहीं है और इसीप्रकार का अधिसूचनावार समीक्षा किया जाना अतिआवश्यक है जिससे अवितरित भूमि के संबंध में वास्तविक स्थिति उजागर हो सके ।

6) अभी पिछले दिनों बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम में संशोधन कर धारा (क0) (II) को विलोपित कर दिया गया है और कहा गया है कि यह सदा विलोपित समझा जाएगा, धारा 37 विलोपित कर दी गई है तथा के अन्तर्गत अभिलेखों को पुनर्जिवित करने की समाहर्त्ता की शक्ति समाप्त कर दी गयी है ।

<u>बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम -</u>

1) इस अधिनियम के अन्तर्गत भूदान यज्ञ समिति के पक्ष में किये गये दान-पत्रों की राजस्व न्यायालय द्वारा सम्पुष्टि और सम्पुष्टि के समिति के द्वारा भूमि का वितरण तथा भूदान रैयतों के नाम से दाखिल खारिज किया जाना है । राज्य स्तर पर किये गये अध्ययन के

अनुसार दान-पत्र के द्वारा भूदान में दी गयी 21.18 लाख एकड़ में से 7.23 एकड़ भूमि का वितरण किया गया है । 12.73 लाख भूमि वितरण हेतु आयोग्य बताई गयी है, जिसमें 2.7। लाख एकड़ विकसित कर वित्तरित की जा सकती है । वितरित भूमि में से कितने दान प्राप्तकर्त्ताओं के नाम दाखिल-खारिज हो गया हे या लगान निर्धारित किया गया है इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है । इन बिन्दुओं पर समुचित कार्रवाई अपेक्षित है।

2) संथालपरगना प्रमंडल कीभूमि के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश है कि भूमि ग्राम समुदाय की है । वहां परप्रत्येक गाव के लिए अभिलेख तैयार किया था इसमें इस बात का उल्लेख है कि बंदोबस्ती किस के साथ की जायेगी । संथालपरगना अधिनियम 1949 में भी इससे संबंधित प्रावधान है । फिर भी इस प्रकार के अनेक मामले हैं जिनमें इसे अनदेखी करभूदान समिति के द्वारा गैर जमाबन्दी रैयत या गैरआदिवासियों के साथ भूमि की बंदोबस्ती की गयी है । (ऐसी भूमि के संबंध में संथालपरगना प्रमंडल के राजस्व कानूनों की मूलभूत भावना को ध्यान में रखते हुए भूमि वापसी की कार्रवाई किया जाना उचित होगा ।

(च) <u>गैरमजरुआ खास/आम भूमि के, भूदान में प्राप्त भूमि तथा अधिशेष भूमि के आबंटियों के संबंध में -</u>

1) राजस्व विभाग के द्वारा यह सामान्य दिशा निदेश जारी किया गया है कि बंदोबस्ती की गयी भूमि का सीमांकन कराकर इसका दखल आबंटियों को दिया जाना है और इनके नाम से रसीद काटी जानी है ।

2) इस बात की संभावना है कि ऐसे बंदोबस्ती प्राप्त व्यक्तियों को बेदखल कर दिया गया हो । इन आबंटियों को बेदखल करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा पुनः इन्हें दखल दिलाने हेतु राजस्व अधिनियमों में पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध है । इनका प्रभावकारी उपयोग किया जाय । गृह विभाग के द्वारा गृह विभाग/आरक्षी निदेशालय के द्वारा पूर्व में निर्गत अनुदेशों को दोहराया जा रहा है कि आरक्षी प्रशासन स्वयं अपने द्वारा बंदोबस्त भूमि के आबंटियों के विरुद्ध भी धारा 144/145 की कार्रवाई कर रहा है । यह उचित नहीं है ।

3) यह संभव है कि कुछ मामलों में वही भूमि गैरमजरुआ खास भूमि और भूदान भूमि के रुप में वितरित हो गयी हो और इस प्रकार यह भी संभव है कि हदबंदी अधिशेष भूमि ही भूदान में दूसरे-दूसरे व्यक्ति के साथ बंदोबस्त हो गयी हो । यह आवश्यक है ऐसे मामलों का पता लगाया जाय और उसका निष्पादन हेतु त्वरित कार्रवाई की जाय ।

4) ऐसे व्यक्तियों को खेते करने हेतु सहायता देने के उद्देश्य से अनुदान देने की योजना कार्यान्वित की जा रही है । ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा यह अनुदेश निर्गत है कि ऐसे व्यक्तियों कोआई0 आर0 डी0 पी0 आदि कार्यक्रमों में सहायता पहुंचाई जाय ।

5) अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में इस आशय का निर्णय लिया गया है कि उपलब्ध भूमि अविलंब वितरित की जायेगी और न्यायालयों में लंबित वादों का निष्पादन करा कर भी भूमि की शीघ्र बंदोबस्ती हेतु प्रयास किया जायेगा । इस दिशा में भी कार्रवाई अपेक्षित है ।

(छ) <u>बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम -</u>

1) राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता रहा है कि सार्वजनिक प्रयोग की भूमि यथा-राजस्ता, नहर, नाला नदी आहार-पोखर इत्यादि का अतिक्रमण कर लिया गया है जिसके चलते सामान्य व्यक्तियों को कठिनाई हो रही है । राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक हित की भमि पर से अतिक्रमण हटाने के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है । लोक भूमि अतिक्रमण धिनियम के अन्तर्गत लोक भूमि की परिभाषा अत्यंत विस्तृत है और यह निम्न प्रकार से परिभाषित है :-

<u>Bihar Public Land Encroachmnt Act, 1956</u>

(3) 'Public land' means andy land vested in the Union of India or the State of Bihar, or in any local authority (Public undertaking) educational institution recognised by the Government or by any University established under any law for the time the time being in force railway company or Gram Panchayat established under section 3 of the Bihar Panchayat Raj Act, 1947 (Bihar Act VII of 1948) and includes any land over which the public or the community has got a right of user, such as right of way, burials, cremation, pasturage or irrigation.

ii) गृह विभाग के द्वारा पूर्व से ही यह अनुदेश निर्गत है कि कब्रीस्तानों आदि की घेराबंदी जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से कराई जा सकती है ।

iii) राज्य सरकार द्वारा यह दिशा निदेश भी निर्गत है कि जहां भूमिहीन व्यक्ति अर्थात 50 डिसमील तक भूमि धारित करने वाले व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमित गैरमजरुआ खास भूमि को अन्यथा धारित भूमि को मिलाकर कुल 2.50 एकड़ तक भूमि लगान व लगान का 20 गुणा सलामी

लेकर नियमित किया जा सकता है । यह शसित अनुमंडल पदाधिकारिों को प्रदत्त है । गैरमजरुआ आम भूमि के मामले में पूर्ववत प्रस्ताव राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजना होगा । यह कंडिका 5 (ख) (II) में उल्लिखित नीति से शासित होगा ।

(ज) आदिवासियों की भूमि वापसी -

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, संथालपरगना काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आदिवासियों की भूमि की वापसी से संबंधित प्रावधान है । इन जिलों में हो रहे पुनरीक्षण सर्वे के दौरान ऐसे आदिवासियों की भूमि के अवैध हस्तांतरण की सूचना एकत्रित हुई होगी । ऐसे भी उपायुक्त स्वत: भूमि वापसी हेतु कार्रवाई कर सकते हैं । आदिवासियों की भूमि वापसी हेतु यथोचित कार्रवाई की जानी आवश्यक है ।

(झ) बटाईदारी अधिनियम -

बिहार काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बटाईदारी के माध्यम से खेती कराने की परम्परा है । कृषि उत्पादन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से बटाईदारी को अभिधृति की सुरक्षा दिया जाना आवश्यक है । इसके संबंध में बिहारकाश्तकारी अधिनियम में समुचित प्रावधान किया गया है बिहार काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत 1987 में धारा 48 डी० में किये गये संशोधन के द्वारा पर्सनल कल्टीवेशन को छोड़कर अभिलिखित बटाईदार (दररैयत) को रैयती हक उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान भी किया गया है ।

(ञ) बिहार साहूकार अधिनियम 1974

साहूकारी अधिनियम के अन्तर्गत साहूकारों को निबंधित करने, उनके द्वारा दिये गये ऋण के सूद दरों को नियंत्रित करने अभिलेख रखने, भुगतबंधा के रुप में रखी गई भूमि की सात वर्षों में वापसी आदि से संबंधित प्रावधान किया गया है । इसकी दृढ़ता से अनुपालन आवश्यक है।

6. कृषि श्रमिक से संबंधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन में राजस्व प्रशासन की प्रमुख भूमिका है । जहां एक ओर अंचल प्रशासन को निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है दूसरी ओर अंचलाधिकारी को न्यायालय के रूप में वादों का निष्पादन भी करना है ।

7. इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि भू-सर्वेक्षण/चकबंदी खाता-पुस्तिका तैयार करने की प्रक्रिया में अभिलेखों का प्रारुप प्रकाशन करने के पूर्व विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रम के लाभान्वितों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो जाय ।

8. गृह विभाग के द्वारा उग्रवाद प्रभावित जिलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है ।

अत्यंत प्रभावित - पटना, भोजपुर, गया, जहादानाबाद, औरंगाबाद, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा ।

प्रभावित - भभुआ, रोहतास, नालंदा, धनबाद, बांकारो, गिरीडीह, राँची, लोहदग्गा ।

9. यह आवश्यक है कि सभी जिला विशेषकर उग्रवाद से प्रभावित जिलों में फलेश पाइन्ट कीपहचान की जाय तथा समय रहते निदान हेतु कार्रवाई की जाय ।

10. आपसे अनुरोध करना है कि भूमि सुधार कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वयन तथा भूमि विवादों के निपटारा हेतु जिला स्तरपर टास्क-फोर्स गठित करने संबंधी निर्णय, जो उपर कंडिका (1) में अंकित है, और जिसे पूर्व में भी भेजा गया था, के आलोक में टास्क फोर्स निम्न प्रकार से गठित किया जाय ।

जिला पदाधिकारी/उपायुक्त	अध्यक्ष
बंदोबस्त पदाधिकारी/संयुक्त	
निदेशक/उपनिदेशक, चकबंदी	सदस्य
अपर समाहर्त्ता (भू-हदबंदी)	सदस्य
सभी अनुमंडल पदाधिकारी	सदस्य
अपर समाहर्त्ता	सदस्य सचिव ।

भूमि सुधार कार्यों के कार्यान्वयन तथा भूमि विवादों के निपटारे की महत्ता को देखते हुए राज्य स्तर पर भी पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों के अनुश्रवण की जिम्मेदारी दी जा रही है । वे इन जिलों में जाकर बैठकों में भाग लेंगे या समीक्षा करेंगे । इन पदाधिकारियों का नाम निम्न प्रकार है:-

नाम एवं पदनाम	प्रमंडलों का नाम
अपर सचिव, श्री बैजनाथ प्रसाद	पटना, मगध
संयुक्त सचिव, श्री अलखदेव प्रसाद	पूर्णियाँ, पलामू, राँची
उप-सचिव, श्री सत्यदेव सिंह	दरभंगा, छपरा

उप-सचिव, श्री मनोहर लाल	भागलपुर, मुंगेर
उप-सचिव, श्री सुरेन्द्र प्रसाद	हजारीबाग, संथालपरगना
उप-सचिव, श्री बी० बी० सिह	मुजफ्फरपुर, सहरसा ।

11. अपने-अपने जिने का मासिक समीक्षा प्रतिवेदन राजस्व विभाग के समन्वय प्रशाखा को भेजते हुए वे एक प्रति उक्त पदाधिकारी को भी भेजी जानी है कि वे निदेशानुसार राज्य सरकार के स्तर पर लंबित विषय यदि कोई हो पर सरकार काआदेश प्राप्त कर सकेंगे । प्रमंडलीय आयुक्त अपने यहां आयोजित बैठक की पूर्व सूचना देंगे ।

12. राज्य सरकार के द्वारा पूर्व मे ही यह निदेश दियागया है कि अंचलाधिकारी आदि शिविर न्यायालयों के माध्यम से दाखिल खारीज आदिका काम करेंगे । जिला पदाधिकारियों/उपायुक्तों को मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा जनता दरबार आयोजित कर समस्याओं के निदान हेतु निदेश दिए गए हैं ।

13. राज्य सरकार यह स्पष्ट करना चाहेगी कि जो पदाधिकारी अच्छा कार्य करेंगे उन्हें प्रोत्साहन दियाजायेगा तथाजो पदाधिकारी अपना दायित्व का निर्वाहन नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी ।

14. कृपया इन अनुदेशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

(शंकर प्रसाद)
सरकारके अपर सचिव ।

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1918 (श०)

(सं० पटना 415) पटना, मंगलवार 1 अक्टूबर 1996

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचनाएँ

19 सितम्बर 1996

जी० एस० आर० -14 दिनांक 1 अक्तूबर 1996 - बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (अधिनियम VIII, 1885) की धारा 189 के साथ पठित धारा 23 और बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1993 (अधिनियम 21, 1993) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के अधीन निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा 190 की अपेक्षानुसार पूर्व में ही प्रकाशन किया जा चुका है :-

1. (1) यह नियमावली बिहार लगान पुर्ननिर्धारण नियमावली, 1995 कही जा सकेगी ।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगा ।

2. परिभाषाएं - (क) बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885, की धारा 23 की उप-धारा (4) में प्रयुक्त शब्द "रैयत" से अभिप्रेत उक्त अधिनियम की धारा 4(2) में परिभाषित "रैयत" से है ।

(ख) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (4) एवं 5 (क) (1) के अन्तर्गत शब्द "समाहर्त्ता" से अभिप्रेत उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (16) में परिभाषित अधिकारी से है ।

(ग) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (5) (क) (1) के अन्तर्गत शब्द 'समाहर्त्ता से भिन्न किसी पदाधिकारी" का तात्पर्य संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी का भूमि सुधार उप-समाहर्ता है ।

(घ) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (5) (क) (ii) के अन्तर्गत शब्द "विहित प्राधिकार" का तात्पर्य संबंधित अप्रमंडलीय आयुक्त से है ।

(ङ) जो शब्द विशेष रूप से इस नियमावली में परिभाषित नहीं किये गये हैं उनका वही अर्थ होगा जो मूल अधिनियम में उनकी परिभाषा या अर्थ नहीं दिया गया है ।

(च) प्रपत्र से अभिप्रेत है इस नियमावली से उपाबद्ध प्रपत्र ।

3. समाहर्त्ता के पास आवेदन-पत्र दिया जाना - (1) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत भूमि का उपयोग करने का इच्छुक रैयत पूर्वानमति के लिये प्रपत्र "क" में समाहर्त्ता के पास आवेदन - पत्र देगा ।

उदाहरण - भूमि पर आटा चक्की, आयल एस्पेलर बैठाना, दुकान या अन्य व्यवसाय करना, मिल कारखाना बैठाना आदि ।

(2) यदि किसी रैयत ने उपरोक्त नियम 3(1) के अन्तर्गत आवेदन नहीं दिया है और वह उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा 4 के अन्तर्गत भूमि का उपयोग करते आ रहा है, तो कार्योत्तर अनुमति क लिये समाहर्त्ता के पास प्रपत्र "ख" में आवेदन-पत्र देगा ।

(3) यदि कोई रैयत बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (4) के तृतीय परन्तुक के अन्तर्गत भूमि का उपयोग कर रहा है तो प्रपत्र "ग" में समाहर्ता के पास आवेदन-पत्र देगा ।

4. भूमि का बाजार मूल्य का निर्धारण - (1) इस नियमावली क नियम 3 के उप-नियम (1) (2) (3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त होने पर समाहर्ता भूमि के उपयोग (बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (4) यानि वैसे प्रयोजनों के लिये करने पर जो

धारा 23 की उप-धारा (2) में प्रमाणित न हो) की तिथि से पहले का संबंधित भूमि के अंश या समतुल्य निकटवर्ती आस-पास की भूमि के निकटतम तिथि से विक्रय मूल्य के आधार पर संबंधित भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करेगा ।

(2) यदि उप-नियम (1) के अन्तर्गत भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण का आधार उपलब्ध नहीं हो, तो आस-पास के गांव टोला, मुहल्ला पंचायत के समतुल्य भूमि के विक्रय मूल्य के आधार पर भी समाहर्त्ता संबंधित भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करेगा :

परन्तु यह कि यदि ऐसा विक्रय मूल्य भूमि के उपयोग से ठीक पहले प्रथम वर्ष में उपलब्ध नहीं होता दूसरे अथवा तीसरे वर्ष में भी उपलब्ध होने पर उसे आधार मानकर संबंधित भूमि का बाजार मूल्य का निर्धारण किया जा सकेगा ।

5. भूमि का लगान का पुनः निर्धारण की रीति :- (1) भूमि का लगान का पुनः निर्धारण करते समय समाहर्त्ता इस बात का ध्यान रखेगा कि लगान का पुनः निर्धारण युक्ति-युक्त (Reasonable) आधार पर ही परन्तु यह कि किसी भी हालत में सामान्य तौर पर भूमि के बाजार के मूल्य का तीन प्रतिशत से कम न होगा ।

6. पूर्वानुमति :- यदि कोई रैयत इस नियमावली के नियम 3(1) में अंकित प्रयोजनों के लिये भूमि का उपयोग बिहार काश्त-कारी अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (4) के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व से ही करते चला आ रहा है तथा उक्त धारा के तृतीय परन्तुक के अन्तर्गत समय पर समाहर्त्ता के पास आवेदन दिया है तो समाहर्त्ता उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (4) के तृतीय परन्तुक के अन्तर्गत उस पर कारवाई करेगा ।

7. कार्योत्तर अनुमति - यदि कोई रैयत समाहर्त्ता की पूर्वानुमति लिये बगैर इस नियमावली क नियम 3 (1) के अन्तर्गत कथित प्रयोजनों हेतु भूमि का उपयोग कर रहा है या करते चला आ रहा है तो बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (4) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत समाहर्त्ता कार्योत्तर अनुमति दे सकेगा ।

8. दुगुनी लगान का भुगतान - यदि कोई रैयत इस नियमावली के नियम 3(1) के अन्तर्गत भूमि का उपयोग पूर्व से ही कर रहा है और समाहर्त्ता के पास पूर्वानुमति कार्योत्तर अनुमति के लिये आवेदन पत्र नहीं दिया है तथा इसकी जानकारी सूचना समाहर्त्ता को हो गई है तो समाहर्त्ता निबन्धित डाक द्वारा/विशेष दूत से प्रपत्र "घ" में रैयत को कारण पृच्छा का नोटिस देगा । सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद समाहर्त्ता यथोचित निर्णय लेगा यदि भूमि का उपयोग इस नियमावली के नियम 3(1) के अन्तर्गत उपरोक्त अधिनियम की धारा 23(4) के अन्तर्गत पाया गया तो नियम 4 के अनुसार उक्त भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण कर नियम 5 के अन्तर्गत लगान का पुनः निर्धारण समाहर्त्ता करेगा, तदोपरान्त उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (4) के तृतीय परन्तुक के अंतिम खण्ड के अन्तर्गत भूमि के उपयोग की तिथि से पता चलने तक की तिथि की अवधि के लिये उपरोक्त पुनः निर्धारित लगान से दुगुना लगान भुगतान करने पर कार्योत्तर अनुमति/पूर्वानुमति समाहर्त्ता द्वारा प्रदान किया जा सकेगा।

9. लगान का पुनरीक्षण :- बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उप-धारा (4) के चतुर्थ परन्तुक के अन्तर्गत भूमि उपयोग की तिथि से प्रत्येक दस वर्ष बाद समाहर्त्ता इस नियमावली के नियम 4 के अन्तर्गत भूमि का बाजार मूल्य का निर्धारण कर नियम 5 के अन्तर्गत उक्त भूमि के लगान को पुनः निर्धारण कर पुनः निर्धारित करेगा ।

10. अपील की प्रक्रिया :- उक्त अधिनियम की धारा 23 (5) (ग) के अधीन अपील की सुनवाई एवं उसका निष्पादन यथा संभव व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम 5, 1908) के आदेश 41 (सी० पी० सी० आर्डर 41) द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा ।

(सं० 11/ भू० सु० 10-35/95)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एस० एन० पी० एन० सिन्हा,

सरकार के विशेष सचिव ।

प्रपत्र - क

धारा - 23 (4) के अधीन अनुमति के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियमावली 3 (1) देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

महोदय,

मैं ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... टोला ..... थाना ..... अंचल ..... अनुमंडल ..... जिला ..... का निवासी हूँ। मैं अपनी निम्नांकित भूमि, जिसका पूर्ण विवरण अंकित है, का उपयोग बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 (2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिये करना चाहता हूं।

अत: अनुरोध है कि निम्नलिखित भूमि का लगान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 3 (4) के अधीन निर्धारित करते हुए प्रस्तावित उपयोग में लाने की अनुमति देने की कृपा की जाय।

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकबा	ग्राम	राजस्व थाना
1	2	3	4	5	6

अंचल	अनुमंडल	जिला	वर्तमान लगान	प्रस्तावित प्रयोजन (जिसे उपयोग में लाना चाहते हैं उसका पूर्ण विवरण)	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12

विश्वासभाजन

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि।

प्रपत्र - ख

धारा - 23 (4) के द्वितीय परन्तुक के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियम - 3 (2) देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

महोदय,

मैं ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... टोला ..... अंचल ..... अनुमंडल ..... जिला ..... का निवासी हूँ। मैं निम्नांकित अपनी भूमि, जिसका पूर्ण विवरण अंकित है, का उपयोग बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 के प्रवृत्त होने के पूर्व दिनाक ..... से ही धारा (2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन में उपयोग में ला रहा हूं तथा समय पर आवेदन-पत्र देने में असमर्थ था । नहीं दे सकता ।

अतः अनुरोध है कि निम्नलिखित भूमि का लगान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के अधीन निर्धारित करते हुए इस भूमि को उपयोग में लाने की कार्योत्तर अनुमति देने की कृपा की जाय ।

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकवा	ग्राम	राजस्व थाना	अंचल	अनुमंडल
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला	वर्तमान लगान	प्रयोजन का पूर्ण विवरण	उपयोग में लाने की तिथि	अभ्युक्ति
		प्रयोजन का नाम		
9	10	11	12	13

विश्वासभाजन

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि ।

प्रपत्र - ग

धारा - 23 (4) के तृतीय परन्तुक के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियम - 3 (2) देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

महोदय,

मैं ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... टोला ..... थाना ..... अंचल ..... अनुमंडल ..... जिला ..... का निवासी हूँ। मैं निम्नांकित अपनी भूमि, जिसका पूर्ण विवरण अंकित है, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के प्रवृत्त होने के पूर्व दिनांक ..... से ही धारा 23(2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन में उपयोग में ला रहा हूं।

अत: अनुरोध है कि निम्नलिखित भूमि का लगान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के अधीन निर्धारित करते हुए इस भूमि को उपयोग में लाने की कार्योत्तर अनुमति देने की कृपा की जाय।

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकबा	ग्राम	राजस्व थाना	अंचल	अनुमंडल
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला	वर्तमान लगान	प्रयोजन का पूर्ण विवरण	उपयोग में लाने की तिथि	अभ्युक्ति
		प्रयोजन का नाम		
9	10	11	12	13

विश्वासभाजन

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि।

प्रपत्र - घ

बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नोटिस

(नियमावली 8 देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

नोटिस बनाम ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... थाना ..... अंचल .... जिला ..... चूँकि आप निम्नलिखित भूमि का उपयोग, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 उप-धारा (4) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कर रहे हैं, अतः दिनांक ..... को मेरे न्यायालय में 10.30 बजे पूर्वाह्न तक कारण बतायें कि उक्त धारा की उपधार (4) के द्वितीय परन्तुक तृतीय परन्तुक के आलोक में आपके विरुद्ध क्यों नहीं कार्रवाई की जाय, यदि आप उक्त तिथि एवं समय तक कारण नहीं बताते हैं तो एक तरफा की कारवाई होगी ।

मोहर

समाहर्त्ता

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकवा	ग्राम	राजस्व थाना	अंचल	अनुमंडल
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला	वर्तमान लगान	प्रयोजन का पूर्ण विवरण	अभ्युक्ति
9	10	11	12

बिहार - राज्यपाल के आदेश से,
एस० एन० पी० एन० सिन्हा
आयुक्त एवं सचिव ।

19 सितम्बर 1996

जी० एस० आर० 15- जी० एस० आर० 14, दिनांक । अक्तूबर 1996 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त नियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

बिहार - राज्यपाल के आदेश से,
एस० एन० पी० एन० सिन्हा
आयुक्त एवं सचिव ।

G.S.R. 14, dated 1st October 1996. — In exercise of the powers conferred by section 23 road with section 189 of the Bihar Tenancy Act. 1885 (Act VIII of 1885) and the Bihar Tenancy (Amendment) Act, 1993 (Bihar Act 21, 1993), the Governor of Bihar is pleased to make the following rules framed under the said Act, the same having been proviously published as required by section190 of the said Act; —

1. (1) These Rules may be called the Bihar Rent Refixation Rules. 1995.

(2) It shall come into force at once.

2. *Definitions.* - (a) The word "Raiyat" used in sub-section (4) of section 23 of the B.T. Act, 1885 has the sme meaning as defined in sectin 4(2) of the Act.

(b) The word "Collector" used in sub-section (4) and (5) (a) (1) of the section 23 of the B.T. Act 1885 means an officer as defined in sub-section (16) of section 3 of the B.T. Act. 1885.

(c) The words "an Officer other than the Collector of a district" used in clause (i) (a) of sub-section (5) of section 23 of the B.T. Act 1885, means the concerned sub-divisional officer or land Reforms Deputy Collector of the district.

(d) Thewords "prescribed authority" used in clasue (ii) of sub-section 5(a) section 23 of the B.T. Act 1885 means concerned Divisional Commissioner.

(e) Words not specifically defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Bihar Tenancy Act, 1885.

(f) Proforma means proforma annexed to these rules.

3. *Filing of application to the Collector.* - (1) Raiyat intending to utilise his land under sub-section (4) of section 23 of the B.T. Act, 1885 shall file an application to the Collectorin Form A for prior permission.

Examples - Use of the land, for the purpose of running a Flouer Mill, Oil Spelleru, Shops and other Business, Mills, Factories, Workshops etc.

(2) If a raiyat. has not filed application under rule 3(1) and has been using his land under sub-section (4) of section 23 of the Act, he shall file an application to the Collector in Form B for post Facto permission.

(3) If a raiyat has been using his land under the third proviso of sub-section (4) of section 23 of the B. T. Act. 1885, he shall file an application to the Collector in form C.

4. *Fixation of the Market value of the land.* - (1) on receipt of an application under sub-rule (1) (2) (3) of rule 3 of these rules, the Collecror shal ldetermine the market value of the land or part therof on th ebasis of th esale price of the lands in the vionity immediately proceeding the date of th euse of the land (under sub-section (4) of sectio 23 of B.T. Act 1885 i.e.for purposes not enumerated in sub-section (3) of section 23 of the B.T.Act)

(2) If the base of the fixation of market value of the land as mentioned in sub-rule (1) is not available, the Collector shall determine the market value of the concerned land evenon the basis of the sale price of similar land in the neighbouring village/mohalla/panchayat ;

Provided that, if such sale price is not available in the preceding 1st year of the use of the land,the market value may be determined even onthe basis of sale price in the preceding 2nd or 3rd year.

5. *Manner for re-determination of the rent of land.*- At the time of redetermination of the rent of a land the Collector shall take care that the re-determinationof rent should be reasonable :

Provided that in any circumstances generlly it should not be less than 3 percent of the market value of th eland.

6. *Prior permission.*- If any raiyat has been using his land for the purposes mentioned in rule 3(1) of these rules prior to the date of commencement of subsection (4) of section 3 of the B.T. Act and has filed his application to the Collector in time unde rthe third proviso of the said section. the Collector shall take action according to the third proviso of sub-section (4) of section 23 of the said Act.

7. *Post-Facto permission.* - If a raiyat is using or has been using his land for the purpose mentioned in rule 3(1) of these rules without taking prior permission of the Collector, the Collector may grant post facto permission under the second proviso of sub-section (4) of section 23 of the B.T. Act, 1885.

8. *Payment of double rent.* - If a raiyat has been using his land for the purposes mentioned in rule 3(1) of these

rules and has not filed application to the Collector for prior permission/post-facto permission and if comes to the knowledge/notice of the Collector, the Collector shall give a show cause notice in Form 'D' to the raiyat through Registered Post/Special messenger. After giving reasonable opportunity to the raiyat concerned of being heard the Collector shall pass an appropriate Order. If the use of land is found to be in accordance with the rule 3(1) of these rules under section 23(4) of the said Act, the Collector shall after determining the market value of the land under rule 4 redetermine the rent of the land under rule 5 of these rules. After that under the third proviso of sub-section (4) of section 23 of the said Act, the Collector may give post-facto/prior permission on payment of double of the redetermined rent for the period between the date of use of the land till the date of detection.

9. *Revision of rent.* - After at every ten years from the dte of use of the land under the fourth proviso of sub ection (4) of section 23 of the B.T Acter, 1885 the Collector after reassessing the market value of the land under rule 4 of these rules shall redetermine of the rent of the land under rule 5 of these rules.

10. *Procedure of appeal* - The hearing and disposal of an appeal under section 23 (5) (c) of the said Act, shall be made as far as possiblein as per the procedure laid down in order 41 (C.P.C. Order 41) of the Civil Procedure Code, 1908 (Act 5, 1908)

[No. 11/L.R. 10 -- 35/96]

Byorder of the Governor of Bihar,

S.N.P.N. Sinha,

Commissioner and Secretary

प्रपत्र (फार्म - ए)

धारा - 23 (4) के अधीन अनुमति के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियमावली 3 (1) देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

महोदय,

मैं ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... टोला ..... थाना ..... अंचल ..... अनुमंडल ..... जिला ..... का निवासी हूँ। मैं अपनी निम्नांकित भूमि, जिसका पूर्ण विवरण अंकित है, का उपयोग बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 (2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिये करना चाहता हूँ।

अतः अनुरोध है कि निम्नलिखित भूमि का लगान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के अधीन निर्धारित करते हुए प्रस्तावित उपयोग में लाने की अनुमति देने की कृपा की जाय।

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकबा	ग्राम	राजस्व थाना
1	2	3	4	5	6

अंचल	अनुमंडल	जिला	वर्तमान लगान	प्रस्तावित प्रयोजन (जिसे उपयोग में लाना चाहते हैं उसका पूर्ण विवरण)	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12

विश्वासभाजन

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि।

प्रपत्र (फार्म - बी)

धारा - 23 (4) के द्वितीय परन्तुक के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियम - 3 (2) देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

महोदय,

मैं ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... टोला ..... अंचल ..... अनुमंडल ..... जिला ..... का निवासी हूँ। मैं निम्नांकित अपनी भूमि, जिसका पूर्ण विवरण अंकित है, का उपयोग बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 के प्रवृत्त होने के पूर्व दिनाक ..... से ही धारा (2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन में उपयोग में ला रहा हूं तथा समय पर आवेदन-पत्र देने में असमर्थ था । नहीं दे सकता ।

अतः अनुरोध है कि निम्नलिखित भूमि का लगान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के अधीन निर्धारित करते हुए इस भूमि को उपयोग में लाने की कार्योत्तर अनुमति देने की कृपा की जाय ।

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकबा	ग्राम	राजस्व थाना	अंचल	अनुमंडल
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला	वर्तमान लगान	प्रयोजन का पूर्ण विवरण प्रयोजन का नाम	उपयोग में लाने की तिथि	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13

विश्वासभाजन

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि ।

प्रपत्र - ग (फार्म - सी).

धारा - 23 (4) के तृतीय परन्तुक के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियम - 3 (3) देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

महोदय,

मैं ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... टोला ..... थाना ..... अंचल ..... अनुमंडल ..... जिला ..... का निवासी हूँ। मैं निम्नांकित अपनी भूमि, जिसका पूर्ण विवरण अंकित है, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के प्रवृत्त होने के पूर्व दिनांक ..... से ही धारा 23(2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन में उपयोग में ला रहा हूँ।

अत: अनुरोध है कि निम्नलिखित भूमि का लगान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 (4) के अधीन निर्धारित करते हुए इस भूमि को उपयोग में लाने की कार्योत्तर अनुमति देने की कृपा की जाय।

भूमि का विवरण

खेसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकबा	ग्राम	राजस्व थाना	अंचल	अनुमंडल
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला	वर्तमान लगान	प्रयोजन का पूर्ण विवरण प्रयोजन का नाम	उपयोग में लाने की तिथि	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13

विश्वासभाजन

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि।

प्रपत्र - घ (फॉर्म - डी)

बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नोटिस

(नियमावली 8 देखें)

सेवा में,

समाहर्त्ता,

.....

नोटिस बनाम ..... पिता का नाम ..... ग्राम ..... थाना ..... अंचल .... जिला ..... चूँकि आप निम्नलिखित भूमि का उपयोग, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23 उप-धारा (4) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कर रहे हैं, अतः दिनांक ..... को मेरे न्यायालय में 10.30 बजे पूर्वाह्न तक कारण बतायें कि उक्त धारा की उपधारा (4) के द्वितीय परन्तुक/तृतीय परन्तुक के आलोक में आपके विरुद्ध क्यों नहीं कार्रवाई की जाय, यदि आप उक्त तिथि एवं समय तक कारण नहीं बताते हैं तो एक तरफा की कारवाई होगी।

मोहर

समाहर्त्ता

.....

भूमि का विवरण

खसरा सं०	खाता सं०	चौहद्दी	रकबा	ग्राम	राजस्व थाना	अंचल	अनुमंडल
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला	वर्तमान	प्रयोजन का पूर्ण विवरण	अभ्युक्ति
9	10	11	12

11/भू० सु० 10-35/95

बिहार - राज्यपाल के आदेश से,

एस० एन० पी० एन० सिन्हा,

आयुक्त एवं सरकार के सचिव।

बिहार सरकार

श्री रमई राम
मंत्री
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना ।

दूरभाष कार्या० - 225355
आवास - 222988

अर्द्ध सरकारी पत्रांक 498 रा० पटना, दिनांक 13.8.99

प्रिय श्री,

विषय :- राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित सरकार की नीतियों से संबंधित सूचना एवं की गयी कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन का प्रेषण ।

आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि संबंधीऐसीनीतियां प्रतिपादित की
गई है, जिससे कि समाज के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग, सैनिक एवं अन्य गरीब तबकों को लाभ प्राप्त हो सके । स्पष्ट
है कि भूमि का संबंध जीविकोपार्जन से है । अत: समाजिक तनाव, हिंसा एवं उग्रवाद का परोक्ष याअपरोक्षबुनियादीकारण भूमि संबंधीविवाद भी है
। बिहार में जमीन्दारी उन्मूलन, बिहार लैन्ड रिफौर्मस अधिनियम, 1950 में पारित करा दिया गया था, तब से लेकर अब तक भूमि सुधार संबंध
ी कई कानून पारित हुए और कार्रवाईकीगयी । किन्तु वर्तमान सरकार ने मुख्य मंत्री राबड़ी देवी के निदेशों के अनुसार भूमि सुधारसंबंधी कई क्रांतिकारी
निर्णय लिए हैं एवं समाज के शोषित, पीड़ित, लांछित, दलित, भूमिहीन एवं कमजोर वर्गों में भूमि बांटने, कब्जा दिलाने, रसीदकाटने तथा उसका
बेदखली से रक्षा करने एवं जिन गांवों, टोलों में आने-जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है उसमें रास्ता के लिए भूमि प्रदानकरते हेतु कई कदम उठाये
हैं, जिसका लाभ भी परिलक्षित हो रहा है ।

यह आवश्यक है कि वर्तमान सरकार द्वारा उठाये गये ऐसे क्रांतिकारी कदमों की जानकारीआपको प्राप्त हो, इसलिए संक्षेप में नीतियों
एवं की गयी कार्रवाई की चर्चा अपने इसपत्र द्वारा में कररहा हूं, ताकि आप भीइससे अवगत हों एवं अपना बहुमूल्य सुझाव आगे भी इस दिशा में
तीव्र गति से प्रगति करने के लिए दें ।

2. बिहार की धरती की प्रथम महिला मुख्य मंत्री ने हाल ही में अपनी अध्यक्षता में भूमि सुधार संबंधी कार्यों एवं उपलब्धियों की
समीक्षाकी और उन्होंने मेरे सुझाओं को मानकर भूमि सुधार का वपक अभियान चलाने का निर्णय लिया । राज्य के सभी समाहर्त्ताओं/उपायुक्तों को
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विभिन्न पत्रों, परिपत्रों द्वा उपर्युक्त भूमि सुधार कार्यक्रमों एवं नीतियों के त्वरित कार्यान्वयन करने एवं भूमि विवाद
के ज्वलन्त बिन्दुओं की पहचान कर उनका निष्पादन करने का आदेश निर्गत कर दिया गया है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है :-

(क) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 12 भूदान - 10/99-297 रा0 दिना0 3.4.99. के द्वारा सभी समाहर्ता/उपायुक्तों को यह
आदेश दिया गया है कि देहाती क्षेत्रों में अवस्थित भू-हदबन्दी की अधिशेष भूमि, भूदान भूमि एवं गैर मजरूआ सरकारी भूमि (गैर मजरूआ आम
रहित) को अभियान चलाकर भूमिहीन सुयोग्य श्रेणी तथा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग - 1 एवं 2 के बीच 30 जून 1999
तक निश्चित रूप मे वितरित कर दिया जाय । इसके आलोक में भूमि वितरण का कार्य शुरू हो गया है । वित्तीय वर्ष 1999-2000 तक अद्यतन
भू-हदबन्दी के 1अधिशेश भूमि 3,08,223 एकड़ 3,76,516 लाभान्वितों के बीच वितरित किया गया, जिसमें 1,81,701 एकड़ अनुसूचित जाति के
2,34,334 लाभान्वितों के बीच 39,937 एकड़ भूमि अनुसूचित जनजाति के 43,004 लाभान्वितों के बीच एवं 84,849 एकड़ भूमि [illegible] 362 अन्य
लाभान्वितों के बीच वितरित की गयी है । सी तरह भूदान भूमि इस वित्तीय वर्ष तक 7,26,101.10 एकड़ वितरित की गयी जिसमें 2 [illegible] 069.22
एकड़ भूमि 1,92,112 अनुसूचित जाति के लाभान्वितों के बीच 2,00,006.62 एकड़ भूमि 1,02,030 अनुसूचित जनजाति के बीच वितरित की गयी
। गैर मजरूआ खास सरकारी भूमि 13,37,060.40 एकड़ में से 5,47,571 एकड़ भूमि 6,09,565 अनुसूचित जाति एवं [illegible] एकड़ भूमि
2,58,731 अनुसूचित जनजाति के बीच एवं 2,44,226.16 एकड़ भूमि 2,81,746 पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के बीच वितरित की गयी।

जमीन गरीबों को बांटने के पश्चात उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग उस जमीन में सिंचाई की व्यवस्था संबंधी आवश्यक कार्रवाई करे यथा बोरिंग आदि करवा दे । साथ ही ऐसे लाभान्वितनों को ग्रामीण विकास विभाग आई0 आर0 डी0 पी0 योजना के तहत भी परिसम्पत्ति प्रदान किया करे । सिंचाई की व्यवस्था के लिए सरकारी भूमि को इस तरह से बांटना होगा कि लाभान्वितों को कलस्टर में जमीन मिले, ताकि लगभग 10 लाभान्वित मिलकर अपनी जमीन पर बोरिंग भी करा सके । इसलिए यह भी तय हुआ कि इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए आयुक्त एवं सचिव विकास अपने स्तर पर विभिन्न संबंधित नियमों के साथ समन्वय करेंगे एवं कृषि विभाग, लघु सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग को भी उपर्युक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निदेश दिया गया है ।

(ख) सरकार को यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि पूर्व में भूमिहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवारों के लाभान्वितों को बन्दोबस्त भूमि पर दखल कब्जा नहीं दिलाया गया अथवा उनका दखल-कब्जा नहीं है, जिसके फलस्वरुप जनता में असंतोष है और शान्ति भंग हुआ है । अत: सरकार ने सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त को पत्र सं०- 12 भूदान - 10/66-296 रा0 दि0 3.4.99 द्वारा यह आदेश भेजा है कि ऐसे लाभार्थियों को दखल कब्जा दिलाकर एवं दाखिल खारिज कर विहित प्रपत्र में सूचना 15 दिनों के अन्दर भेजें । उक्त पत्र की प्रतिलिपि आपकी सुविधा के लिए संलग्न की जा रही है । इस निदेश से सभी जिलों में दखल-कब्जा दिलाने का अभियान शुरू हो गया है ।

(ग) सरकार ने यह महसूस किया है कि राज्य के अधिकांश गांवों का मुख्य सड़क से सम्पर्क नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । अत: सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है कि राज्य के जिस गांव में टोले/मुहल्लों में जाने के लिए सड़क नही है वहां सड़क निर्माण के लिए गैर मजरूआ जमीन उपलब्ध करायी जाएगी । अगर गैर मजरूआ जमीन उपलब्ध नही हो तो भूमि अर्जन कर सड़क बनाने हेतु भूमि प्रदान किया जाएगा ताकि राज्य के हर गांव एवं टोले में आवागमन सुलभ हो सके। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने पत्र सं०- 8/खा0 म0 नीति 2/9/1102 रा0 दि0 24.6.99 द्वारा आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं सभी आयुक्तों को सड़क निर्माण हेतु कार्रवाई करने एवं गैर मजरूआ भूमि का सर्वेक्षण करने या भूमि का अर्जन हेतु प्रक्रिया शुरु करने का निदेश भेजा है । इस पत्र की प्रतिलिपि भी सुलभ संकेत हेतु संलग्न भी जा रही है ।

(घ) अभी भी राज्य के अधिकांश गावो में गरीब एवं सुयोग्य श्रेणी के बहुत ऐसे परिवार है, जिन्हें अपना आवास नहीं है तथा वे गृह विहीन है । पूर्व में प्रीमिलेज्ड पर्सन होमस्टीट टेनेन्सी ऐक्ट के अन्तर्गत रैयती भूमि में बसे परिवारों को वासगीत का पर्चा दिया गया था । किन्तु अब सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है कि गृह विहीो को आवास हु सरकारी गैर मजरूआ खास भूमि कम से कम 4 डिसमल बन्दोबस्त किया जाएगा । अगर गैर महरूआ खास भूमि उपलब्ध नहीं हो तो गैर मजरूआ आम जमीन कीयदि प्रकृति बदल गयीहै तो ऐसे भूमि कीबन्दोबस्तीका प्रस्ताव विधिवत प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार को भेजने का निदेश भेजा गया है । यदि उपलब्ध गैर मजरूआ भूमि से उस गाँव के सभी सुयोग्य श्रेणी के गृहविहीन परिवारों को आवासीय भूमि बंदोवस्त नहीं होती है तो कृपया अधीनस्थ पदाधिकारी से सर्वेक्षण कराकर यह सुनिश्चित हो लिया जाय, कितने गृहविहीन परिवार बचते है । अनेक आवासहेतु कम से कम चार डिसमील भूमि के हिसाब से रेयती भूमि अर्जन करने के लिए अनुमानित व्यय का विधिवत प्रस्तावभेजा जाय ताकि निधि की व्यवस्थाकरमें-अर्जनकर आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जा सके ।इसकी भी पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(ङ) सरकार ये भी महसूस किया है कि भूमिहीन अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़ो के बीच भूमि बांटने की कार्रवाई को तेज करने के लिए आवश्यक है कि बांटने योग्य अधिक भूमि प्राप्त किया जा सकें । अत: इस संबंध में सरकारने नीतिगत निर्णय लिया है कि विभिन्न न्यायालयों में लंबित भू-हदबन्दी वादों को त्वरित निष्पादन कराया जाय ताकि अधिकाधिक भूमि मिले । वर्तमान मे बिहार राज्य के विभिन्न न्यायालयों में भु-हदबन्दी के कुल 1723 मामले लम्बित में जिनमें कुल 1,59,820.17 एकड़ सन्निहित है । इन मामलों के शीघ्र निष्पादन से प्राप्त भूमि को शीघ्रतातिशीघ्र भूमिहीनों के बीच सरकार वितरण करेगी । इस सम्बन्ध में पत्र सं0 - 10 उ0 आर0 ओ0 4-29/99-778 दि0 28.7.99 द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्त्ता, सदस्य, राजस्व पर्षद, सभी अपर सदस्य, राजस्व पर्षद को भू हदबन्दी वादों के त्वरित निष्पादन हेतु निदेश भेजा गया है, जिसकी प्रति आपकी सुविधा हेतु संलग्न की जा रही है ।

(च) सरकार ने यह भी महसूस किया है कि भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा अब तक 9 (नौ) लाख एकड़ भूमि भूमिहीनों के बच बांटा नहीं जा सका है । अत: सरकार शीघ्र विधान सभा में यह विधेयक लायगी कि उक्त जमीन को बांटने का अधिकार उपायुक्त / समाहर्त्ता को दे दिया

जाय ताकि जमीन अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों को प्रदान किया जा सके । इससे न केवल सामाजिक शांति बढ़ेगी, वरन उनकी आय भीबढ़ेगी और राज्य का आर्थिक विकासतीव्र गति से हो सकेगा ।

(छ) सरकार ने यह भी महसूस किया है कि विभिन्न योजनाओं के लिए जब जमीन अर्जित की जाती है तो भूधारी को समय पर मुआवजा की राशि प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे उन्हें बाध्य होकर न्यायालय का शरण लेना पड़ता है । अतः राज्य सरकार ने अपनेपत्रांक डी0 उल0 ए0 नीति 6/99-250 दि0 26.3.99 द्वारा यह निर्देश सभी समाहर्त्ताओं/उपायुक्तों को दिया है (प्रतिलिपि संलग्न) के ऐसे मामलों में जिनके कार्यकाल में मुआवजा भुगतान किये बिना भूमि पर अधिपत्य सौंपा गया उस अधिकारी से ही उत्तरदायित्व निर्धारित करने के बादसूद की राशिवसूल किया जाएगा । इसप्रकार भू अर्जनके प्रस्ताव भेजने के पूर्व अधियाची विभाग से मुआवजाकीप्राक्कलित संभावित राशि एवं साधारणप्रक्रिया के अधीनपंचाट घोषणा के पूर्व पूर्ण राशि जमा करने के पश्चात् भू अर्जन की अग्रेतर कार्रवाई अधिकारियों को करने का निदेश दिया गया है ।

3. मुझे आशा है कि उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि वर्तमान राज्य सरकार भूमि सुधार कार्यक्रमों को कितना महत्व दे रही है और अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े जाति, कार्यरत सैनिकों एवं भूमिहीनों के लिए भूमि उपलब्ध कराने एवं अन्य भूमि सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कितना कृत संकल्प हैं ।

इस पुनीत कार्य में सहयोग का आकांक्षी ।

भवदीय

(रमई राम)

पत्र संख्या :- 11 /भू0 सु0-10-04/92 - 636 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री फूल चन्द सिंह,

भूमि सुधार आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिलाधिकारी/उपायुक्त ।

पटना, दिनांक 25.5.92

विषय :- बिहार अभिधृति (संशोधन) अधिनियम 1987 का कार्यान्वयन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 48 (घ) के अन्तर्गत बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 1987 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अधिभोगी दर रैयत यथाविहित भुगतान कर रैयती अधिकार अर्जित करने का हकदार होगा और उस भूमि पर से भूधारी रैयती का हक समाप्त हो जायेगा । ऐसी भूमि के रैयत को उसकी भूमि के वार्षिक लगान की 24 गुणी राशि मुआवजा के रूप में प्राप्त होगी । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 11/एल0 आर0 10-16/89-390 रा० दिनांक 6.2.68 के साथ संशोधन अधिनियम की प्रति भेजी जा चुकी है ।

2. उक्त प्रावधानों को लागू करने के लिये नियमावली तैयार की गई है । बिहार अभिधृति (संशोधन) नियमावली, 1992 के नाम से निर्मित इस नियमावली को बिहार गजट के असाधारण अंक में संख्या 11 भू0 सु0 10/91-156 रा० दिनांक 11 मार्च 1992 के द्वारा अंतिम रूप से अधि सूचित कर दिया गया है । यह नियमावली उक्त तिथि से प्रवृत्त भी हो गई है ।

3. उक्त नियमावली के अनुसार अधिभोगी दर रैयत, जो अपने द्वारा बटाईदारी में धारित जमीन के संबंध में रैयती अधिकार अर्जित करने का हकदार हो गया हो और नियमावली की उप धारा-1 के अधीन फार्म "ग" में अंचलाधिकारी के पास आवेदन करेगा जिसमें उस रैयत का नाम, पिता का नाम एवं पता का भी उल्लेख करेगा जिनकी भूमि वह अधिभोगी दर रैयत के रुप में धारित करने का दावा करता हो। साथ ही वे ऐसी भूमि की विशिष्टयों तथा जिस वर्ष से ऐसा दावा किया जाता हो, उसके दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रेषित करेगाकि वह भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 के अधीन विहित सीमा से अधिक राज्य में कही भी कोई भूमि धारण नहीं करता है ।

4. अंचलाधिकारी ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इन्हें रजिस्टर - VIII (प्रवीर्ण रजिस्टर) में अंकित करेंगे । अंचलाधिकारी विहित प्रक्रिया अपनाकर और युक्ति युक्त सुनवाई कर विधिसम्मत आदेश पारित करेंगे ।

5. अंचलाधिकारी के आदेश के 30 दिनों के भीतर एसे मामले की अपील अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में कीजा सकेगी ।

6. उपर्युक्त प्रक्रिया को अपनाते हुए आदेश पारित करने के बाद बिहार अभिधृति अधिनियम 8, 1885 के उपबंधों के अधीन दर रैयत द्वारा जिस होल्डिंग का वह हकदार हो उसकी लगान के 24 गुणा के बराबर राशि अंचलाधिकारी की उपस्थिति में एक मुश्त अथवा उपर्युक्त किस्तों में जो 5 वार्षिक किस्तों से अधिक नहीं होगी, भुगतान कर देने पर उस भूमि में रैयत का अधिकार समाप्त हो जायेगा और उस भूमि की बाबत अधि भोगी दर रैयत रैयती अधिकार प्राप्त कर लेगा ।

7. कैडस्ट्रल सर्वे जहाँ पुनरीक्षित सर्वे नहीं हुआ है और पुनरीक्षित सर्वे में कई व्यक्तियों के नाम पर शिकमी खाता खोला गया है । इसके अतिरिक्त कई बटाईदारों का नाम धारा 48क के अंतर्गत भी दर्ज किया गया है । ऐसे व्यक्तियों के संबंध में कारवाई करने में कोई कठिनाई नहीं

होनी चाहिए ।

8. कई मामले में बटाईदार अपना बटाईदारी का दावा भी प्रस्तुत करेंगे । इस मामलों का भी त्वरित निष्पादन आवश्यक है । इस संबंध में निजी खेती की परिभाषा में हुए संशोधन का भी ध्यान रखेंगे ।

9. इस नियमावली की प्रतियां पर्याप्त संख्या में आपके पास भेजी जारही है जिन्हें जिले के अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता तथा अंचलाधिकारी को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय ।

10. प्रमंडलीय स्तर पर जिला पदाधिकारियों की बैठक में तथा जिला/अनुमंडल स्तर पर अंचलाधिकारियों की बैठक में इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से की जाय तथा बटाईदारी मामलों के निष्पादन के संबंध में सरकार को भेजे जानेवाले प्रगति प्रतिवेदन में इस विषय की प्रगति भी अंकित की जाय ।

विश्वासभाजन

(फूल चन्द सिंह)
भूमि सुधार आयुक्त ।

ज्ञापांक 11-भू0 सु0 -10-04/92 - 636 रा0, पटना, दिनांक 25.5.92

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्त्ता/सभी अनुमंडलाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(फूल चन्द सिंह)
भूमि सुधार आयुक्त, बिहार ।

गाँव का नाम	क्रम सं०	आवेदक (अधिभागी दर रैयत) का नाम, पिता का नाम, पता	बटाईदारी के अन्तर्गत जिस पर दावा किया गया हो, के रैयत का नाम, पिता का नाम, पता	उस भूमि का विवरण जिसपर आवेदक अधिभागी दर रैयत के रूप में रैयती अधिकार का दावा करता हो				
				गाँव का नाम थाना सं० और अंचल का नाम	होल्डिंग सं० खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा और उसकी चौहद्दी	वर्ष जब से अधिभागी द्वारा दर रैयत के रूप में होल्डिंग पर कब्जा रखने का दावा किया गया हो।
1	2	3	4	5	5(I)	5(II)	5(III)	6

आवेदन प्राप्त होने की तिथि	अंचलाधिकारी द्वारा अंतिम आदेश की तिथि	अंतिम आदेश का सारांश	अभिलेखाकार भेजने की तिथि चालान सं०	अभिलेखपाल द्वारा प्राप्ति की तिथि	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन, 1913 (शक)

(सं० पटना, 112) पटना, बुधवार, 11 मार्च 1992

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

28 फरवरी 1992

सं० 11/भू0 सु0 10/91 - 156 रा० - बिहार अभिधृति अधिनियम, 1885 (अधिनियम VIII, 1885), की धारा 189 के साथ पठित धारा 48 घ और बिहार अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1986 (अधिनियम 8, 1987) द्वारा प्रदत्त शक्तियों काप्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के अधीन विरचित नियमावली में निम्नलिखित संशोधन करते हैं जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 190 की अपेक्षानुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं प्रसार :- (1) यह नियम बिहार अभिधृति (संशोधन) नियमावली, 1992 कहलाएगा ।

2. यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

1 क. धारा 48 घ के अधीन अधिभोगी दर-रैयत द्वारा आवेदन - (क) अधिभोगी दर-रैयत जो अपने द्वारा धारित भूमि के संबंध में रैयती अधिकार अर्जित करने का हकदार हो, इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची में अन्तर्विष्ट धारा 48(घ) की उप-धारा (1) के अधीन फारम 'ग' में अंचलाधिकारी के पास ऐसा आवेदन करेगा जिसमें अपना, अपने पिता का नाम और पता तथा उस रैयत का नाम, पिता कानाम एवं पता का उल्लेख करेगा जिनकी भूमि वह अधिभोगी दर-रैयत के रूप में धारित करने का दावा करता हो ।। साथ ही वह ऐसी भूमि की विशिष्टियां तथा जिस वर्ष से ऐसा दावा किया जाता हो उसके दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इस आशय पर शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगाकि वह भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 (बिहार अधिनियम XII, 1962) के अधीन विहित सीमा से अधिक राज्य में कहीं भी कोई भूमि धारण नहीं करता है ।

उक्त नियमावली में -

नियम के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जायेगा, यथा --

(ख) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, अंचलाधिकारी संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद विधि के अनुसार जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित करेगा ।

(ग) इस नियम के उपनियम (ख) में निर्दिष्ट आदेश के 30 (तीस) दिनों के भीतर कोई अपील अनुमंडलाधिकारी अथवा ऐसी अपीलों

को सुनने के लिये राज्य सरकारकी अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त किसी पदाधिकारी के पास की जायेगी ।

(घ) ऐसा आदेश पारित करनें पर और बिहार अधिधृति अधिनियम 1885 (बिहार अधिनियम 8, 1885) के उपबंधों के अधीन रैयत जिसहोल्डिंग का हकदार हो उसकी लगान के 24गुने के बराबर लगान अंचलाधिकारी की उपस्थिति में एकमुश्त अथवा उपयुक्त किस्तों में जो पांच वार्षिक किस्तों से अधिक नहीं होगा, भुगतान कर देने पर उसे भूमि में रैयत का अधिकारसमाप्त हो जायगा और उक्त भूमि की बावत अधिभोगी दर-रैयत रैयती अधिकार प्राप्त कर लेगा ।

(11-भू० सु० - 10/91)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम लखन प्रसाद,

सरकार के उप-सचिव ।

अनुसूची

फारम "ग"

(देखें नियम (क))

सेवा में,

अंचलाधिकारी ।

एतद्द्वारा मैं निम्न वर्णित भूमि पर रैयती अधिकार अर्जित करने की बाबत आवेदन करता हूँ । देखें बिहार अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1986 (अधिनियम 8, 1987) द्वारा यथासंशोधित बिहार अभिधृति अधिनियम, 1885 (अधिनियम viii, 1885) का 48 -घ)

रैयत और उसके पिता का नाम एवं पता	उस भूमि का विवरण जिस पर आवेदक अधिभोगी दर-रैयत के रूप में रैयती अधिकार का दावा करता हो ।				वर्ष, जब से अधिभोगी दर रैयत के रूप में होल्डिंग पर कब्जा रखने का दावा किया गया हो ।
	गांव का नाम, थाना सं० और अंचल का नाम ।	होल्डिंग सं० खाता सं०	खेसरा नं०	रकबा और उसकी चौहद्दी । का नाम ।	
1	2(i)	2(ii)	2(iii)	2(iv)	3

अधिभोगी दर -

रैयत का पूर्ण हस्ताक्षर तथा उसके पिता का नाम एवं पूरा पता ।

(सं० 11/भू० सु० 10/91)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रामलखन प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव ।

28 फरवरी 1992

जी० एस० आर० 156/रा० दिनांक 28 फरवरी 1992 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त नियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रामलखन प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव ।

No. 11 L.R.10-1/91-156 — In exercise of the powers conferred by section 48 -D read with section 189 of the Bihar Tenancy Act, 1885 (Act VIII of 1885) and the Bihar Tenancy (Amendment) Act, 1986 (Act 8/1987) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments with rules framed under the said Act the same having been previously published as required by section 190 of the said Act :-

1.Short title and Commencement - (1) This rule may be called the Bihar Tenancy (Amendment) Rules 1992.

2. It shall come into force at once.

In thesaid Rules -

After rule, the following ruleshall be inserted namely :-

1A. Application by occupancy under raiyat under section 48-D.

(a) An ocupancy under-raiyat entitled toacquire raiyatirightin respect of the land held by him shall make such application to the Anchal Adhikari under Sub-section (1) of Sec 48-D in Form 'C' contained inthe Schedule appended to these rules stating his name with parentage and address as well as the name parentage and the address of the raiyat whose lands he claims to hold as occupancy under raiyat with particulars of such land and the year since when it is so claimed along with the documentary evidence thereto and an affidavit to the effect that he does not hold any land beyond the ceiling prescribed under the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisitionof Surplus land) Act, 1961 (Bihar Act XII of 1962) anywhere in the State.

(b) The Anchal Adhikari on receipt of such application shall after giving the parties concerned a reasonable opportunity of being heard and to adduce evidence pass such order or orders in accordance with law as he deems fit.

(c) An appeal shall lie from an order referred to in sub rule (b) of this rule within 30 (thirty) days of the said order to the Subdivisional Officer or to any officer specially empowered by the State Government by notification to hear such appeals.

(d) Upon passing of such order and on payment of rent equivalent to twentyfour times of the rent of the holding to which the raiyat may be entitled under the provisions of the Bihar Tenancy Act, 1885 (Bihar Act 8 of 1885) in presence of Anchal Adhikari in one lump sum or in suitable instalments whichshall not exceed five annual instalments, the right of the raiyat in the land shall extinguish and the occupancy under raiyat shall acquire raiyati right in respect of the said land.

(No. 11/LR. 10-1/91)

By orderof the Governor of Bihar,

B. L. PRASAD,

Deputy Secretary to Government

SCHEDULE

Form 'C'

[See rule (A)]

To

The Anchal Adhikari.

Sir,

I hereby file this application in respect of acquisition of raiyati right over the land described below. See 48-D of the Bihar Tenancy Act, 1885 (Act VIII of 1885) as amended, vide Bihar Tenancy (Amendment) Act, 1986 (Act 8 of 1987).

Name of raiyat with parentage and address.	Details of the land over which raiyati right is claimed by the applicant occupancy under raiyat.				year since which claimed to be holding as occupancy under raiyat.
	Name of village with Thana no. and name of Anchal	Holding No. / Khata No.	Plot No.	Area with the boundary thereof.	
1	2(i)	2(ii)	2(iii)	2(iv)	3

Full signature of the occupancy under raiyat with his parentage and full address.

(No. 11/L.R. - 10-1/91)

By order of the Governor of Bihar,

R.L. PRASAD,

Deputy Secretary to Government

पत्रसं० 11 भु० सु० -10-04/92 - 1206 रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री आर० जयमोहन पिल्लै,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिलाधिकारी/उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक 10.8.92

विषय :- बिहार अभिधृति (संशोधन) अधिनियम 1987 का कार्यान्वयन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए विभागीय परिपत्र सं0 11/सू0 सु0 -10/92/636 रा० दिनांक 25 मई, 1992 के क्रम में कहना है कि सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई है कि बिहार अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निर्मित नियमावली के दिनांक 11 मार्च 1992 से प्रवृत्त हो जाने के बाद भी बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा -48 घ के प्रावधानों के अंतर्गत दर रैयतोंको रैयती हक प्रदान करने के मामले में कतिपय संशय तथा सुविधा राजस्व पदाधिकारियों को है । जैसा कि विभागीय परिपत्र की कंडिका -3 में वर्णित है उक्त नियमावली के अनुसार ऐसे अधिभोगी दर रैयतों को हीउनके द्वारा बटाईदारी में धारित भूमि पर रैयतीहक प्राप्त होगा जो उस पर लगातार 12 वर्षों तक बटाई कर चुके हों और आवेदन पत्र देने की तिथि को भी वे बटाईदार के रूप मे उस जमीन पर खेती करते हो ।

2- सर्वे के दौरान बटाईदारों अथवा जमींदारों का नाम खतियान में दर्ज करने का प्रावधान है । इस प्रकार सर्वे खतियान में जिन बटाईदारों एवं शिकमीदारों का नाम अभिलिखित है तथा जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक अवधि बटाईदार अथवा शिकमीदारके रूप में पूरी कर ली है, उन्हें धारा 48 घ के अधीन रैयत का दर्जा देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

3- बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा - 48 (ङ) के अंतगत बटाईदारों की बेदखली अथवा संभावित बेदखली के मामले में भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता के न्यायालय में यदि बटाईदार द्वारा बटाई में खेती करने की बात सिद्ध हो गई है तो उसके आधार पर 12 वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद दर रैयत को अधिभोगी अधिकार प्राप्त करने का सबूत उपलब्ध हो जाता है । इसी प्रकार इसी अधिनियम की धारा -158 के अंतर्गत पारित आदेश द्वारा भी अधिभोगी दर रैयती अधिकार प्रमाणित किया जा सकता है ।

4- बटाई पर खेती देने के संबंध में जहां लिखित एकरारनामा किया गया हो वैसे मामले में दर रैयत के पक्ष में ऐसा एकरारनामा कागजी सबूत माना जा सकता है ।

5- संभव है कि ऐसे दर रैयत जिन्होंने अधिभोगी अधिकार अर्जित नहीं किया है, वे भी अंचल-अधिकारी को आवेदन पत्र दें । ऐसे मामलों में अंचलाधिकारी को जांच कर समुचित आदेश अविलम्ब देना चाहिए जिससे अनावश्यक रूप से रैयतों तथा दर रैयतो के बीच में वैमनस्य की भावना अथवा तनाव की स्थिति पैदा न हो । दर रैयतों को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि जिन दर रैयतों ने अधिभोगी अधिकार अर्जित किया है, वे हीइस नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई के लिए आवेदन पत्र दें ।

6- यहां बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा -48 ग के प्रावधानों की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है । उक्त धारा के अंतर्गत ऐस रैयत जिसके पास कुल 5 एकड़ सिंचित अथवा 10 एकड़ असिंचित जमीन ही हो, उनकी जमीन पर बटाईदारी में खेती करने वाले दर रैयत को कभी भी अधिभोगी अधिकार अर्जित नहीं होगा चाहे वह दर रैयत कितनी ही लम्बी अवधि से उस पर बटाईदारी में खेती करता हो । इसी प्रकार विधवा अंधा कुष्टरोगी एव लकवा ग्रसित तथा विकृत-चित्त व्यक्ति या भारतीय संघ के स्थल, वायु अथवा नौ सेना कीसेवा में कार्यरत व्यक्ति की जमीन

पर किसी भी अवधि से बटाई खेती करनेवाले दर रैयत को अधिभोगी द्वर रैयत का अधिकार अर्जित नहीं होगा । इस विषय में बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 48-ग का स्पष्टीकरण सं0 -4 की विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है जिसके अनुसार किसी अविभक्त हिन्दू परिवार का सदस्य जिसका भूमि में शेयर हो या जो शेयर का हकदार हो, इस धारा (अर्थात् 48 -ग) के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार भू-स्वामी समझा जायगा मानो परिवार में विभाजन हो चुका हो ।

7- बटाईदारी के संबंध में बिहार काश्तकारी अधिनियम के शेष प्रावधान पूर्ववत् हैं । राजस्व विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि जहां एक ओर वे दर रैयतों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए तत्परता से कार्य करें, वहीं दूसरी ओर जन साधारण के बीच में बटाईदारी के संबंध में फैल रही भ्रांतियों से बचने के लिए परामर्श एवं मार्गदर्शन दें ।

8- विषय महत्वपूर्ण है । इस विभाग में की गई प्रगति तथा स्थिति की अनुमंडलीय, जिला एवं प्रमंडलीय स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जाय ।

9- कृपया पत्र का प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन,

(आर० जयमोहन पिल्लै)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 11/भू सु0 -10-4/92 - 1206 पटना, दिनांक 10.8.92

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता एवं अंचल अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राम लखन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

पत्र सं० 8 / खा० म० -नीति 10/90 - 198 रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० सिन्हा,
भूमि सुधार आयुक्त ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिलाधिकारी
सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी ।

पटना - 15, दिनांक 25.5.90

विषय :- सरकारी भूमि के संरक्षण के निमित्त तात्कालिक एवं सावधिक स्थलीय निरीक्षण, तत्संबंधी विहित पंजियों का अंचल एवं हल्का कार्यालयों में संधारण तथा सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण का निष्कासन एवं संभावित अतिक्रमण से उसकी सुरक्षा आदि के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी भूमि का संरक्षण एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसको संरक्षित करने के लिये सरकार द्वारा संबंधित अधिनियमों में संशोधन के अतिरिक्त समय-समय पर जिला प्रशासन को आवश्यक अनुदेश दिये गये हैं । इनमें से कुछ प्रमुख अनुदेश विभागीय पत्रांक - 3020 दिनांक - 6/8-11-71, विभागीय पत्रांक 5 खा0 (नीति) 1017-77-1461 रा०, दिनांक 14.4.78 तथा विभागीय पत्रांक -81 अति० नीति - 1/89 दिनांक - 1.11.1989 द्वारा संसूचित किये गये हैं ।

2- इन्हीं अनुदेशों के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि इस प्रकार के अनेकों मामले सरकार की नजर में लाये गये हैं, जिनमें सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से लोगों ने विभिन्न उपायों को अपनाया है, जिनमें जाली बन्दोवस्ती, पट्टा हुकुमनामा, लगान रसीद आदि के आधार पर सरकारी जमीन का खाता भी खोले जाने की सूचना मिली है । इसी प्रकार अंचल कार्यालयों में भी सरकारी भूमि पर नाजायत दावा करने वाले व्यक्तियों के नाम से जमाबन्दी खुलने उदाहरण भी मिले हैं ।

3- इस परिपेक्ष्य में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि एक सुनियोजित अभियान चलाकर जमीन के विरुद्ध सम्प्रति चल रहे सर्वे में खोले गये खाते एवं हल्का कार्यालयों में विगत कुछ वर्षों में खोले गये जमाबन्दी के मामलों की जांच की जाय तथा एवं गैर कानूनी ढंग से खोले गये खाते एवं जमा-बंदियों को नियमानुसार रद्द करने की दिशा में कार्रवाई की जाय । इस जांच के सिलसिले में निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(1) पुराने एवं नये सर्वे में दर्ज गैरमजरूआ मालिक/आम खाते की जमीन की विवरणी प्रत्येक अंचल में तैयार रखी जाय तथा उसमें दर्ज करवा का अद्यतन उपलब्ध रकवा से मिलान करते हुए अन्तर के रकवा कीवैसी बन्दोवस्ती जो विगत 20-25 वर्षों में नाजायज ढंग से की गयी हो, की स्थलीय जांच की जाय ।

(2) जांच के क्रम में यदि किसी सरकारी भूमि में किसी निजी व्यक्ति द्वारा निर्बंधित केवाला या दस्तावेज के आधार पर दावा किया जाय तो वैसी स्थिति में विक्रेता के स्वत्वाधिकारी की ठीक-ठीक जांच कर ली जाय । चूंकि लगान रसीद पूर्वाग्रह रहित होते हैं, अतएव मात्र सरकारी लगान रसीद के आधार पर किसी के स्वत्वाधिकार को बिना ठोस साक्ष्य के नहीं माना जाय ।

(3) भूतपूर्व मध्यवर्ती के द्वारा की गयी बन्दोबस्ती की समीक्षा जमीन्दारी विवरणी (रिर्टन) से की जाय । किसी किसी मामले में भूतपूर्व मध्यवर्ती ने या तो विवरणी (रिर्टन) दाखिल नहीं किया था या अब विवरणी (रिटर्न) उपलब्ध नहीं हो रहा है, ऐसे मामलों में भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा

रैयतों को दी गयी लगान रसीद की जांच करने के साथ ही साथ इस बात की भी समीक्षा की जाय कि सरकारी रसीद कब से कट रही है । यदि सरकारी रसीद जमीन्दारी सन्निहित के काफी वर्षों के बाद यानि 1961-62 के बाद से कटना शुरु हुई है तो यह एक संदेहात्मक मामला होगा और ऐसे मामले में गहन छान-बीन की जाय कि किस आधार पर और किसके आदेश से सरकारी रसीद काटी गयी ।

(4) भूतपूर्व मध्यवर्ती के खास दखल में दिखायी गयी गैर मजरूआ मालिक आम जमीन के संबंध में बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 5, 6 एवं 7 के तहत लगान निर्धारण का साक्ष्य या प्रमाण-पत्र मांगा जाय । यदि ऐसा कोई साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाय अथवा अंचल कार्यालय में उसका कोई प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसे भी संदेहात्मक मान कर स्थलीय निरीक्षण आदि द्वारा उसकी गहन छान-बीन की जाय।

(5) यदि स्थानीय जांच में गैर मजरूआ भूमि पर दावा करने वाले का जोत आवाद या भौतिक दखल प्रमाणित न हो तथा संबंधित जमीन टांड़-टिक्कर, जंगली-झाड़ी आदि के रूप में पायी जाय तो दावाकर्ता के कागजी प्रमाणों की कानूनी वैधता और स्वताधिकार की अच्छी प्रकार जांच करने के बाद ही रैयती खाता खोला जाय ।

(6) जमीन्दारी उन्मूलन के बाद बहुत सारी जमीन की बन्दोवस्ती सरकारी पदाधिकारियों द्वारा की गयी है । ऐसे मामलों में इसबात की जांच कि ऐसी बन्दोबस्ती सक्षम पदाधिकारी द्वारा की गयी थी या नहीं । बन्दोवस्ती का केस सं० तथा वर्ष पंजी -2 में दर्ज कर दिया जाय । यदिजांच के क्रम में यह पाया जाय कि जिन मामलों में बन्दोबस्ती का आदेश सक्षम पदाधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है और उसमें अनियमितता बरती गयी है तो वैसे मामलों में जमाबन्दी रद्द करने के पूर्व यह देख लेना उचित होगा कि यदि वह मामला बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 (यथा अद्यतन संशोधित) कीधारा 6 के प्रावधानों के तहत विनियमित हो तो उसे यथावत रखा जाय । साथ ही यदि उक्त बन्दोबस्ती किसी हरिजन, आदिवासी अथवा सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ की गयी हो तो उसे भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा विनियमित करा लिया जाय । अन्य मामलों में उपयुक्त सरकारी परिपत्रों के आलोक में जमाबन्दी रद्द करने की कार्रवाई की जाय ।

4- गैरमजरूआ आम एवं खास जमीन, जिसमें सैरात भी सम्मिलित है की सुरक्षा तथा देख-भाल के लिये निम्नांकित कुछ महत्त्वपूर्ण विन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है :

(1) गैर मजरूआ आम जमीन, जो लोक प्रयोजन से संबंधित है, उसकी सुरक्षा देख-रेख और विकास के लिए संबंधित पंचायत की सहायता ली जाय । इस दिशा में स्थानीय मुखिया, सरपंच और हल्का कर्मचारी तथा पंचायत की सहायता ली जाय । इस दिशा में स्थानीय मुखिया, सरपंच और हल्का कर्मचारी तथा पंचायत सेवक की एक समिति गठित की जाय, जो गैरमजरूआ आम भूमि तथा खलिहान, गोचर सामुहिक जलाशय, मेला-बाजार आदि की सूची हल्का एवं पंचायत कार्यालय में संधारित करेगी तथा प्रत्येक तीन महीने में कम-से-कम एक बार उसका निरीक्षण भी सुनिश्चित करेगी और अपने प्रतिवेदनों को स्थानीय अंचलाधिकारी को भेजेगी । यह समिति पंचायत कोष अथवा पंचायत के द्वारा कार्यान्वित विकास योजनाओं के माध्यम से उसकी घेराबन्दी और विकास के कार्य का सम्पादन करेगी ।

(2) वैसी गैर मजरूआ जमीन सिजमें सरकारी सैरात हो और जो अंचल में संधारित सैरात पंजी में दर्ज हो उसकी सुरक्षा का पूर्ण दायित्व हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल पदाधिकारी का होगा । वे सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी सैराती भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो और यदि कोई अतिक्रमण हो चुका हो तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे हटाया जाय । ऐसी भूमि की घेरावन्दी अथवा विकास के लिये ग्रामीण विकास योजना अथवा साहायय योजना के अन्तर्गत यथा समय कार्रवाई की जानी चाहिए । हाट बाजारों में निर्मित विभिन्न संरचनाओं का संधारण अंचल कार्यालय द्वारा राजस्व विभाग से एतदर्थ आवंटित आकस्मिक निधि के माध्यम से किया जाय ।

सैराती भूमि में हो रहे अतिक्रमण अथवा पूर्व के अतिक्रमण को तुरत अतिक्रमणवाद चलाकर रोका जाय और किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को नियमानुसार शीघ्र हटाया जाय ।

(3) सामुदायिक, सिंचाई या फर्द-आब-धासी से संबंधित पोखरे, नहर, तटबंध, अहर, पईन आदि के संधारण एवं विकास हेतु साहाय्य अथवा ग्रामीण विकास योजना के तहत कार्रवाई की जाय और यदि ऐसीभूमि में किसी प्रकार काअति क्रमण हुआ हो अथवा अतिक्रमण किया जा रहा हो तो उसे अविलम्ब कानूनी कार्रवाई कर रोक जाए ।

5- उपायुक्तो/समाहर्त्ताओं से अपेक्षा है कि तत्काल अपर की कंडिकाओं में दिये गये अनुदेशों के आलोक में सभी स्तरों पर समुचित कार्रवाई की जाय और इस संबंध में कृत कार्रवाई कीसूचना प्रमंडलीय आयुक्तों के माध्यम से राजस्व विभाग को भेजें । यदि इन अनुदेशों के अनुपालन में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव हो तो सरकार को अविलम्ब अवगत कराया जाय ताकि उस संबंध में यथोचित निर्देया समयानुसार भेजे जा सकें । इस परमावश्यक समझें ।

6- इसकी मुद्रित प्रतियां अलग से सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता/अचल अधिकारी को भेजी जा रही है ।

विश्वासभाजन

(एस० एन० सिन्हा)
भूमि सुधार आयुक्त ।

बिहार सरकार

बिहार विधान-सभा

बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1993

(बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित)

बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1993

(बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित)

विषय-सूची

खंड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

2. बिहार अधिनियम 8, 1885 की धारा 23 का संशोधन ।

बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1993

(बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित)

बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौवालीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) यह अधिनियम बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1993 कहा जा सकेगा ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. बिहार अधिनियम 8, 1985 की धारा 23 का संशोधन :- बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 (बिहार अधिनियम 8, 1885) की धारा 23 की -

(i) उप-धारा (1) में शब्द "काश्तकारी" के बाद शब्द और अंक "उप-धारा (4) में यथा उपबंधित को छोड़कर" अन्त:स्थापित किये जायेंगे।

(ii) उप-धारा (3) के बाद निम्नलिखित नई उपधारायें अन्त:स्थापित की जायेंगी, यथा--

"(4) कोई रैयत समाहर्त्ता की पूर्वानुमति से अपनी भूमि का उपयोग वैसे प्रयोजनों के लिए कर सकेगा जो उप-धारा (2) में प्रगणित न हो:

परन्तु यह कि ऐसी अनुमति देने के पूर्व, समाहर्त्ता ऐसी भूमि का लगान विहित रीति से पुन: निर्धारित करेगा जो भूमि के बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत तक होगा :

परन्तु यह और कि यदि कोई रैयत समाहर्त्ता की पूर्वानुमति नहीं ले सका हो तो उप-धारा (2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग प्रारम्भ होने की तिथि तथा यथास्थिति आवेदन की तिथि या पता चलने तक की अवधि की तिथि तक की अवधि के लिए पूर्वानुमति लेने पर जो लगान भुगतान करना पड़ता इससे दूनी लगान का भगता नकरने पर समाहर्ता कार्योत्तर अनुमति दे सकेगा :

परन्तु यह भी कि यदि कोई रैयत इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व ही उप-धारा (2) में प्रगणित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन में अपनी भूमि का उपयोग कर रहा हो तो वह अनुमति के लिए इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से 90 दिनों के अन्तर्गत समाहर्त्ता के पास आवेदन करेगा और ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर वह इस प्रकार कार्रवाई करेगा मानों उसका उपर्युक्त उपयोग इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से ही शुआ हुआ हो । यदि वैसा रैयत ऐसा न करे तो वह इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि और यथास्थिति आवेदन की तिथि यापता चलने की तिथि की अवधि के लिये उस लगान से दूरी लगान भुगतान करने का दायी होगा जो उसे समय पर आवेदन करने पर भुगतान करना होता :

परन्तु यह और भी कि यथानिर्धारित लगान को प्रति दस वर्ष बाद पुनरीक्षित करने की शक्ति समाहर्ता की होगी ।

(5) (क) इस धारा के अधीनपारित किसी आदेश के विरुद्ध उक्त आदेशके तीस दिनों के अन्दर कोई अपील की जा सकेगी :-

(i) यदि ऐसा आदेश किसी जिला के समाहर्त्ता से भिन्न किसी पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो तो उस जिला के समाहर्त्ता के पास अथवा ऐसी अपीलें सुनने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष रूप से शक्ति प्रदत किसी भी पदाधिकारी के पास, तथा

(ii) यदि ऐसा आदेश जिला के समाहर्त्ता द्वारा किया गया हो तो विहित प्राधिकार के पास ।

(ख) जिला का समाहर्त्ता किसी समय अपने समक्ष की गई किसी अपील को, ऐसे अपीलों को सुनने के लिये विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त किसी पदाधिकारी के पास अन्तरित कर सकेगा अथवा इस प्रकार शक्ति प्रदत्त किसी पदाधिकारी के पास लंबित किसी अपील को वापस लेकर ऐसी अपील की सुनवाई स्वयं कर सकेगा अथवा उसके निष्पादन के लिये उसे किसी शक्ति प्रदत्त अन्य पदाधिकारी को अन्तरित कर सकेगा ।

(ग) इस धारा के अधीन किसी अपील की सुनवाई एवं उसका निष्पादन विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा ।"

यह विधेयक (बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1993) दिनांक 30 मार्च, 1993 को बिहार विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 30 मार्च, 1993 को सभा द्वारा पारित हुआ तथा बिहार विधान परिषद् ने दिनांक 3 अप्रील, 1993 को पुनर्विचार की अनुशंसा के साथ लौटाया, जो दिनांक 30 जुलाई, 1993 को सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ. अतएव विधान परिषद् द्वारा बिना संशोधन के एवं सभा द्वारा यथापारित रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ ।

(ह०) गुलाम सरवर,
अध्यक्ष ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 के खण्ड (4) के अधीन मैं प्रमाणित करता हूं कि यह एक धन विधेयक है ।

(ह०) गुलाम सरवर,
अध्यक्ष ।

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 वैशाख, 1898 (श०)

(सं० पटना, 689) पटना, वृहस्पतिवार, 22 अप्रील 1976

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

22 अप्रील 1976

सं० एल० जी०- 4-06/75 लेज०-732-- बिहार विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राष्ट्रपति 21 अगस्त 1976 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

मार्च 1997 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

(बिहार अधिनियम 12, 1976)

बिहार भूमि-सुधार (अधिकतम, सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1975

बिहार लैनड रिफैर्म्स (पिब्सेशन ऐप सीलिंग एरिया ऐण्ड एब्जिजीशन ऑफ सरप्लस लैण्ड) ऐक्ट 1961 का संशोधन करने के लिये अधिनियम ।

भारत-गणराज्य के छियालीसवों वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्लिखिति रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं प्रसार :- (1) यह अधिनियम बिहार भूमि-सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनिम, 1975 कहा जा सकेगा ।

2. बिहार अधिनियम 12, 1962 की धारा-11 का संशोधन :- बिहार लैण्ड रिफोर्म्स (फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया ऐण्ड एक्विजीशन ऑफ सरप्लस लैण्ड) ऐक्ट 1921 (बिहार अधिनियम 12, 1962) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) में "कलक्टर" शब्द के बाद धारा 15-8 की उप-धारा (5) के उपबन्धों के अध्यधीन" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जायेंगे ।

3. बिहार अधिनियम 12, 1962 में नई धारा 15-क का अन्त:स्थापन :- उक्त अधिनियम की धारा 15 के बाद निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जायेगी :-

"15-क : अधिशेष भूमि की स्वेच्छा या घोषणा :- (1) इस अधिनियम की धारा 15 में या किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी जहां धारा 6 क अधीन कोई अधिसूचना प्रकाशित की गई हो वहां राज्य सरकार धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन विवरण के अंतिम प्रकाशन होते तक किसी भी भूधारक को लिखित: सभी भू-धारकों को नोटिस देकर उससे या उनसे राज्य को ऐसा क्षेत्र अभ्यर्पित करने की अपेक्षा कर सकेगी, जो उसके या उनके अनुसार धारा 4 के अधीन विहित अधिकतम सीमा से अधिक न्याधिकृत या धारित हो ।

(2) तदुपरान्त ऐसा भू-धारक जिसे उप-धारा (1) के अधीन ऐसी नोटिस दी जाय विहित प्ररूप (फॉरम) में समाहर्त्ता (कलक्टर) को आवेदन देकर ऐसा अभ्यर्पण स्थापित करेगा ।

(3) यदि भू-धारक अवयस्क या विकृत मस्तिष्क हो, तो अभ्यर्पण की प्रस्थापना उसके संरक्षक द्वारा की जाएगी ।

(4) जहां, यथास्थिति भू-धारक या उसका संरक्षक समाहर्त्ता (कलक्टर) को आवेदन देकर अपनी अधिशेष भूमि के अभ्यर्पण की प्रस्थापना करें वहां राज्य सरकार समाहर्त्ता की अनुशंसा पर धारा 15 की उप-धारा (1) में उपबंधित रीति से नोटिस प्रकाशित कर आवेदन में विनिर्दिष्ट भूमि या उसका कोई भाग अर्जित करेंगी और उसके बाद वह भूमि अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य सरकार में निहित समझी जायगी ।

(5) उप-धारा (4) के अधीन पारित आदेश, विवरण-प्रारूप के अंतिम प्रकाशन से संबंधित धारा 11 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन होगा और समाहर्त्ता (कलक्टर) धारा 11 के अधीन विवरण प्रारूप का अंतिम प्रकाशन करते समय उप-धारा (4) के अधीन पारित आदेश में यथावश्यक परिवर्तन या उपान्तरण करेगा ।"

4. बिहार अधिनियम 12, 1962 की धारा 29 का संशोधन :- उक्त अधिनियम की धारा 29 में उप-धारा (1) के खंड (ख) की मद (iii) लुप्त कर दी जायगी और हमेशा लुप्त की गई समझी जायगी ।

5. बिहार अधिनियम 12, 1962 कीधारा 30 का संशोधन :- उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में "साठ दिनों" शब्दों के स्थापन पर "तीस दिनों" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

6. निरसन और व्यावृत्ति :- (1) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (बिहार अध्यादेश सं0, 61, 1976) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसी कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

वीरेन्द्र कुमार चौधरी,
सरकारके उप-सचिव ।

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 वैशाख, 1898 (श०)

(सं० पटना, 755) पटना, बुधवार, 5 मई 1976

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

5 मई 1976

सं० एल० जी०- 4-06/75 लेज०-820-- राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 21 अप्रील 1976 को अनुमत बिहार भूमि-सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम 1975 (बिहार अधिनियम संख्या 12, 1976) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (2) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

(BIHAR ACT NO.512 OF 1976)

THE BIHR LAND REFORMS (FIXATION OF CEILING AREA AND ACQUISITION OF SURPLUS LAND) (AMENDMENT) ACT, 1975.

AN

ACT

To Amend the Bihar Land beforms (Fixation of ceiling area and acquisition of surplus land) Act, 1961.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Twenty-sixth year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title* — This Act may be called the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Act, 1975.

2. *Amendment of section -11 of the Bihar Act XII of 1962.* - In sub-section (1) of section 11 of the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961 (Bihar Act XII, 1962) (hereinafter referred to as the said Act) after the words "Collector shall", the words and figures "subject to the provisions of sub-section (5) of section 15 A" shall be inserted.

3. *Insertion of new section 15A in Bihar Act XII of 1962* — After section 15 of the said Act, the following section shall be inserted, namely :-

"15-A. Voluntary declaration of surplus land. — (1) Notwithstanding anything contained in section 15 or any other provisions of this Act, where a notification under section6 has been published, the State Governmet may, pending final publication of the statement under sub-section (1) of section 11, issue notice to any landholder or to all landholders generlly, calliing upon him or them to surrender to the State such area which according to him or them is owned or held in excess of the ceiling area prescribed under section 4.

(2) The landholder to whom such notice is issued under sub-section (1) may thereupon make an application tothe Collector in the prescribed form offering to make such surrender.

(3) If the landholder is a minor or of unsound mind, the offer of surrender shall be made by his guardian.

(4) Where the landholder or his guardian, as the case may be, makes an application to the collector offering to surrender his surplus land the State Government shall on the recommendation of the Collector acquire the surplus land specified in the applicationor any part thereof by publishing a notice in the manner provides in sub-section (1) of section 15 and thereupon suchland shall be deemed to have vested inthe State Government under sub-section (2) of section 15 of the Act.

(5) The order passed under sub-section(4) shall be subject to provisions contained in section 11 relating to the final publication of the draft statement and the collector shall, at thetime of making final publicatonof draft statement under section 11, make such alteration or modification in the order passed under sub-section (4) as may necessary."

4. *Amendment of section 29 of Bihar Act XII of 1962*— In section 20 of the said Act, item (iii) of clause (b) of sub-section (1) shall be omitted and shall be deemed always to have been omitted.

5. *Amendment of section 30 of the Bihar Act XII of 1962.* — In sub-section (1) of section 30 of the said Act for the words "Sixty days" the words "thirty days" shall be substituted.

6. *Repeal and Savings.*- (1) The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Second Ordinance,1976 (Bihar Ordinance No. 61, 1976) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any powers conferred by or under the said ordinance, shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force onthe day in which such thingor action was doneor taken.

गोविन्द प्रसाद,

सरकार के उप-सचिव ।

पत्र संख्या :- 11 / भू० सु० एच० एम० - 6/87/1615 - रा० भू० सु०

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एन० नागमणि,

विकास आयुक्त ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/सभी उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक 3.7.1987 ।

विषय :- राजस्व विभाग की गृह स्थल योजना एवं ग्रामीण विकास विभाग की इन्दिरा आवास योजना के सम्मिलित कार्यान्वयन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राजस्व विभाग की गृह स्थल योजना एवं ग्रामीण विकास विभाग की इन्दिरा आवास योजना को एक साथ मिलाकर कार्यान्वयन किया जाय । इस निर्णय का एक उद्देश्य यह है कि लाभान्वितों को गृह स्थल योजना के अन्तर्गत जो विकसित गृह स्थल दिये जाते थे, उनके स्थान पर उन्हें पूर्ण निर्मित आवास उपलब्ध हो सकेगा । दूसरा कारण यह है कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत न तो भू-अर्जन के लिए निधि का कोई प्रावधान है और न ही योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्राक्कलन की राशि आवश्यकतानुसार मकानों के निर्माण एवं सामान्य सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त है । चूंकि इन्दिरा आवास योजना के लिए आवश्यक निधि केन्द्रीय सरकार द्वारा एल० आर० ई० पी० तथा आर० एल० इ० जी० पी० के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है, यह राज्य सरकार के लिए सम्भव नहीं है कि अपने श्रोतों से इस निधि में वृद्धि करसके। राज्य सरकार के अंशदान के रूप में दी जाने वाली राशि की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से इन दोनों योजनाओं को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि राजस्व विभाग की गृह स्थल योजना का पूरा वित्तीय वर्ष राज्य सरकार के कोष से वहन किया जाता है ।

2. कई जिलों से दोनों योजनाओं के सम्मिलित कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कई पृच्छायें की गई हैं । सभी पृच्छाओं का अलग-अलग उत्तर देने के बजाये राज्य सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को एक ही प्रकार के निर्देश निर्गत करना अधिक उपयुक्त समझा है और इस कारण यह परिपत्र निर्गत किया जा रहा है । दोनों योजनाओं के सम्मिलित कार्यान्वयन में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है ।

3. राजस्व विभाग द्वारा गृह स्थल योजना के अन्तर्गत समतल क्षेत्र में प्रति गृह स्थल 760 रु० एवं पहाड़ी क्षेत्र में प्रति गृह स्थल 860 रु० की जो राशि आवंटित कीजाती है, उसके लिए अलग अलग मद में खर्च किये जाने के लिए राशि कर्णांकित की गयी है यथा भू-अर्जन भूमि के विकास पेय जल कीसुविधा एवं झोपड़ी निर्माण के लिए अनदान । यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मामले में भू-अर्जन की आवश्यकता हो । वहीं पर यह भी सम्भव है कि किसी खास भूमि खण्ड के विकास पर उस काम के लिए कर्णांकित राशि पर्याप्त नहीं हो । पेय जल की सुविधा के लिए प्राक्कलित राशि वास्तविक आवश्यकता से कम पड़ सकती है । संक्षेप में गृह स्थल के विकास के लिए जो राशि अनुमान्य है, उसका व्यय किसी मद में किया जा सकता है बशर्ते यह बात ध्यान रहें कि गृह स्थल के विकास की जो लागत निर्धारित है, उससे अधिक व्यय नहीं हो। उदाहरण के तौर पर यदि किसी गृह स्थल में भू-अर्जन के लिए 400 रु० की आवश्यकता होती है तो शेष कार्यों के लिए समतल क्षेत्र में 360 रु० तथा पहाड़ी क्षेत्र में 460 रूपये ही उपलब्ध होगा और इससे अधिक राशि का व्यय शेष कार्यों पर नहीं किया जा सकता ।

4. आपको विदित है कि राजस्व विभाग की गृह स्थल योजना और ग्रामीण विकास विभाग की इन्दिरा आवास योजना दो अलग-अलग योजनायें है और इसके लिए राज्य आय-व्ययक में जो प्रावधान किये गये हैं, वे भी अलग हैं । उपर्युक्त स्थिति में यह आवश्यक है कि दोनों योजनाओं के लिए उपलब्ध राशि को एक साथ मिलाकर खर्च किया जाय किन्तु, व्यय का अलग-अलग ब्योरा रखा जाय । हर हालत में राजस्व विभाग द्वारा आवंटित की व्यय विवरणी और उपलब्धियाँ तथा उपयोगिता और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आवंटित राशि के व्यय की उपयोगिता एवं उपलब्धि

यों का व्योरा अलग-अलग रखना है । दोनों ही राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक ही हो सकते हैं । परन्तु संधारित लेखा पुस्तिका में इन्दराज अलग-अलग किया जायगा ।

5. जहां तक दोनों योजनाओं के सम्मिलित कार्यान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों व्यवधान के समाधान कीबात है जिलाधिकारी अपने जिले में विकास शाखा तथा राजस्व शाखा दोनो ही पूर्ण नियंत्रण में है । अतः समाहर्त्ता अपने विवेक से जिला स्तर पर समन्वय के उपाय खोज सकते हैं और उसे अपने जिला में लागू कर सकते हैं ।

6. एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई जिलों से प्राप्त हुआ है, वह यह है कि गृह स्थल योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार वही हो सकते हैं जो गृह विहीन हैं, जबकि इन्दिरा आवास योजना के लिए इस प्रकार की कोई शर्त्त नहीं है । यह आम जानकारी की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा, जिन्हें निवास का कोई स्थान नहीं है । निवास स्थान छोटा, बड़ा, टूटा-फूटा किसी प्रकार का हो सकता है और यदि मात्र ऐसे व्यक्तियों को खोज की जाय जो पूर्णतः गृह विहीन हैं तो शायद ही कोई लाभान्वित होने वाला परिवार मिलेगा । योजना का उद्देश्य यह है कि जिन परिवारों की आवश्यकतानुसार आवास की सुविधा नहीं हो औरजिनका वर्तमान निवास मानवीय दृष्टिकोण से रहने लायक नहीं है उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाय । लाभान्वितों के चयन का दायित्व सरकार ने इसे सम्बन्धित जिलाधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया है । उचित तो यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग जो अस्त-व्यस्त झोपड़ियों में जीवन बसर कर रहे हैं उन्हें उनके वर्तमान निवास स्थान पर ही उपलब्ध राशि खर्च कर उनके आवास को विकसित किया जाय और अन्य सुविधायें यथा पेय जल, रास्ता, नाली आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाय । भू-अर्जन की कार्रवाई तभी की जाय जब गांव के अन्दर या आसपास इस प्रकार काकोई स्थल उपलब्ध नही हो । जैसा कि कहा गया है कि यदि लाभान्वितों के वर्तमान गृह स्थल या गृह को ही विकसित किया जाय तो भू-अर्जन की समस्या लगभग नहीं रहेगी ।

7. इसी प्रकार ग्रामीण विकास विभाग की इन्दिरा आवास योजना में लाभान्वित परिवार मात्र अनुसूचित जाति जन-जाति एवं मुक्त बन्धुआ मजदूर वर्ग के सदस्य हो सकते हैं । इस प्रकार का कोई बन्धेज गृह स्थल योजना में नहीं है । उक्त स्थिति में उपर्युक्त यह होगा कि ग्रामीण विकास विभाग की इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत जितने आवासों का निर्माण किसी जिला में किया जाना है, उतने गृह स्थल के विकास के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आवश्यक राशि कर्णांकित कर ली जाय । राजस्व विभाग द्वारा दिये गये आवंटन से उपर्युक्त कर्णांकित राशि अलग करने के बाद जो राशि शेष रह जाती है, उसका उपयोग पूर्ववत मात्र गृह स्थल केविकास पर किया जाय । बाद में जल कभी आवासों के निर्माण का काम किया जा सकता है ।

8. उपर्युक्त कंडिका से योजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सरकार की मंशा स्पष्ट कर दी गयी है, फिर भी यदि किसी जिले में इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई हो, तो उसके समाधान के लिए सम्बन्धित विभाग से प्रत्याचार किया जाय ।

9. यह परिपत्र राजस्व विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है ।

विश्वासभाजन

(एम० नागमणि)
विकास आयुक्त ।

ज्ञापांक 11 भू० सु० एच० एस० 6/87/1615 - रा०

पटना, दिनांक 3 जुलाई , 1987 ।

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी उप-विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सी० आर० वेंकटरामन,
आयुक्त एवं सचिव सह-भूमि सुधार आयुक्त ।

ज्ञाप सं० 1615 - रा०

पटना, दिनांक 3 जुलाई , 1987 ।

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को 50 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

न० कि० पू० शर्मा,
उप-सचिव ।

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र 1900 (श०)

(सं० पटना, 748) पटना, शुक्रवार, 8 सितम्बर 1978

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

8 सितम्बर 1978

सं० एल० जी०-1112/78 लेज०-774-- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राष्ट्रपति द्वारा 23 अगस्त 1978 को अनुमत बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1978 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय-संविधान के अनुच्छेद 248 के खंड (2) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(BIHAR ACT NO. VII OF 1978)

THE BIHR LAND REFORMS (FIXATION OF CEILING AREA AND ACQUISITION OF SURPLUS LAND) (AMENDMENT) ACT, 1978.

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR LAND REFORMS (FIXATION OF CEILING AREA AND ACQUISITION OF SURPLUS LAND) (AMENDMENT) ACT, 1961.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Twenty-ninth year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title* — This Act may be called the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area andAcquisition of

Surplus Land) (Amendment) Act, 1978.

2. *Amendment of section 5 of the Bihar Act XII of 1962.* - To sub-section (i) of section 5 of the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961 (Bihar Act XII, of 1962) (hereinafter referred to as the said Act) the following *Explanation* shall be added, namely :–

"*Explanation.* * All lands owned or held individually by the members of a family or jointly by some or all of the members of suchfamily shall be deemed to be held by the family."

3. *Amendment of section15 of the Bihar Act XII of 1962.* - In section 15 of the said Act.–

(i) sub-section (3), (4) and (5) shall be omitted.

(ii) sub-sections (6) and (7) shall be renumbered as sub-sections (3) and (4) respectively; and

(iii) in sub-section (3) as so renumbered, the word figures and brackets "the provisions of sub-sections (4) and (5) and" shall be omitted.

4. *Amendment of section 22 of Bihar Act XII of 1962.* - In section 22 of the said Act, for sub section (1), the following sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(i) If there is an under-raiyat on the surplus land on the date it vests in the State under the provisions of this Act,such *under-raiyat* shall, if hemakes an application inthis behalf intheprescribed manner, be allowed to retain as occupancy raiyat, subject to payment intheprescribed manner and within the prescribed period to the State Government the amount specified in this behalf in the schedule, so much of the land as together with all the other lands held by him anywhere inthe State does not exceed the area he may hold under section 5."

5. *Amendment of section 27 of Bihar Act XII of 1962.* - In section 27 of the said Act, for sub-section (2a) the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(2a) The State Government may, if it considers necessary, set apart such surplus land or portion thereof as is acquired under section 15 or section 15 A, if such surplus land or portion thereof is required for purposes connected with, or ancilary to, the scheme of agrarian reforms includig the improvement of rural economy or promotion of rural welfare or any other public purpose and the same shall not be used for agricultural purposes."

6. *Insertion of new section 27A after section 27 of Bihar Act XII of 1962.* - After section 27 of the said Act the following section shall be inserted and shall be deemed always to have been inserted; namely :-

"27 A: *Prevention of ejectment of allottees of surplus land.* - (1) If any allottee of surplus land is threatened with unlawful ejectment from the land allotted to him under section 27 or any part thereof by any person, the Collector may, of his own motion or onan application made in this behalf by such allottee or his respresentative initiate a proceeding for preventing such person from ejecting the allottee and may be orders in writing prevent the person from ejecting the allottee.

(2) If any allottee of surplus land has been unlawfully ejected by any person from the land allotted to him under section 27 or any part thereof, the Collector may, on receipt of an application fromthe allottee or his representative for restorationof possessionof the land or on his ownmotion, make such enquiry as may be necessary and order that the allottee shall be put inpossession of the allotted land or part thereof, from which he has been so ejected.

(3) If the person against whom an order has been made under sub-section (2), fails to carry out the order of the Collector withinsuch time, as may be specified inthe order, the Collector shallproceed to put the allottee inpossessionof the allotted land or part thereof as the case may be, after ejecting suchpersonand may for that

purpose use such force as may be necessary".

7. *Amendment of section 29 of Bihar Act XII of 1962.* - Item(ii) of clause (b) of sub-section (i) of section 29 shall be omitted, and shall be deemed always to have been omitted.

8. *Substitution of new section for section 45A of Bihar Act XII of 1962.* - For section 45 A of the said Act, the following section shllbe substituted, namely :-

"45 A. Directions by the State Government. - The State Government may, from time to time, give to the Collector of the district such general or special directions as the State Government may think fit to carry into effect the provisions of this Act."

9. *Repeal and saving.* - (1) The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Ordinance, 1978 (Bihar Ordinance no. 50 of 1978) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken in the exercise of any poer conferred by or under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under this Act, as if this Act were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अताउर

सरकार के अवर सचिव ।

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण, 1896 (श०)

(सं० पटना, 756) पटना, बुधवार , 24 जुलाई 1974

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

22 अप्रील 1976

सं० एल० जी०- 4-014/74 लेज०-836-- बिहार विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राष्ट्रपति 23 जुलाई 1974 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

मार्च 1997 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

(बिहार अधिनियम 14, 1974)

बिहार भूमि-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1974

बिहार लैनड रिफैर्म्स ऐक्ट, 1950 को संशोधित करने के लिये अधिनियम ।

भारत-गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निर्मलिखिति रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम :- यह अधिनियम बिहार भूमि-सुधार (संशोधन) अधिनिम, 1974 कहा जा सकेगा ।

2. बिहार अधिनियम 30, 1950 की धारा-7 ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन :- बिहार लैण्ड रिफोर्म्स ऐक्ट 1950 (बिहार अधिनियम 30, 1950) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायगी:-

"7-ख : मेला लगाने का अधिकार राज्य में निहित होगा :- जहां धारा 5, धारा 6 या धारा 7 के अधीन मध्यवर्ती के हाथ बन्दोबस्त समझी गयी किसी भूमि पर निधान की तारीख के तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय उस मध्यवर्ती द्वारा कोई मेला लगाया जाता हो वहां निधान की तारीख से ऐसी भूमि पर मेला लगाने का अधिकार राज्य में निहित हो जाएगा, और किसी विधि में किसी बात के होने पर भी राज्य सरकार को न कि

उस मध्यवर्ती को ऐसी किसी भूमि पर ऐसा कोई मेला लगाने का अधिकार होगा :

परन्तु जहां राज्य सरकार ऐसी किसी भूमि पर ऐसा कोई मेला, किसी निर्गामी मध्यवर्ती के हाथ, धारा 32 के अधीन उसे देय प्रतिकर उसके द्वारा छोड़ दिये जाने पर, बन्दोबस्त कर चुकी हो और बन्दोबस्त अभी अस्तित्व में हो वहां इसकी अवधि समाप्त होने तक इसमें विघ्न नहीं डाला जाएगा ।''

3. बिहार अधिनियम 30, 1950 की धरा 7-ग का निरसन :- उक्त अधिनियम की धरा 7-ग लुप्त कर दी जायगी ।

4. बिहार अधिनियम 30, 1950 की धारा 32-ख का संशोधन :- उक्त अधिनियम की धारा 32-ख के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायगा :-

''परन्तु जहां देय प्रतिकर की रकम पांच सौ रुपये से कम हो वहां ऐसा कोई शपथ-पत्र आवश्यक नहीं होगा ।''

5. बिहार अधिनियम 30, 1950 की धारा 33 का संशोधन :- उक्त अधिनियम की धारा 33 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायगी :-

''33. स्वत्वधारी आदि या न्यासियों को अन्त:कालीन भुगतान :- (1) जहां अपनी सम्पदा (इस्टेट) या भू-धृति के निधान के बाद तथा बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1973 के प्रारम्भ, और धारा 32 की उप-धारा (2) के अधीन अन्तिम प्रतिकर के भुगतान की तारीख के पहले किसी निर्गामी मध्यवर्ती को धारा 32 के अधीन देय प्रतिकर की रकम का 2½ प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक अन्त:कालीन भुगतान किया गया हो वहां ऐसी अतिरिक्त रकम उसे देय प्रति-कर से काट ली जायगी ।

(2) किसी भी निर्गामी मध्यवर्ती को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य में निहित संपदा (इस्टेट) या भू-धृति के सम्बन्ध में, 1 अप्रैल 1973 से कोई भी अन्त:कालीन भुगतान देय नहीं होगा :

परन्तु निधान की तारीख के बाद तथा धारा 24 की उप-धारा (3) के अधीन शाश्वत वार्षिकी के रूप में निर्धारित रकम के भुगतान के पहले, अग्रिम अन्त:कालीन भुगतान उन न्यासियों को छमाही रूप से किया जाएगा जिनका मध्यवर्ती-हित इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य में निहित हो गया हो और ऐसा अग्रिम भुगतान वार्षिकी की मोटा-मोटी रकम का वह भाग होगा जो समाहर्त्ता हर मामले मे निदेशित करें :

परन्तु यह और भी कि यदि राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसा निदेश दे तो वार्षिकी मद्धे अग्रिम अन्त:कालीन भुगतान, ऐसे भुगतान के लिये नियत किसी छमाही की अवधि समाप्त होने के पूर्व, दो महीने की अवधि के भीतर, किसी भी समय किया जा सकेगा ।''

6. निरसन और व्यावृत्ति :- (1) बिहार भूमि सुधार (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1974 (बिहार अध्यादेश सं0, 96, 1974) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त या जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

कृष्णदेव प्रसाद

सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या :- 11 /भू0 सु0-10-04/92 - 636 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री फूल चन्द सिंह,
भूमि सुधार आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिलाधिकारी/उपायुक्त ।

पटना, दिनांक 25.5.92

विषय :- बिहार अभिधृति (संशोधन) अधिनियम 1987 का कार्यान्वयन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 48 (घ) के अन्तर्गत बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 1987 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अधिभोगी दर रैयत यथाविहित भुगतान कर रैयती अधिकार अर्जित करने का हकदार होगा और उस भूमि पर से भूधारी रैयती का हक समाप्त हो जायेगा । ऐसी भूमि के रैयत को उसकी भूमि के वार्षिक लगान की 24 गुणी राशि मुआवजा के रूप में प्राप्त होगी । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 11/एल0 आर0 10-16/89-396 रा0 दिनांक 6.2.68 के साथ संशोधन अधिनियम की प्रति भेजी जा चुकी है ।

2. उक्त प्रावधानों को लागू करने के लिये नियमावली तैयार की गई है । बिहार अभिधृति (संशोधन) नियमावली, 1992 के नाम से निर्मित इस नियमावली को बिहार गजट के असाधारण अंक में संख्या 11 भू0 सु0 10/91-156 रा० दिनांक 11 मार्च 1992 के द्वारा अंतिम रूप से अधि सूचित कर दिया गया है । यह नियमावली उक्त तिथि से प्रवृत्त भी हो गई है ।

3. उक्त नियमावली के अनुसार अधिभोगी दर रैयत, जो अपने द्वारा बटाईदारी में धारित जमीन के संबंध में रैयती अधिकार अर्जित करने का हकदार हो गया हो और नियमावली की उप धारा-1 के अधीन फार्म "ग" में अंचलाधिकारी के पास आवेदन करेगा जिसमें उस रैयत का नाम, पिता का नाम एवं पता का भी उल्लेख करेगा जिनकी भूमि वह अधिभोगी दर रैयत के रुप में धारित करने का दावा करता हो। साथ ही वे ऐसी भूमि की विशिष्टयों तथा जिस वर्ष से ऐसा दावा किया जाता हो, उसके दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रेषित करेगाकि वह भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 के अधीन विहित सीमा से अधिक राज्य में कहीं भी कोई भूमि धारण नहीं करता है ।

4. अंचलाधिकारी ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इन्हें रजिस्टर - VIII (प्रवीर्ण रजिस्टर) में अंकित करेंगे । अंचलाधिकारी विहित प्रक्रिया अपनाकर और युक्ति युक्त सुनवाई कर विधिसम्मत आदेश पारित करेंगे ।

5. अंचलाधिकारी के आदेश के 30 दिनों के भीतर ऐसे मामले की अपील अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में कीजा सकेगी ।

6. उपर्युक्त प्रक्रिया को अपनाते हुए आदेश पारित करने के बाद बिहार अभिधृति अधिनियम 8, 1885 के उपबंधों के अधीन दर रैयत द्वारा जिस होल्डिंग का वह हकदार हो उसकी लगान के 24 गुणा के बराबर राशि अंचलाधिकारी की उपस्थिति में एक मुश्त अथवा उपर्युक्त किस्तों में जो 5 वार्षिक किस्तों से अधिक नहीं होगी, भुगतान कर देने पर उस भूमि में रैयत का अधिकार समाप्त हो जायेगा और उस भूमि की बाबत अधि भोगी दर रैयत रैयती अधिकार प्राप्त कर लेगा ।

7. कैडेस्टल सर्वे जहाँ पुनरीक्षित सर्वे नहीं हुआ है और पुनरीक्षित सर्वे में कई व्यक्तियों के नाम पर शिकमी खाता खोला गया है । इसके अतिरिक्त कई बटाईदारों का नाम धारा 488 के अंतर्गत भी दर्ज किया गया है । ऐसे व्यक्तियों के संबंध में कारवाई करने में कोई कठिनाई नहीं

होनी चाहिए ।

8. कई मामले में बटाईदार अथवा बटाईदारी का दावा भी प्रस्तुत करेंगे । इस मामलों का भी त्वरित निष्पादन आवश्यक है । इस संबंध में निजी खेती की परिभाषा में हुए संशोधन का भी ध्यान रखेंगे ।

9. इस नियमावली की प्रतियां पर्याप्त संख्या में आपके पास भेजी जारही है जिन्हें जिले के अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता तथा अंचलाधिकारी को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय ।

10. प्रमंडलीय स्तर पर जिला पदाधिकारियों की बैठक में तथा जिला/अनुमंडल स्तर पर अंचलाधिकारियों की बैठक में इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से की जाय तथा बटाईदारी मामलों के निष्पादन के संबंध में सरकार को भेजे जानेवाले प्रगति प्रतिवेदन में इस विषय की प्रगति भी अंकित की जाय ।

विश्वासभाजन

(फूल चन्द सिंह)
भूमि सुधार आयुक्त ।

ज्ञापांक 11-भू0 सु0 -10-04/92 - 636 रा0, पटना, दिनांक 25.5.92

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्त्ता/सभी अनुमंडलाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(फूल चन्द सिंह)
भूमि सुधार आयुक्त, बिहार ।

गाँव का नाम	आवेदक (अधिभोगी दर रैयत) का नाम, पिता का नाम, पता	जमाबंदी के अन्तर्गत जिस पर दावा किया गया हो, के रैयत का नाम, पिता का नाम, पता	उस भूमि का विवरण जिसपर आवेदक अधिभोगी दर रैयत के रूप में रैयती अधिकार का दावा करता हो			
			गाँव का नाम और अंचल का नाम	होल्डिंग सं० खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा और उसकी चौहद्दी
1	2	3	4	5	5(I)	5(II)	5(III)

वर्ष जब से अधिभोगी द्वारा दर रैयत के रूप में होल्डिंग पर कब्जा रखने का दावा किया गया हो।	आवेदन प्राप्त होने की तिथि	अंचलाधिकारी द्वारा अंतिम आदेश की	अंतिम आदेश का सारांश तिथि	अभिलेखाकार भेजने की तिथि चालान सं०	अभिलेखपाल द्वारा प्राप्ति की तिथि	अभ्युक्ति
6	7	8	9	10	11	12

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन, 1913 (शक)

(सं० पटना, 112) पटना, बुधवार, 11 मार्च 1992

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

28 फरवरी 1992

सं० 11/भू0 सु0 10/91 - 156 रा० - बिहार अभिधृति अधिनियम, 1885 (अधिनियम VIII, 1885), की धारा 189 के साथ पठित धारा 48 घ और बिहार अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1986 (अधिनियम 8, 1987) द्वारा प्रदत्त शक्तियों काप्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के अधीन विरचित नियमावली में निम्नलिखित संशोधन करते हैं जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 190 की अपेक्षानुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं प्रसार :- (1) यह नियम बिहार अभिधृति (संशोधन) नियमावली, 1992 कहलाएगा ।

2. यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

1 क. धारा 48 घ के अधीन अधिभोगी दर-रैयत द्वारा आवेदन - (क) अधिभोगी दर-रैयत जो अपने द्वारा धारित भूमि के संबंध में रैयती अधिकार अर्जित करने का हकदार हो, इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची में अन्तर्विष्ट धारा 48(घ) की उप-धारा (1) के अधीन फ़ारम 'ग' में अंचलाधिकारी के पास ऐसा आवेदन करेगा जिसमें अपना, अपने पिता का नाम और पता तथा उस रैयत का नाम, पिता कानाम एवं पता का उल्लेख करेगा जिनकी भूमि वह अधिभोगी दर-रैयत के रूप में धारित करने का दावा करता हो ।। साथ ही वह ऐसी भूमि की विशिष्टियां तथा जिस वर्ष से ऐसा दावा किया जाता हो उसके दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इस आशय पर शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगाकि वह भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 (बिहार अधिनियम XII, 1962) के अधीन विहित सीमा से अधिक राज्य में कहीं भी कोई भूमि धारण नहीं करता है ।

उक्त नियमावली में -

नियम के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जायेगा, यथा --

(ख) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, अंचलाधिकारी संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद विधि के अनुसार जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित करेगा ।

(ग) इस नियम के उपनियम (ख) में निर्दिष्ट आदेश के 30 (तीस) दिनों के भीतर कोई अपील अनुमंडलाधिकारी अथवा ऐसी अपीलों,

को सुनने के लिये राज्य सरकारकी अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त किसी पदाधिकारी के पास की जायेगी ।

(घ) ऐसा आदेश पारित करने पर और बिहार अभिधृति अधिनियम 1885 (बिहार अधिनियम 8, 1885) के उपबंधों के अधीन रैयत जिसहोल्डिंग का हकदार हो उसकी लगान के 24गुने के बराबर लगान अंचलाधिकारी की उपस्थिति में एकमुश्त अथवा उपयुक्त किस्तों में जो पांच वार्षिक किस्तों से अधिक नहीं होगा, भुगतान कर देने पर उस भूमि में रैयत का अधिकारसमाप्त हो जायगा और उक्त भूमि की बावत अधिभोगी दर-रैयत रैयती अधिकार प्राप्त कर लेगा ।

(11-भू० सु० - 10/91)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम लखन प्रसाद,

सरकार के उप-सचिव ।

अनुसूची

फारम "ग"

(देखें नियम (क))

सेवा में,

अंचलाधिकारी ।

एतद्द्वारा मैं निम्न वर्णित भूमि पर रैयती अधिकार अर्जित करने की बाबत आवेदन करता हूँ । देखें बिहार अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1986 (अधिनियम 8, 1987) द्वारा यथासंशोधित बिहार अभिधृति अधिनियम, 1885 (अधिनियम viii, 1885) का 48 -घ)

रैयत और उसके पिता का नाम एवं पता	उस भूमि का विवरण सि पर आवेदक अधिभोगी दर-रैयत के रूप में रैयती अधिकार का दावा करता हो ।				वर्ष, जब से अधिभोगी दर रैयत के रूप में होल्डिंग पर कब्जा रखने का दावा किया गया हो ।
	गाँव का नाम, थाना सं० और अंचल का नाम ।	होल्डिंग सं० ——— खाता सं०	खेसरा नं०	रकबा और उसकी चौहद्दी । का नाम ।	
1	2(i)	2(ii)	2(iii)	2(iv)	3

अधिभोगी दर -
रैयत का पूर्ण हस्ताक्षर तथा
उसके पिता का नाम एवं
पूरा पता ।

(सं० 11/भू० सु० 10/91)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रामलखन प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव ।

28 फरवरी 1992

जी० एस० आर० 156/रा० दिनांक 28 फरवरी 1992 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त नियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रामलखन प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव ।

No. 11 L.R.10-1/91-156 — In exercise of the powers conferred by section 48 -D read with section 189 of the Bihar Tenancy Act, 1885 (Act VIII of 1885) and the Bihar Tenancy (Amendment) Act, 1986 (Act 8/1987) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments with rules framed under the said Act the same having been previously published as required by section 190 of the said Act :-

1.Short title and Commencement - (1) This rule may be called the Bihar Tenancy (Amendment) Rules 1992.

2. It shall come into force at once.

In the said Rules,-

After rule, the following ruleshall be inserted namely :-

1A. Application by occupancy under raiyat under section 48-D.

(a) An ocupancy under-raiyat entitled to acquire raiyati right in respect of the land held by him shall make such application to the Anchal Adhikari under Sub-section (1) of Sec 48-D in Form 'C' contained in the Schedule appended to these rules stating his name with parentage and address as well as the name parentage and the address of the raiyat whose lands he claims to hold as occupancy under raiyat with particulars of such land and the year since when it is so claimed along with the documentary evidence thereto and an affidavit to the effect that he does not hold any land beyond the ceiling prescribed under the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisitionof Surplus land) Act, 1961 (Bihar Act XII of 1962) anywhere in the State.

(b) The Anchal Adhikari on receipt of such application shall after giving the parties concerned a reasonable opportunity of being heard and to adduce evidence pass such order or orders in accordance with law as he deems fit.

(c) An appeal shall lie from an order referred to in sub rule (b) of this rule within 30 (thirty) days of the said order to the Subdivisional Officer or to any officer specially empowered by the State Government by notification to hear such appeals.

(d) Upon passing of such order and on payment of rent equivalent to twentyfour times of the rent of the holding to which the raiyat may be entitled under the provisions of the Bihar Tenancy Act, 1885 (Bihar Act 8 of 1885) in presence of Anchal Adhikari in one lump sum or in suitable instalments whichshall not exceed five annual instalments, the right of the raiyat in the land shall extinguish and the occupancy under raiyat shall acquire raiyati right in respect of the said land.

(No. 11/LR. 10-1/91)
By orderof the Governor of Bihar,
R. L. PRASAD,
Deputy Secretary to Government

SCHEDULE

Form 'C'

[See rule (A)]

To

The Anchal Adhikari.

Sir,

I hereby file this application in respect of acquisition of raiyati right over the land described below. See 48-D of the Bihar Tenancy Act, 1885 (Act VIII of 1885) as amended, vide Bihar Tenancy (Amendment) Act, 1986 (Act 8 of 1987).

Name of raiyat with parentage and address.	Details of the land over which raiyati right is claimed by the applicant occupancy under raiyat.				year since which claimed to be holding as occupancy under raiyat.
	Name of village with Thana no. and name of Anchal	Holding No. / Khata No.	Plot No.	Area with the boundary thereof.	
1	2(i)	2(ii)	2(iii)	2(iv)	3

Full signature of the occupancy under raiyat with his parentage and full address.

(No. 11/L.R. -10-1/91)

By order of the Governor of Bihar,

R.L. PRASAD,

Deputy Secretary to Government

Sub : - Valuation of land, which is the subject matter of a suit under section 106 or 109 of the B.T. Act, for purposes of payment of court fee.

(1) Provisions in the Court Fee Act VII of 1870.

(i) Section 6 of the Court Fees Act VII of 1870 provides that no document of any of the kinds specified as chargable in the first or second schedule to the Act, shall be filed in any court unless in respect of such a document a court fee, as indicated in either of the schedules, is paid thereon.

(ii) Section 7 of the Act shows how the amount of fee shall be computed and from clause V (e) it appears that in the case of land, house and garden, it will be computed according to the market value.

(iii) According to section 12 of the Act every question relating to valuation for determining the court fee has to be decided by the court in which the plaint is filed and the court's decision is final as between the parties to the suit.

(iv) It is thus clear tht valuation of the subject matter of a suit u/s 100 or 109 of the B.T. Act has to be determined b the A.S.O on the basis of the market value of the land and court fees are payable subject to a maximum of Rs. 22/50 paise for a suit u/s 106 B. T, Act according to item no. 6 of appendix 'E' of the Bihar Survey and settlement Mapaul 1959 and in regard to a suit u/s 109 B.T. Act according to the schedules to the court fee Act.

(2) Provisions inTechnical Rules II and S. S. Manual

(i) Attention is invited also to sub-rule of rule 70 of the Technical rules vai. II, which runs a sfollows :-

" Where the plaint has been under-valued, the matter should be brought to the notice of the Assistant settlement officer, who will scrutinize the valuation made by plaintiff to correct the valuation within a specified time. If the plaintiff fails to do so, the Assistant settlement officer should reject the plaint under order VII, Rule II, Schedule I of the Civil Procedurs Code."

(ii) Rule 1 of the statutory rules framed under the B.T Act specifically lays down that in carrying out the with the rules prescribed under the B.T. Act.

(iii) The survey and settlement Manual is a body of rules made under the authority of the Board and further supplementary rules, are contained in the Technicl rules Vol.I and II, read with sec. 107 of the B.T. Act will be deemed to be binding on the Revenue corurts, and must be followed in regarding to the valuation of land in a suit under section 106 or 109 of the B.T. Act.

(iv) Another point that has to be kept in view is that the question of fixing court fees on the valuation of suit properly for purposes of determining the pecuniary jurisdicion of the revenue court will not arise, as the Revenue Officers have been om owerded by govt. to try both kinds of suits, one u/s 106 and the other u/s 109 B.T. Act irrespective of the amount of the value of the property onvolved in the suit, and thus their precuniart jurisdictioninthis respect is

(v) The point, therfore that has to be decided on a preliminary the things what will be the valuation of theland according to market

(3) Market value - computation of

(i) In the of all villages in this district as finally published have been classified into five categories, namely, Dhai I and II Bhit I and II, MakanMoi Sahan and parti and the area also of each plot of land has been given.

(ii) The entries, which have thus been made in the finally published records, pre to be evidence of the matter referred to therein, and are legally presumed to be correct until they are proved by evidence to be incorrect, vide sec. 103 B (3) of the B.T. Act and thus judicialnotice of the entries may be taken by the courts .

(iii) It is than mnifest that the Revenue officers dealing with cases u/s 106 or 109 B have to act upon the presumption above so far as the area and classfication of land are concerned, unless these are finilly proved to be incorrect by evidence in suits.

(iv) (a) From the instruction of Government conveyed in Rev. Deott's letter no. 6979 dated 31.1.1970 regarding the calculation of units for purpose of settlement of fair rents under section 105 B. T. Act it appears that the total number of units assigned to various classes of lands is as below :-

Dhani I	-	10 units - per acre
Dhani II	-	7.5 units - per acre
Bhit I	-	7.5 units - per acre
Bhit II	-	5 units - per acre
Part or Waste	-	1 units - per acre

(b) How, under Government orders conveyed in Board's letter no. 17-895/70-2 dated 5.1.1971 Makan Mai Sahan has also been included in lands of the category of Bhit I.

(c) It also appears that one unit represents, on an charge 2 mds of produce.

(d) In other wores. the average produce will be as below :-

Dhani I	-	20 maunds per acre
Dhani II	-	15 maunds per acre
Bhit I	-	25 maunds per acre
Bhit II	-	10 maunds per acre

Waste (Parti) 2 maunds per acre -

(e) The merge net profits will amount to 50% of the gress produce nue acro of Dhani I land will therefore, give an annual net profit of not less than 10 maunds. As the average price of one maund of paidly approximately is Rs. 30/ - now, the net profit per year will be not less than Rs. 300/- per acre.

(f) In view of some kinds of property included in the list in sec. 6 of the court Fees Act, 1870 the valuation is fixed it ten times the net profits, on this analogy, therefore, the average market value of one acre of Dhani I and in this district will amount to not less the Rs. 3000/- i.e. ten times Rs. 300/- per acre, and this valuation may be hope during

preliminary checking of plaints as the market determining the court fees payable on suits u/s 106 or 109 of the B. T. Act.

(g) The valuation of other classes ofland i.e. dhani II, Bhit I, Bhith I, Bhith II and Waste (Parti will be fixed, in the same propertion in which units have been assigned to them under Govt. order cited above for purposes of settlement of fair rent, and this will be as below :-

	Total units	Valuation
Dhani II	7.5	Rs. 2200/-
Bhit I		
Bhit II	5	Rs. 1500/-
Waste	1	Rs. 300/-

(h) This uniformity in rates is essential so that the courts may have no difficulty in determining the valuation of each class of land for purposes of court fees in the suits, and the ryots also find it easy to know what amount will become payable in each. It will also be possible for the plaintiffs and their lawyer to calculate to readily the valuation according to the classification of land and the area recorded in the finally published record of rights.

i) Such an uniformity in rates will also be essential to ensure what vagaries in determination of voluation are not caused, more subbecause the number of suits already filed under section 106 angle of the B. T. Act upto 31.7.91 has gone upto 74,849 and 1481 respevtively and it is expected that 30 or 40 thousands of more such suits may be filed.

(4) Preliminary checking for situation land.

(i) During preliminary checking of plaints it has been noticed that same of the plaints are undervalued and in some cases there is mo of the Code of Civil procedure it is laid down that the plaint shall contain statement of the value of the subject matter of the suit for purposes of jurisdiction and of court fee, so for as the case admiss.

(ii) If, however, the relief claimed is undervalued and being retired by the court to correct the valuation within a time to be fixed the court, the plaintiff fails to correct it the plaint is being be rejected under Rule 11 (b) of Order VII of the C.P.C. If, however, he relief claimed is properly valued but the plaint is wating in paper insufficiently stamped and the plaintiff, on being required the court to file the deficit or extra fees within a time fixed by two court, fails to supply the requisite stamps towards payment of the de court fee, the plaint shall be rejected under caluse (c) of the same Rule.

(iii) Where, therefore, it appears during preliminary checking that the subject matter of the suis namely, the land, is undervalued or that certified copy of the Hal Khatian be obtained the plantiff and then the valuation

plaintiff reduses or fails to corruct the valuation within the time fixed, the plaint shall be rejected.

(iv) If the Plaintiff correct the valuation within the time fixed court fee will become immediately payable on the basis of the valuaties so corrected and if the plaintiff does not pay the court fee according to the Court Fee Act, the plaint shall be rejected according to Rule 11 (c) of Order VII of the C. P. C. read with see of the Court Fee Act VII of 1870.

5. Framing iof issue regarding payment of proper court fee during hearing.

(i) But after the defendant appears an issue may have to be framed, as to whether proper court fee has been paid, and it will be open to the defernant, during hearing of the suit, to press the issue, and thereafter the court's decision thereon shall be final.

(ii) If hearing, the court comes to be final decision that court fee of a higher or less amount should be paid according to seale subject to the limit of Rs. 22/50 in a suit u/s 106 B. T. Act or advalorem court fee according to the schedule in a surt under section 109 B. T. Act, he may pass an order accordingly.

Sd/- U. Prasad
18.8.71
Settlement officer, Shahabad, Arrah

Memo No. 2368 / S, Arrah, dated the 19.8.72

copy to all officers for information and necessary action

Asstt. Settlement Officer,
Head quarters, Shahabad, Arrah

GOVERNMENT OF BIHAR
LAW DEPARTMENT

बिहार अरबन लैण्ड टैक्स ऐक्ट, 1965
(बिहार ऐक्ट 5, 1966)

The Bihar Urban Land Tax Act, 1965
(BIHAR ACT V OF 1966)

LISTS OF AGENTS FOR 1966

1. Messrs. Etwari Sahu and Sons, Mahendru, Patna - 6
2. Messrs. MotilalBanarsi Das, Book-sellers, Bankipur, Patna.
3. Messrs. Chaudhry and Sons, Law Book-seller, Mahendru, Patna - 6
4. Messrs. Western Law House, Station Road, Patna.
5. Messrs. Paper Stationery Stores, D. N. Singh Road, Bhagalpur - 2.
6. Messrs. Pahuja Brothers, Law Book-seller and Publishers, Patna - 6
7. Messrs. Laxmi Trading Co., Padri-ki-Haveli, Patna City.
8. Messrs. Bais Vijaya Press, Jail Road, Arrah.
9. Messrs.K.L. Mukhopadhya, 6/1A, Banchharam Akrur Lane, Calcutta - 12.
10. Messrs. Bengal Law House, Book-sellers and Publishers, Chawhatta, Patna.
11. Messrs. Rajkamal Prakashan (Private) Ltd., Patna - 6
12. Messrs. Pustak Mahal, Ranchi

THE BIHAR URBAN LAND TAX ACT, 1986
[BIHAR ACT V OF 1966]

CONTENTS.

Sections.

CHAPTER I.
Preliminry

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER II
LEVY OF URBAN LAND TAX.

3. Levy of urban land tax.

CHAPTER III
PREPARATIONOF URBAN LAND ASSESSMENT SCHEME

4. Classification of urban land.
5. Determination of market value.
6. Prepration of draft assessment scheme.
7. Publicationof draft assessment scheme.
8. Decision on objections and publication of final assessment scheme.
9. Appeal.
10. Collector to modify final assessment scheme onthe basis of orders of appellate authority.
11. Duration of urban land settlement scheme.

CHAPTER IV
PREPARATION OF LIST OF ASSESSEES

12. Preparation of provisional list of assessees.
13. Objections to entries in the list.
14. Finalisation of list of assessees.
15. Revision of Collector's order.
16. Correction of clericl error, etc., in the final list.
17. Preparation of list of demand.
18. Notice to individual assessees.
19. Urban land escaping assessment.
20. Refund of excess payment.
21. Urban land tax to be first charge on urban land.
22. Recovery from occupier of urban land in certian cases.
23. Obligation of transferor and transferee to give notice of transfer.

CHAPTER V
SURVYE OF URBAN LAND

24. Survey of urban land.

CHAPTER VI
SPECIAL PROVISIONS

25. Power of the State Government to reduce or remit urban land tax.

CHAPTER VII
EXEMPTIONS

26. Exemptions.

CHAPTER VIII
MISCELLANEOUS.

27. Revision by Board of Revenue.
28. Computation of period of limitation.
29. Power to take evidence on oath, etc.
30. Power to call for information.
31. Service of notice.
32. Power of State Government to issue orders and directions.
33. Delegation of powers.
34. Bar of suits in Civil Courts.
35. Indemnity.
36. Power to enter upon land.
37. Power to make rules.
38. Power to remove difficulties.

[This Act received the assent of the Governor on the 16th January 1966 and the assent was first published in the Bihar Gazette, Extraordinary of the 2nd February 1966.]

An

Act

TO PROVIDE FOR THE LEVY OF TAX ON URBAN LAND IN THE STATE OF BIHAR

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixteenth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. *Short title extned and commencement.*- (1) This Act may be called the Bihr Urban Land Tax Act, 1965.

(2) It extends to the areas lying within the locallimits of a municipality or a notified area under the Bihar and Orissa Municipal Act, 1922 (B. & O. Act VII of 1922), the Patna Municipal Corporation under the Patna Municipal Corporation Act, 1951 (Bihar Act XIII of 1952) and a cantonment under the Cantonmnments Act, 1924 (Act II of 1924) and areas lying within sixteen kilometres of such areas inthe State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date and in such area as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and it may appoint different dates for different areas and for different provisions.

2. *Definitions.* - In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, -

(a) "assessee" means a person by whom urban land tax or any other sum of money is payable under the Act and includes every other person in respect of whom any proceeding under this Act has been taken for the determinationof the urban lnd tax payable by him :

(b) "building" includes a house, out-house, stable, latrine, godown, shed, hut, wall and anyother structure, whether of masonry, bricks, mud, wood,metal or any other material whatsoever;

(c) "Collector means the Collector of the district and includes any other officer not below the rank of a Deputy Collector appointed by the State Government to exercise the powers and discharge the functions of the Collector under all or any of the provisions of this Act;

(d) "market value" means the market value as determined under section 5;

(e) "occupier" includes -

(i) any personfor the time being paying or liable to pay to ghe owner rent or any portion of the rent of the urban land or of the building constructed on the urban land or part of such land or building in respect of which the word is used, or the damages on account of the occupation of such and,building or part ; and

(ii) a rent-free occupant;

(f) "owner" includes -

(i) any personfor the time being receiving or entitled to receive,whether on his own account or as agent, trustee, guardian, manager or receiver for another person or for any religious or charitable purposes, the rent or profit of the urban land or of the building constructed on the urban land in respect of which the word is used ;

(ii) a mortgagee in possession ; and

(iii) a lessee fromanyperson including the State or the Central Government for a term not less than twenty years ;

(g) "presceibed" means prescribed by rules made under this Act ;

(h) "State Government" means the State Governmet of Bihar;

(i) "urban land" means any land other thanthose used exclusively for agriculture or horticulture and includes ay and on which any building has been constructed and garden or grounds, if any, appurtenant to a building ; and

(j) "year" means the financial year commencing on the first day of April.

CHAPTER II

LEVY OF URBAN LAND TAX

3.Levy of urban land tax. - Subject to the other provisions contained inthis Act, there shall be levied and collected for every year a tax on urban land (hereinafter referred to as the urban land tax) from every owner of urbanland at such rate not exceeding the following per centumof the market value of the urban land as may, from time to time, be fixed by the State Government bynotificationinthe official Gazette in this behalf, namely ;-

Urban land used for industrial or commercial 0.5 *per centum.* purposes.

Other urban land ... . 0.2 *per centum :*

Provided that no such tax shall be levied on any owner of urban land if the total market value of all urban land owned by him in any zone does not exceed three thousand rupees.

CHAPTER III

PREPARATION OF URBAN LAND ASSESSMENT SCHEME.

4. *Classification of urbanland.* - (1) The Collector shall classify the areas to which this Act has beenapplied into such number of zones as may be found convenient having regard to the matters enumerated in sub-section(2).

(2) In making the classification under sub-section (1), the Collector shall follow such procedure as may be prescribed and shall have due regard to the following matters,namely : -

(a) the locality in which the urban land is situated ;

(b) the predominant use to which the urban land is put, that is to say, industrial, commercialor residential ;

(c) accessibility or proximity to market,dispensary, hospital, railway station, educational institution, or Governmet offices;

(d) availability of civic amenities like water-supply, drainage and lighting; and

(e) such other matters as may be prescribed.

(3) Subject to the provisions of sub-section (2), in classifying zones under sub-section (1), the Collector shall, as far as practicable, include in a zone urbanlands which are contiguous and as nearly as may be of the same market value.

5. *Determinationof market valve.* - (1) The Collector shall determine the market value of the urban land in a zone.

(2) In determining the market value under sub-section (1), the Collector shall have due regard to the price at which urban land in the zone has been sold within five years precedingthe date of the commencement of this Act and the market value so determined shall notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, for the purposes of this Act, be deemed to be the same in respect of allurbanlands comprised within a zone.

6. *Preparationof draft assessment scheme.* - As soon as may be, after the classification of the zones and the determinationof the market value,the Collector shall prepare a draft urban land assessment scheme (hereinafter referred to as the draft assessment scheme) containing the following particulars, namely :-

(a) particulars of all zones ;

(b) prticulars of the market value for the urban land in each zone ;

(c) such other particulars as may be prescribed.

7. *Publicationof draft assessment scheme.* - (1) The Collector shall publish the draft assessment scheme in such manner as may be prescribed, together with a notice stating that any objection to the said draft shall bepreferred within thirty days from the date of publicationof such scheme.

(2) The Collector may, of his own motion, at any time before the expiry of thirty days fromthe date of publication of the draft assessment scheme, make such modification or correction therein as he thinks fit, and where any such correction or modification ismade the draft assessment scheme as so amended or corrected shall berepublished and the provisions of sub-section (1) shall apply thereto.

8. *Decision on objections andpublication of final assessment scheme.* - (1) Where o objection is preferred under section 7 the draft assessment scheme shall, subject to the provisions of sections 9 and 10, be the final urban land assessment scheme (hereinafter referred to as the final assessment scheme).

(2) Where any objection is preferred under section 7 the Collector shall, after affording a reasonable opportunity of being heard to the objector, decide the objection and may confirm or modify the draft assessment scheme and

the scheme as so confirmed or modified shall, subject to the provisions of sections 9 and 10, be the final assessment scheme.

(3) The Collector shall publish the final assessment scheme in such manner as may be prescribed.

9. *Appeal.* - (1) Any person aggrieved by any entry in the final assessment scheme may, at any time before the expiry of thirty days from the date of the publication of such scheme prefer an appeal to the prescribed authority.

(2) In disposing of an appeal under this section the appellate authority shall follow such procedure as may be prescribed.

10. *Collector to modify final assessment scheme on the basis of orders of appellate authority.* - On receipt of the orders passed in appeal under section 9 the Collector shall, if necessary, modify the final assessment scheme suitably to give effect to such orders, and the scheme as so modified shall be published in such manner as may be prescribed.

11. *Duration of urban land settlement scheme.* - (1) The final assessment scheme published under section 8 with the modifications, if any made under section 10 shall remain inforce for a period of ten years from the 1st day of April of the year in which the said scheme is published under section 8 or for a further period not exceeding ten years as the State Government may direct.

(2) After the expiration of the period or the further period referred to in sub-section (1), the State Government may, if it thinks fit, direct revisionof the final assessment scheme referred to in sub-section (1).

(3) All the provisions of this Act shall, as far as may be, apply to the urban lana assessment scheme revised in pursuance of a direction under sub-section (2) as they apply to the preparation, publication and durationof the final assessment scheme for the first time after the date of the commencement of this Act.

CHAPTER IV.

PREPARATION OF LIST OF ASSESSEES.

12. *Preparation of provisional list of assessees.* - (1) The Collector shall, as soon as may be after the date of commencement of this Act, prepare or cause to be prepared in such manner as may be prescribed a provisional list of assessees containing the following particulars, namely :-

(a) particulars of the survey and subdivision number of each urban land in the zone ;

(b) particulars of the extent of urban land in respect of which each assessee is liable to pay urban land tax:

(c) names and addresses of assessees ;

(d) such other particulrs as may be prescribed.

(2) The Collector shall serve or cause to be served on each assessee an extract of such portion of the provisional list referred to in subsection (1) as relates to such assessee together with a statement that he shall be liable for the payment of the urban land tax onthe basis of the rates specified in the final assessment scheme published under section 8 or 10 as the case may be.

(3) The Collector shall give public notice in such manner as may be prescribed of the provisional list of assessees prepared under sub section (1) , of the place at, and the date from, which the same may be inspected.

13. *Objections to entries in the list.* - Any person aggrieved by any entry in the provisional list of assessees or by the insertion therein or omission therefrom of any matter or otherwise with respect to that list may, within a period of thirty days from the date of service of the extract under sub-section (2) of section 12, prefer any objectioninrespect thereof before the Collector.

14. *Finalisation of list of assessees.* - (1) Where no objection is preferred under section 13 the provisional list of assessees shall, subject to the provisions of section 15, be final.

(2) Where any objectionis preferred undersection 13 the Collector shall, after affording a reasonable opportunity of being herd to the objector, decide the objection and may confirm or modify the entries in the provisional list of assessees and the list as so confirmed or modified shall, subject to the provisions of section 15, be final.

(3) The finallist shall be published nd made available for public inspection insuch manner as may be prescribed.

15. *Revision of Collector's order* .- (1) The prescribed authority may, either on his own motion or on applicationmade by any aggrieved person in this behalf, call for the records of any proceeding under section 14 in which anorder has been passed by the Collector andafter making such enquiry or causing such enquiry to be made, pass such order thereon as he may think fit :

Provided that he shall not pass any order prejudicial to any party unless he had a reasonable opportunity of

making his representation.

(2) Every application to the prescribed authority for the exercise of his powers under this section shall be preferred within thirty days from the date of publication of the final list of assessees under subsection (3) of section 14.

16. *Correction of clerical error, etc., in the final list.* - The Collector may, at any time and subject to such conditions as may be prescribed, amend the list published under sub-section (3) of section 14 where it appears to him that it is necessaryso to do in order to bring the list into accord with the circumstances then existing and in particular may-

(i) correct any clerical, arithmetical or other apparent error in the list;

(ii) correct any erroneous insertion, omission or mis-description.

17. *Preparation of list of demand.* - (1) As soon as may be after the publication of the final list of assessees under section 14, the Collector shall prepare in such manner ad may be prescribed a list of demand containing the following articulars, namely.-

(a) survey number and subdivision number of the urban land ;

(b) extent of urbanland liable for tax;

(c) names of the assessees ;

(d) annual amount of urbanland tax payable by each assessee; and

(e) such other particulars as may be prescribed.

(2) The Collector shall give public notice in such manner as may be prescribed of th elist of demand referred to insub-section (1) of the place at, and the date from,which the list of demand may be inspected and every person claiming to be owner or occupier of the urban land mentioned in the demand including the agent of such person may inspect the same and shall be entitled toobtin a certified extract therefrom onpayment of the prescribed fees.

(3) The Collector may at any time modify the list of demand to give effect to any order passed by the prescribed authority urider section 15.

18. *Notice toindividual assessees.* - The Collector shall cause a notice of demand containing such particulars as may be prescribed to be served every year or prt thereof on the owner calling upon him to pay the urbanland tax which has fallendue within a period of thirty days from the date of service of the notice.

(2) Where the urban land tax payable by an assessee is not paid before the date specified under sub-section (1), the assessee shall bedeemed to be in default from that date and the urban land tax together with interest at six and quarter percent per annum, shall be recovered from the assesseeas public demand.

19. *Urban land escaping assessment.* - If the Collector has reason to believe that for any reason anyurban land has escaped assessment, hemay after following such procedure as may beprescribed, proceed to assess such urbanland and the provisions of this Act shall, so far as may be, apply to such assessment :

Provided that no assessment for any period prior to the date since which the assessee is the owner of the urban land or for anyperiod beyond three years preceding the year of assessment, whichever may be late,shallbemade.

20. *Refund of excess payment.* - Subject to such rules as may be made in this behalf, anysumpaid in excess of the amount due fromany assessee shall, on application by him to the prescribed authority, be refunded to him or, in the absence of such application, such excess shall be adjusted towards the urban and tax due fromhim for the subsequent year or years.

21. *Urban land tax to be first chrge onurban land.* - The urban land tax shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force,or any custom, uses or contract or decree or order of a court or other authority, be a first charge upon the urban land and upon the immovable or movable property, if any, found within or upon such urban land and belonging to the personliable to pay such tax.

22. *Recoveyr from occupier of urbanland incertincase.s* - (1) Where the owner of any urban land is himself not the occupier thereof and is in default of payment of the urban land tax,such tax may be recovered from the occupier of such urbanland for the period he has beeninoccupation of the urbanland.

(2) (a) Any occupier who has paid the urbanland tax under subsection (1) shall be entitled to deduct the amount so paid fromthe amount of rent or any other sumdue fromtime to time to the owner or intermediary, if any.

(b) The intermediary shall beentitled todeduct suchamount from the amount of rent or othe rsum due from time to time to the owner

23. *Obligation of transferor and transferee to give notice of transfer.* - (1) Whenever the title of any personliable

to the payment of urban land tax on any urban land is transferred. the person whose title is transferred and the person to whom the same is transferred shall,within three monthsafter the registrationof the document of transfer.give notice of such transfer tothe Collector.

(2) In the event of the death of anypersonliable as aforesaid, the ersonto whom the title of the deceased shall be transferred as heir or otherwise, shall give notice of such transfer tothe Collector within one year from the death of the deceased.

(3) The notice to be given under this section shall be in such formas may be prescribed and the transferee or the person to whom the title passes, as the case may be, shall, if so required, be bound to produce before the Collector, any document evidencing such transfer or succession.

(4) Every person who makes a transfer as aforesaid without giving such notice to the Collector shall, in addition to any other liability which he may incur through such neglect, continue to beliable for thepayment of theurbanland tax assessed on the urbanland transferred until he gives notice or until thetransfer shallhave beenrecorded in the revenue registers but nothing in this section shall be held to affect the liability of the transferee for the payment of the said tax.

CHAPTER V

SURVEY OF URBAN LAND.

24. *Survey of urbanland.* - (1) Any office specially empowered by an order in this behalf by the State Government shall carry out survey of all urban lands in the area specified in such order, or, if such lands hae already been surveyed,carry out re-surveyof such lands for the purpose of -

(a) the preparation of the draft settlement scherne :-

(b) the preparation of the provisional list of assesses : and

(c) carrying out the other purposes of tis Act

(2) The survey or re-survey carried out under sub-section (1) shall, subject to such rules as may be made by the State Government in this behalf, be in accordance withtheprinciples contained in the Bihar and Orissa Municipal Survey Act, 1920 (B. & O. Act I of 1920).

(3) The cost of the survey or re-survey under this section shall be borne by the State Government

CHAPTER VI

SPECIAL PROVISIONS.

25. *Power of the State Government to reduce or remit urban land tax.* - (1) The State Governmet or the prescribed authority may subject to such rules as may be made inthis behalf, by order,reduce or remit,whether prospectively or retrospectively, the urban land tax payable in respect of any class of urban lands or by any class of persons and inparticular the urbanland tax payable in respect of urban lands which are occupied wholly or partly by the owners themselves

(2) The State Government or the authority referred to in sub-section (1) may at any time cancel or modify anyorder issued under sub-section (1) and upon such cancellation the urban land tax shall bepayable inrespect of theland concerned witheffect from the year in which such cancellation is made :

Provided that no such cancellation shall bemade unless the party likelyto beaffected bysuchcancellation has had a reasonable opportunity of making his representations.

CHAPTER VII

EXEMPTIONS.

26. *Exemptions.* - Nothing inthis Act shall apply to -

(a) any urban land owned by the State or the Central Government:

(b) anyurbanland owned by -

(i) the Patna Mucicipal Corporationestblished under the Patn Municipal Corporation Act, 1951 (Bihar Act XIII of 1952);

(ii) commissioners of a municipality constituted under Bihar and Orissa Municipal Act, 1922 (B & O. ct VII of 1922)

(iii) a Panchayat Samiti or Zila Parishad constituted under the Bihar Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1961 (Bihar Act VI of 1962);

(c) any uran land onwhich hospital primarily maintained by the Government or any local authority or

charitblebodyhas beenconstructed;

(d) anyurbanland used for -

(i) public worship;

(ii) public roads. publicparks, publiclibrarites, public mseums. schools, colleges. universities andplaygrounds attached toschools. colleges or universities;

(iii) charitable purposes of sheltering destitute persons or animals ;

(iv) orphanages,homes and schools for thedeaf and dumb and for the infirm and diseased;

(v) asylum for the aged and fallen women ;

(vi) such other philanthropic institutions as the Government may, by notification, specify;

(vii) preservation of ancient monuments; and

(viii) disposal of the dead.

CHAPTER VIII.

MISCELLANEOUS

27. *Revision by Board of Revenue.* - (1) The Board of Revenue may, either on its own motion or on application made by the assessee in this behalf, call for and examine the records or anyproceeding under this Act tosatisfy itself as tothe regularity of such proceeding or the correctness, legality or proprety of any decisionor order passed thereinand if, in any case, it appears tothe Bord of Revenue that any such decisionor order should be modified, annulled,reversed orremitted for consideration,it maypass orders accordingly :

Provided that the Board of Revenue shall notpass anyorder under this sub-section in anycase, where thedecisionor order issought to be revised by the Board of Revenueon its ownmotion,if such decisionor order has been made more than three years previously:

Provided further that the Board of Revenue shallnot pass anyorder unde this sub-section prejudicialto any prtyunles she has had a reasonable opportunity of making his representations.

(2) The Board of Revenue may stay the execution of anysuch decisionor orderpending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) Every applicationto the Board of Revenue for theexercise of its powers under this section shallbepreferred within three months from the date on whichthe order or proceeding to whichthe application relates was communicated to the applicant.

(4) No application to the Board of Revenuefor the exercise ofits powers unde this section shall bemade in respect of anydecisioncr order from which an appelalies under this Act,unless thepartyhas exercised his right of appeal.

28. *Computation ofperiodof limitation.* - In computing the perid of limitationprescribed for an appealor revision against any order under this Act the time required for obtaining the certified copyof theorder shall be excluded.

29. *Power to take evidence onoath, etc.* - (1) Every authority under this Act shall, for the purposes of this Act,have the same powers as are vested ina Court under the Code of Civil Procedure. 1908 (Act V of 1908) when trying a suit in respect of the following matters, namely :-

(a) enforcing the attendance of any person and examining him on oath ;

(b) requiring the discovery and productionof documents :

(c) receiving evidence on affidavit; and

(d) issuing commissions for the examinationof witnesses.

(2) Every proceedingunder this Act shall be deemed to be a judicialproceeding within the meaning of sections 193 and 228 and for the purposes of section 186 of the Indian Penal Code (Act XIV of 1860).

30. *Power to call for information.* - Where, for the purpose of determining the urban land tax payable by any person. it appears necesary for any authority under this Act to obtain any statement or information from anyperson, he mayserve a notice requiring suchperson on or before a date to be therein specified. to furish a statement or information on the points specified in the notice and that person shall, notwithstanding anything in any law to the contrary. be bound to furnish such statemet or information to such authority or officer :

Provided that no legal practitioner shall be bound to furnish any statement or information under this section based on professional communication made to him otherwise than as permitted by section 126 of the Indian Evidence Act. 1872 (Act I of 1872).

31. *Service of notice.* - (1) A notice under this Act may be served on the person therein named,either by post or, as if it were summons issued by a court under the Code of Civil Procedure. 1908 (Act V of 1908).

(2) Any such notice may, in the case of a firm or a Hindu undivided family, be addressed to any member of the firm, or to the manager or any adult member of the family, and in the case of a company or association of persons, be addressed to the principal officer thereof.

32. *Power of State Government to issue orders nd directoions.* - The State Government may issue such orders and directions of a general character, as it may consider necessary in respect of any matter relating to the power and duties of any authority under this Act.

33. *Delegation of powers.* - The State Government may, by notification, direct that any power or function exercisable by any authority under this Act, or th erules made thereunder shall, in relationto such matters and subject to such condjtions as may be specified in suchnotification, be exercisable also by such officer subordiate to the Govenrment as may be specified in such notification.

34. *Bar of suits in Civil Courts.* - (1) No suit shall lie in any Civil Court to set aside or modify any assessment made under this Act.

(2) No Civil Court shall have jurisdiction to decide or deal with any question which by or under this Act is required to bedecided or dealt with by any authority under this Act.

35. *Indemnity.* - No suit, prosecutionor other legal proceeding shalllie against the State Government or other uthorities under this Act for any thing which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or ny rule or order made thereunder.

36. *Power to enter upon land.* - Any authority under this Act or any person acting under the order of any such thority may, after giving reasonable notice to the occupier of an urban land, enter upon such urban land with such er officers and persons as he considers necessary and make a surveyand take measurements thereof and do other act which he considres necessary for carrying out the purposes of this Act :

Provided that no such entry shall be made - (i) within the hours of sunset and sunrise :

(ii) in a human dwelling, except with the consent of the occupiter or after giving him not less than four days ious notice in writing of the proposed entry; and

(iii) without due regard to the socialand religious usages of the occupier, including necessary precautions for bservance of purdab.

37. *Power to make rules.* - (1) The State Governmentmay, after previous publication, make rules, not incon- withthe provision of this Act, to carry out the purposes of this Act.1

(2) In particular and without prejudice to the generalityof the foregoing power, such rules may provide for-

a) all matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed ;

b) the form of appeal nd application for revision under this Act;

c) the procedure to be followed in appeal or revision under this Act;

d) the fees payable in respect of applications and appeals under this Act; and

e) the manner of rounding up of the total amount of tax due from an assessee.

Every rule made under this section shall belaid, as soon as may be after it is made before each House of Legislature while it is in session for a tital period of fourteen days which may be comprised in one sessionor ccessive sessions, and if, before expiry of the session in which it is so laid or the session immediately oth the Houses agree in making any modification in the rule or both the Houes agree that the rule should he rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously t tule.

o remove difficulties. - If any difficulty arises ingiving effect to the provisions of this Act, the State as occasion may require, by order, do anything which appears to it necessary for the purpose of

31. *Service of notice.* - (1) A notice under this Act may be served on the person therein named,either by post or, as if it were summons issued by a court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908).

(2) Any such notice may, in the case of a firm or a Hindu undivided family, be addressed to any member of the firm, or to the manager or any adult member of the family, and in the case of a company or association of persons, be addressed to the principal officer thereof.

32. *Power of State Government to issue orders nd directoions.* - The State Government may issue such orders and directions of a general character, as it may consider necessary in respect of any matter relating to the power and duties of any authority under this Act.

33. *Delegation of powers.* - The State Government may, by notification, direct that any power or function exercisable by any authority under this Act, or th erules made thereunder shall, in relationto such matters and subject to such conditions as may be specified in suchnotification, be exercisable also by such officer subordiate to the Govenrment as may be specified in such notification.

34. *Bar of suits in Civil Courts.* - (1) No suit shall lie in any Civil Court to set aside or modify any assessment made under this Act.

(2) No Civil Court shall have jurisdiction to decide or deal with any question which by or under this Act is required to bedecided or dealt with by any authority under this Act.

35. *Indemnity.* - No suit, prosecutionor other legal proceeding shalllie against the State Government or other authorities under this Act for any thing which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.

36. *Power to enter upon land.* - Any authority under this Act or any person acting under the order of any such authority may, after giving reasonable notice to the occupier of an urban land, enter upon such urban land with such other officers and persons as he considers necessary and make a surveyand take measurements thereof and do any other act which he considres necessary for carrying out the purposes of this Act :

Provided that no such entry shall be made - (i) within the hours of sunset and sunrise :

(ii) in a human dwelling, except with the consent of the occupiter or after giving him not less than four days previous notice in writing of the proposed entry; and

(iii) without due regard to the socialand religious usages of the occupier, including necessary precautions for the observance of purdab.

37. *Power to make rules.* - (1) The State Governmentmay, after previous publication, make rules, not inconsistent withthe provision of this Act, to carry out the purposes of this Act.1

(2) In particular and without prejudice to the generalityof the foregoing power, such rules may provide for-

(a) all matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed ;

(b) the form of appeal nd application for revision under this Act;

(c) the procedure to be followed in appeal or revision under this Act;

(d) the fees payable in respect of applications and appeals under this Act; and

(e) the manner of rounding up of the total amount of tax due from an assessee.

(3) Every rule made under this section shall belaid, as soon as may be after it is made before each House of the State Legislature while it is in session for a tital period of fourteen days which may be comprised in one sessionor in two successive sessions, and if, before expiry of the session in which it is so laid or the session immediately follwoing, both the Houses agree in making any modification in the rule or both the Houes agree that the rule should not be mde, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that tule.

38. *Power to remove difficulties.* - If any difficulty arises ingiving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion may require, by order, do anything which appears to it necessary for the purpose of removing the difficulty.